



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 26 मार्च, 2025

चैत्र 5, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

(बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियमावली, 2025

सं. यूपीईआरसी/सचिव/विनियमावली/2025-009 दिनांक 26.03.2025

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 51 के प्रथम परन्तुक, धारा 61, धारा 62 की उपधारा (2) एवं (5), धारा 64 की उपधारा (1) एवं (3), धारा 65 के साथ पठित धारा 181 की उपधारा (2) के खंड (वाई), (जेडडी), (जेडई), (जेडएफ), (जेडजी), (जेडएच) तथा (जेडपी) तथा धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थनकारी समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है। यह विनियमावली उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण व पारेषण टैरिफ) विनियमावली, 2019 का अधिक्रमण करेगी।

### 1- संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रयोज्यता एवं प्रारंभ

1.1 इस विनियमावली को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियमावली, 2025 कहा जाएगा।

1.2 यह विनियमावली सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगी।

1.3 यह विनियमावली समस्त वर्तमान एवं भविष्य के वितरण लाइसेंसधारियों तथा उनके उत्तराधिकारियों के लिए 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2030 तक सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर), वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर), टैरिफ, ट्रू-अप इस विनियमावली से आच्छादित संबंधित मामलों में निर्धारण हेतु लागू होगी।

1.4 यह विनियमावली दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी तथा पांच वर्षों के लिए तब तक लागू रहेगी जब तक आयोग द्वारा इसकी उससे पहले समीक्षा न की जाए या उसे बढ़ाया न जाए तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशित होगी।

परंतु यह कि संबंधित वित्तीय वर्ष की सकल राजस्व आवश्यकता, वार्षिक निष्पादन समीक्षा, टैरिफ के निर्धारण, ट्रू-अप तथा किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष की समीक्षा प्रकरणों सहित अन्य मामले उस विशिष्ट वर्ष के लिये लागू टैरिफ विनियमावली से शासित होंगे।

### 2-परिभाषाएं

2.1 इस विनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(1) "लेखा विवरण" से तात्पर्य प्रत्येक के निम्न विवरण से है, यथा: -

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग-1 में समय-समय पर संशोधित, निहित प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के 3 भाग-11 में समय-समय पर संशोधित, निहित अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए लेखा-परीक्षित लाभ एवं हानि लेखा-विवरण।
- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इण्डिया के समय-समय पर संशोधित नकदी प्रवाह विवरण (IND AS-3) पर लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया लेखा-परीक्षित नकदी प्रवाह विवरण।
- लाइसेंसधारी के वैधानिक लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन।

- (v) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत समय समय पर संशोधित, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत अभिलेख, यदि कोई हो।
- (vi) उन पर टिप्पणियों के साथ-साथ, ऐसे अन्य सहायक विवरण तथा सूचना जैसा आयोग समय-समय पर निर्देशित करें।
- (vii) दर अनुसूची के अनुसार श्रेणी/उपश्रेणीवार बिल में प्रस्तुत राजस्व।
- (viii) वर्ष के लिए वित्तीय विवरण से मेल खाने वाला लेखा-विवरणों का ट्रायल बैलेंस।
- (ix) विद्युत वितरण (लेखा एवं अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियमावली, 2024 और उसमें किए गए किसी संशोधन के अंतर्गत निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण।
- (2) **“अधिनियम”** से तात्पर्य समय-समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) से है;
- (3) शर्तों के अंतर्गत **“सकल राजस्व आवश्यकता”** या **“एआरआर”** का तात्पर्य लाइसेंसधारी के अनुमत व्यवसाय से संबंधित उस लागत से है जो इस विनियमावली के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में वसूली जानी है;
- (4) **“आवंटन विवरण”** का तात्पर्य लाइसेंसधारी के प्रत्येक व्यवसाय (व्हीलिंग, फुटकर आपूर्ति तथा अन्य व्यवसाय) से संबंधित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के विवरणों से है, जिनमें किसी राजस्व, लागत, सम्पत्ति, दायित्व, कोष या प्रावधान आदि की धनरशियां दर्शायी गयी हों, जो कोई भी हो सकती है:
- (a) विभाजन या आवंटन के आधार के विवरण के साथ-साथ अनुज्ञापित व्यवसाय सहित लाइसेंसधारी के विभिन्न व्यवसायों के मध्य संविभाजन या आवंटन द्वारा निर्धारित; या
- (b) उक्त प्रभार के आधार के विवरण के साथ-साथ ऐसे प्रत्येक अन्य व्यवसाय से या उससे भारित;
- (5) **“एबीआर”** का अर्थ है रु0/ किलोवाट घंटा में औसत बिलिंग दर, जो प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी में देय अनुमोदित टैरिफ पर राजस्व को एक निश्चित अवधि के लिए सभी उपभोक्ता श्रेणियों में कुल बिल की गई इकाइयों से विभाजित करके निर्धारित की जाती है।
- (6) **“आधार वर्ष”** से तात्पर्य इस विनियमावली के प्रयोजन के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25, अर्थात् नियंत्रणाधीन अवधि का तत्काल पूर्ववर्ती प्रथम वर्ष है;
- (7) **“वशवर्ती उपभोग”** का अर्थ वितरण लाइसेंसधारी के कार्यालयों/भवनों और अतिथि-गृहों सहित आंतरिक/स्व-उपभोग से है।
- (8) **“विधि में परिवर्तन”** का तात्पर्य निम्न घटनाक्रमों में से किसी के भी घटित होने से है:-
- (a) किसी नयी भारतीय विधि का अधिनियमन, प्रभावी बनाना या प्रख्यापन करना; या
- (b) किसी विद्यमान भारतीय विधि का अंगीकरण, संशोधन, रूपान्तरण, निरस्तीकरण या पुनर्निधिनियमन; या
- (c) न्यायिक घोषणाएँ, केन्द्र सरकार और/या राज्य सरकार के आदेश; या
- (d) सक्षम न्यायालय, अधिकरण या भारत सरकार के अधिकरण, जो विधि के अन्तर्गत ऐसी व्याख्या या लागू करने के लिए अन्तिम सक्षम प्राधिकारी हो, के द्वारा किसी भारतीय विधि की व्याख्या या प्रयोज्यता में विचरण; या
- (e) किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा परियोजना के लिए किसी सहमति या अनुमति या प्रसंविदा, स्वीकृति या उपलब्ध या प्राप्त किए गए लाइसेंस के अधीन किये गये विचरण; या
- (f) करों या शुल्कों में कोई विचरण, या केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा लगाए गए किसी कर या शुल्क का लागू होना, जब तक कि इस विनियम में अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
- (9) **“आयोग”** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) से है;
- (10) **“व्यवसाय प्रचालन की विनियमावली”** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (व्यवसाय का प्रचालन) विनियमावली, 2019 तथा इसके अनुवर्ती संशोधनों या इसको निरस्त करने के पश्चात बनायी गयी परिशिष्ट नयी विनियमावली से है;
- (11) **“नियंत्रण अवधि”** का तात्पर्य 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2030 तक पांच वित्तीय वर्षों की अवधि से है जब तक कि आयोग द्वारा किसी आदेश के माध्यम से बढ़ाई न जाए;
- (12) **“वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि” (सीओडी)** का तात्पर्य वितरण लाइसेंसधारी के मामले में वितरण लाइसेंसधारी की विद्युत लाइन या उपकेन्द्र के घोषित वोल्टेज स्तर पर चार्ज होने की तिथि या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा चार्ज हो जाने के लिए तैयार घोषित किये जाने की तिथि के पश्चात, परन्तु उपभोक्ता के कारण से चार्ज न होने पर, सात दिनों के पश्चात की तिथि से है;
- (13) **“वितरण प्रणाली”** का तात्पर्य पारेषण लाइनों या उत्पादन स्टेशन संयोजन पर वितरण बिंदुओं और उपभोक्ताओं की स्थापना के संयोजन बिंदु के बीच तारों और संबद्ध सुविधाओं की प्रणाली से है;
- (14) **“वितरण तार व्यवसाय”** का तात्पर्य वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति के क्षेत्र में विद्युत की व्हीलिंग के लिए वितरण प्रणाली के प्रचालन एवं रखरखाव के व्यवसाय से है;
- (15) **“वित्तीय वर्ष”** का तात्पर्य ऐसी अवधि से है जो किसी कैलेंडर वर्ष के अप्रैल 01, से प्रारंभ होकर आगामी कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होती है;
- (16) **“अपरिहार्य घटना”** इस विनियमावली के उद्देश्य से कोई घटना या परिस्थितियाँ या निम्न कथित घटनाओं या परिस्थितियों के मिश्रण को शामिल करते हुए, जो आंशिक या पूर्ण रूप से वितरण लाइसेंसधारी को परियोजनाओं के विनियोग अनुमोदन में प्रदर्शित अवधि में पूरा करने से रोकता हो तथा ऐसी घटनाएं या परिस्थितियाँ, जो वितरण लाइसेंसधारी द्वारा युक्ति

संगत सावधानी या विवेकपूर्ण जनोपयोगी सेवा व्यवहार का पालन करने के पश्चात भी उनके नियंत्रण में न हों या वे अनिवारणीय हों:-

- (a) ईश्वरीय कृत्य में दुर्मिक्ष, अग्निकांड तथा विस्फोट, भूचाल, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, बवंडर, उग्र आंधी, भौगोलिक आश्चर्य शामिल हैं पर उन तक ही सीमित नहीं; या
- (b) युद्ध, आक्रमण, संघर्ष या किसी विदेशी शत्रु का सैनिक कृत्य, घेराव, व्यापार प्रतिरोध, क्रान्ति, उपद्रव, राजद्रोह, उग्रवादी या सैनिक कार्यवाही सम्बन्धी कृत्य; या
- (c) भारत में राष्ट्र-व्याप्त औद्योगिक हड़ताल तथा श्रमिक अशांति;
- (d) लाइसेंसधारी के कारण न होने वाला परियोजनाओं के लिए वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब;
- (e) लाइसेंसधारी के कारण न होने वाला परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब ।

(17) **"भारतीय सरकारी अभिकरण"** का तात्पर्य भारत सरकार या राज्य सरकार(रों) या दोनों या उपयुक्त आयोग(गों) या न्यायाधिकरण या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन किसी मंत्रालय, विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेंसी, निगम और आयोग से है;

(18) **"लाइसेंस"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अन्तर्गत जारी लाइसेंस से है;

(19) **"अनुज्ञापित व्यवसाय"** का अभिप्राय ऐसे कार्यों तथा क्रियाकलापों से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा, अधिनियम के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी लाइसेंस या मानित लाइसेंसधारी होने के कारण निष्पादित किये जाने आवश्यक हों;

(20) **"लाइसेंसधारी"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसको अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अन्तर्गत लाइसेंस जारी किया गया हो एवं इसमें मानित लाइसेंसधारी भी शामिल है;

(21) **"अन्य व्यवसाय"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 51 के अधीन परिसंपत्तियों के अनुकूलतम समुपयोग के लिये लाइसेंसधारी के किसी अन्य व्यवसाय से है;

(22) **"निर्बाध अभिगम ग्राहक"** का तात्पर्य ऐसे उपभोक्ता से है जिसे उसके आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी से पृथक अन्य व्यक्ति से विद्युत आपूर्ति की अनुमति आयोग द्वारा प्रदान की गयी हो तथा इस अभिव्यक्ति में उत्पादन कम्पनी तथा लाइसेंसधारी जो निर्बाध अभिगम प्राप्त कर रहे हों या प्राप्त करने के इच्छुक हों, शामिल है;

(23) **"फुटकर आपूर्ति व्यवसाय"** का तात्पर्य किसी वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अपनी लाइसेंस की शर्तों के अनुसरण में अपने आपूर्ति क्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ताओं को विद्युत बिक्री के व्यवसाय से है;

(24) **"फुटकर आपूर्ति टैरिफ"** का तात्पर्य इतर निर्बाध अभिगम ग्राहकों को आपूर्ति के लिये वितरण लाइसेंसधारी द्वारा भारत की जाने वाली दर से है, जिसमें व्हीलिंग एवं फुटकर आपूर्ति के लिये प्रभार शामिल है;

(25) **"व्हीलिंग प्रभार"** का तात्पर्य वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली तथा सम्बद्ध सुविधाओं के विद्युत प्रवहण हेतु प्रयोग करने पर प्रभार से है;

**"व्हीलिंग व्यवसाय"** का तात्पर्य वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के प्रवहण के लिए वितरण प्रणाली के प्रचालन एवं अनुरक्षण के व्यवसाय से है।

**2.2** शब्दों और अभिव्यक्तियों जो इस विनियमावली में प्रयुक्त हुए हैं तथा पारिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में पारिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 या आयोग के अन्य किन्हीं विनियमावली, समय-समय पर संशोधित, के अधीन उन्हें समनुदिष्ट किये गये हैं। ऐसी अभिव्यक्तियां, जो यहां प्रयुक्त हुईं और विनिर्दिष्ट रूप से इन विनियमावली या विद्युत अधिनियम, 2003 में पारिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन पारिभाषित हैं और राज्य में विद्युत उद्योग पर लागू होते हैं, के वही अर्थ होंगे, जो ऐसी विधि में उनको समनुदेशित किया गया है। ऐसी अभिव्यक्ति, जो इसमें प्रयुक्त हुई है, किन्तु विनिर्दिष्ट रूप से इन विनियमावली या अधिनियमों या किसी सक्षम द्वारा पारित किसी विधि में पारिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो विद्युत उद्योग में उनको सामान्यतः समनुदेशित किया जाता है।

**2.3** "आवेदन" या "याचिका" शब्द की समानार्थ व्याख्या की जाएगी।

**2.4** इस विनियमावली की व्याख्या में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (a) जैसा भी हो, एकवचन या बहुवचन वाले शब्दों में क्रमशः उनके बहुवचन या एकवचन वाले शब्द भी शामिल किये जाएंगे।
- (b) यहां विनियमावली के प्रति किये संदर्भों को, लागू विधियों के अनुसरण में आयोग द्वारा समय समय पर यथासंशोधित या उपान्तरित विनियमावली के रूप में माना जाएगा।
- (c) शीर्षकों को सुविधा के लिए डाला गया है और इन्हें इन विनियमावली के निर्वचन के प्रयोजनार्थ संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।
- (d) विधानों, विनियमावली या दिशानिर्देशों के प्रति संदर्भों/ निर्देशों को यथास्थिति, ऐसे विधानों, विनियमावली या दिशा निर्देशों को समेकित, संशोधित या प्रतिस्थापित करने वाले सभी वैधानिक प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए माना जाएगा।
- (e) इन विनियमावली के अंग्रेजी तथा हिन्दी पाठ के निर्वचन में किसी विवाद की दशा में अंग्रेजी पाठ प्रवृत्त होगा।

#### भाग-अ: सामान्य प्रावधान

### 3- बहुवर्षीय टैरिफ ढाँचा

**3.1** सकल राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ से सम्भावित राजस्व के गणना हेतु बहुवर्षीय टैरिफ ढाँचा निम्न तत्वों पर आधारित होगा:-

- (i) वर्तमान एवं प्रस्तावित टैरिफ से अनुमानित राजस्व तथा सकल राजस्व आवश्यकता और श्रेणी/ उप श्रेणी के पूर्वानुमान को शामिल करते हुए सकल राजस्व आवश्यकता याचिका पूर्व वर्ष के लेखा-परीक्षित/अनन्तिम लेखे एवं चालू वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बही में 6 माह के उपलब्ध आंकड़ों सहित लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी;
- (ii) विनियम 4.1 में दर्शायी गयी तालिका के अनुसार परिचालकीय एवं वित्तीय उपलब्धता की वार्षिक उपलब्धता समीक्षा (एपीआर) के साथ-साथ अनुमोदित पूर्वानुमान लाइसेंसधारी द्वारा हर वर्ष प्रस्तुत किये जाएंगे;
- (iii) वार्षिक उपलब्धता समीक्षा तथा टू-अप, सकल राजस्व आवश्यकता/टैरिफ याचिका के साथ लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए जैसा कि इस विनियमावली में निर्दिष्ट है हर वर्ष प्रस्तुत की जाएगी।

#### 4- याचिकाएं नियंत्रण अवधि में प्रस्तुत की जाएं

4.1 इस विनियमावली के अधीन नियंत्रण अवधि में प्रस्तुत की जाने वाली याचिका में निम्न शामिल होगा:

फाइलिंग की तिथि	टू-अप	एपीआर	एआरआर / टैरिफ
30.11.2024	वित्तीय वर्ष 2023-24*	वित्तीय वर्ष 2024-25*	वित्तीय वर्ष 2025-26**
30.11.2025	वित्तीय वर्ष 2024-25***	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2026-27
30.11.2026	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2027-28
30.11.2027	वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2027-28	वित्तीय वर्ष 2028-29
30.11.2028	वित्तीय वर्ष 2027-28	वित्तीय वर्ष 2028-29	वित्तीय वर्ष 2029-30

\*यूपीईआरसी (वितरण और पारेषण टैरिफ के लिए बहुवर्षीय टैरिफ) विनियमावली, 2019 के अनुसार याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं।

\*\*आयोग के निर्देशों के अनुसार याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर के निर्धारण के लिए इन विनियमावली के अनुसार आगे की प्रस्तुतियां मांगी जाएगी।

\*\*\*फाइलिंग यूपीईआरसी (वितरण और पारेषण टैरिफ के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ) विनियमावली, 2019 के अनुसार होगी, हालांकि इन विनियमावली के अनुसार फाइलिंग संबंधित वर्ष की 30 नवंबर को की जानी चाहिए।

4.2 आयोग द्वारा निर्धारित, समय समय पर सर्वधित / संशोधित, दिशानिर्देशों तथा प्रारूपों के अनुसार लाइसेंसधारी उपर्युक्त से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करेगा।

#### 5-याचिका फाइल करने की प्रक्रिया और इसका निर्धारण

5.1 वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रारूपों के अनुसार, निदेशक मंडल या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी समिति/व्यक्ति द्वारा विधिवत प्राधिकृत, प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर से टू-अप/एपीआर/एआरआर याचिका दायर करेगा।

5.2 याचिका की हार्ड कॉपी भी समय-समय पर संशोधित यूपीईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2019 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित यूपीईआरसी (शुल्क और जुर्माना) विनियम, 2010 के अनुसार लागू शुल्क देय के साथ, दायर की जाएगी।

5.3 आयोग की उपर्युक्त आवश्यकता आयोग के इस संबंध में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी अन्य जानकारी/ स्पष्टीकरण/ दस्तावेज की मांग करने के अधिकार को अपवर्जित नहीं करती।

5.4 आयोग याचिका को स्वीकार करने से पहले तकनीकी सत्यापन करेगा। आवश्यक कार्यवाही पूरी होने और आयोग की संतुष्टि के लिए किए गए प्रस्तुतीकरण पर, आयोग याचिका को स्वीकार करेगा और एक प्रवेशता आदेश जारी करेगा।

5.5 याचिकाकर्ता को प्रवेशता आदेश जारी होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर अपने लाइसेंस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो अंग्रेजी और दो हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करनी होगी, जिसमें टू-अप/एपीआर/एआरआर, प्रस्तावित टैरिफ और आयोग द्वारा निर्देशित अन्य मामलों का विवरण होगा, तथा हितधारकों और आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करनी होंगी:

परंतु यह भी कि याचिकाकर्ता आयोग के समक्ष दायर याचिका को सभी विनियामक फाइलिंग, विस्तृत गणना, विवरण और दस्तावेजों के साथ, आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से पाठ-खोज योग्य प्रारूप में या डाउनलोड करने योग्य स्प्रेडशीट प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराएगा:

परंतु यह भी कि इस विनियमन के पहले परंतुक में उल्लिखित जानकारी का वेब लिंक आसानी से सुलभ होगा, डाउनलोड करने के लिए संग्रहीत किया जाएगा और याचिकाकर्ता की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा:

परंतु इसके अतिरिक्त भी वितरण लाइसेंसधारी अपने उपभोक्ताओं को अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों पर उचित नोटिस के माध्यम से ऐसी याचिका दायर करने, सार्वजनिक परामर्श की अवधि, सार्वजनिक सुनवाई की तिथि आदि के बारे में सूचित करेगा:

परंतु यह भी कि याचिकाकर्ता को आयोग द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी, विवरण या दस्तावेज प्रदान करने से छूट दी जा सकती है, जिसे गोपनीय माना जाता है।

5.6 आयोग, प्रवेश की तिथि से एक सौ बीस दिन के भीतर, हितधारकों और आम जनता से प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात तथा इन विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार:-

- उस आदेश में निर्दिष्ट संशोधनों या शर्तों के साथ याचिका को स्वीकार करते हुए टू-अप/एपीआरआर/एआरआर और टैरिफ के लिए आदेश जारी करेगा; या
- यदि ऐसी याचिका अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों या कानून के किसी अन्य प्रावधान के अनुरूप नहीं है, तो याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से याचिका को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5.7 याचिकाकर्ता, आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ/दर-अनुसूची को तीन कार्य दिवसों के भीतर, अपने आपूर्ति लाइसेंस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो अंग्रेजी और दो हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा तथा अनुमोदित टैरिफ/दर अनुसूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा तथा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ऐसी अनुमोदित टैरिफ/दर अनुसूची वाली एक पुस्तिका बिक्री के लिए उपलब्ध कराएगा।

5.8 इस प्रकार प्रकाशित टैरिफ आदेश में निर्धारित तिथि से लागू होगा और जब तक इसमें संशोधन या संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक यह उसमें निर्धारित अवधि तक लागू रहेगा।

### 6-टू-अप याचिका

6.1 लाइसेंसधारी टू-अप याचिका इस विनियमावली के विनियम 4.1 के अनुसार दाखिल करेगा:

परंतु यह भी कि याचिका में सूचनाएं, लेखा विवरण, लेखा बहियों का सार एवं अन्य विवरण उन दिशानिर्देशों के अनुसार, उस रूप में शामिल होंगे जैसा कि आयोग नियत करे:

परंतु यह भी कि यदि टू-अप याचिका विनियमन 4.1 में दी गई समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो टू-अप वर्ष के लिए आए अंतराल की अवधि हेतु कोई वहन लागत नहीं दी जाएगी। हालाँकि, अधिशेष के मामले में, वह वहन लागत के साथ वसूली जाएगी।

6.2 इस विनियमावली में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार आयोग टू-अप का क्रियान्वयन करेगा। राजस्व एवं व्यय का टू-अप अनुमोदित एवं वास्तविक व्यय के आधार पर लाइसेंसधारी के वित्तीय वर्ष के लेखा विवरणों की विवेकपूर्ण जांच पर आधारित होगा।

6.3 वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि श्रेणी/उप-श्रेणीवार बिल किया गया राजस्व लेखा विवरणों में शामिल हों।

6.4 वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके लेखांकन विद्युत वितरण (लेखा एवं अतिरिक्त प्रकटीकरण) विनियमावली, 2024 और उसके किसी भी संशोधन के अनुपालन में तैयार किए जाएं।

6.5 वितरण लाइसेंसधारी को याचिका के साथ आयोग द्वारा पिछले तीन टैरिफ आदेशों में जारी निर्देशों तथा अनुपालन हेतु लंबित पूर्ववर्ती टैरिफ आदेशों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर वार्षिक विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

### 7-वार्षिक निष्पादन समीक्षा याचिका

7.1 जैसा कि इस विनियमावली के विनियम 4.1 में प्रविधित है, लाइसेंसधारी वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा याचिका (एपीआर) प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह भी कि लेखा-परीक्षित/ अनन्तिम लेखा विवरणों, लेखा बहियों का सार एवं अन्य विवरणों के साथ सूचनाएं निर्दिष्ट दिशानिर्देशों एवं प्रारूपों के अनुसार, उस रूप में शामिल होंगी जैसा कि आयोग नियत करे।

### 8- सकल राजस्व आवश्यकता याचिका

8.1 जैसा कि इस विनियमावली के विनियम 4.1 में प्रविधित है, लाइसेंसधारी सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए याचिका प्रस्तुत करेगा।

8.2 सकल राजस्व आवश्यकता याचिका जिसमें श्रेणी/उप-श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार, उद्धारगुणक और बिक्री अनुमान, विद्युत क्रय योजना (नवीकरणीय ऊर्जा और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा) और पूर्वानुमान, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) योजना और पूर्वानुमान, वितरण हानि प्रक्षेप पथ (राज्य सरकार द्वारा सहमत और केन्द्र सरकार द्वारा किसी राष्ट्रीय योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित सकल तकनीकी एवं वाणिज्यीय हानि प्रक्षेप पथ को ध्यान में रखते हुए, यदि लागू हो या अन्यथा), पूंजी निवेश योजना, वित्तपोषण योजना और भौतिक लक्ष्य, लाभांश, अनुदान आदि शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

8.3 वितरण लाइसेंसधारी, मेरिट ऑर्डर डिस्पैच (एमओडी)/ सुरक्षा बाध्य आर्थिक डिस्पैच (एससीईडी) सिद्धांतों, अनिवार्य रूप से संचालित संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के आधार पर बिजली क्रय के लिए विचार किए गए सभी उत्पादन स्टेजों और अन्य स्रोतों से लागत के आधार पर अनुकूलित वास्तविक बिजली क्रय आवश्यकता को प्रक्षेपित करेगा, जो प्रासंगिक विनियमों और उनके बाद के संशोधनों के तहत आयोग द्वारा निर्धारित नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के अधीन होगा, और ऊर्जा दक्षता (ईई) और मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) योजनाओं आदि के लिए निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई हो:

परंतु यह कि एमओडी/एससीईडी सिद्धांत, आयोग द्वारा निर्धारित आरपीओ तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की क्रय पर लागू नहीं होंगे।

8.4 टैरिफ से अपेक्षित राजस्व का पूर्वानुमान निम्नलिखित पर आधारित होगा:-

- वितरण लाइसेंसधारी के मामले में, उपभोक्ताओं को आपूर्ति और वितरण प्रणाली उपयोगकर्ताओं की ओर से व्हील की जाने वाली बिजली की मात्रा का अनुमान:

परंतु यह कि वितरण लाइसेंसधारी प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी क्षेत्र के लिए श्रेणी/उप-श्रेणीवार उपभोक्ताओं की

संख्या, संयोजित उद्धार और ऊर्जा बिक्री अनुमान, मीटरिंग की स्थिति, फीडर स्तर/वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग, मौसम-तत्व को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए विविधता कारक आदि का प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करेगा;

(b) याचिका दायर करने की तिथि पर मौजूदा और प्रस्तावित टैरिफ।

8.5 एआरआर याचिका लाइसेंसधारी द्वारा दायर की जाएगी जिसमें एआरआर का पूर्वानुमान और मौजूदा टैरिफ से अपेक्षित राजस्व शामिल होगा। इसके अलावा, लाइसेंसधारी को श्रेणी/उप-श्रेणीवार प्रस्तावित टैरिफ भी प्रस्तुत करना होगा, जो कि प्रस्तावित वसूली सीमा तक पिछले वर्षों के अप्राप्य राजस्व लुप्रांशसहित एआरआर में अंतर को पूरा करेगा।

### 9- नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय कारक

9.1 आयोग द्वारा निर्धारित "अनियंत्रणीय कारकों" में निम्न कारक शामिल होंगे, जो लाइसेंसधारी के नियंत्रण के परे तथा उनके द्वारा कम नहीं किये जा सकें:-

- अप्रत्याशित घटनाएं,
  - विधि में विचरण
  - ईंधन के मूल्य एवं/ या विद्युत क्रय के मूल्य में विचरण
  - बिक्री में विचरण
  - अंतर्राज्यीय/ राज्य के अंदर पारेषण प्रभारों एवं हानियों की दरों में विचरण
  - दीर्घकालिक ऋणों के लिए ब्याज दरों में विचरण; एवं
  - आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य कोई व्यय।
- 9.2 "नियंत्रणीय कारक" में निम्नलिखित शामिल होंगे, पर ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:-
- वितरण एवं वाणिज्यिक हानियों में विचरण;
  - समय और/या लागत वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय में विचरण, जो ऐसी परियोजना के दायरे में अनुमोदित विचरण, वैधानिक शुल्कों में विचरण या अप्रत्याशित घटना के कारण नहीं है;
  - किसी पूंजीगत व्यय परियोजना को लागू करने की दक्षताओं में विचरण जो ऐसी परियोजना के क्षेत्र के अनुमोदित विचरण पर आरोपणीय नहीं होगा, सरकारी कर में विचरण या अपरिहार्य घटना तथा पारेषण या वितरण लाइसेंसधारी के ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या एजेंसी के कारण परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब के कारण हो;
  - अशोध एवं शंकास्पद ऋण बट्टे खाते में डालने का प्रावधान;
  - निर्दिष्ट निष्पादन मानक एवं मापदण्डों में विचरण;
  - कार्यशील पूंजी ब्याज में विचरण;
  - प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के घटकों में विचरण।

### 10 - अनियंत्रणीय कारकों के फलस्वरूप लाभ एवं हानियों का प्रबंधन

10.1 जैसा कि इस विनियमावली में निर्दिष्ट है तथा इस विनियमावली के अधीन आयोग द्वारा पारित आदेश में निर्धारण किया जाए, अनियंत्रणीय कारकों के कारण वितरण लाइसेंसधारी को अनुमोदित लाभ या हानि वितरण लाइसेंसधारी की एआरआर या टैरिफ में समायोजित की जाएगी।

10.2 वितरण लाइसेंसधारी अनियंत्रित कारकों के कारण होने वाले विचरण का विवरण विस्तृत गणना और सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा, जैसा कि आयोग द्वारा सत्यापन के लिए आवश्यक हो।

### 11- नियंत्रणीय कारकों के फलस्वरूप लाभ या हानियों का प्रबंधन

11.1 प्रचालन एवं रखरखाव व्यय के प्रत्येक घटक और वितरण हानि के घटकों में विचरण के कारण वितरण लाइसेंसधारी को स्वीकृत लाभ का निपटान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:-

- ऐसे लाभ की दो-तिहाई राशि को आयोग के आदेश में निर्धारित अवधि के लिए टैरिफ/एआरआर में स्थानांतरित किया जाएगा;
- ऐसे लाभ की शेष राशि का उपयोग वितरण लाइसेंसधारी के विवेक पर किया जाएगा।

11.2 प्रचालन एवं रखरखाव व्यय के प्रत्येक घटक और वितरण हानि के घटकों में विचरण के कारण वितरण लाइसेंसधारी को स्वीकृत हानि का निपटान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:-

- ऐसी हानि की एक-तिहाई राशि को आयोग के आदेश में निर्धारित अवधि के लिए टैरिफ/एआरआर में स्थानांतरित किया जाएगा;
- ऐसी हानि की शेष राशि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।

## भाग-बी: विद्युत क्रय

### 12 - प्रयोज्यता

12.1 इस भाग में शामिल विनियम प्रदेश में विद्युत के वितरण एवं आपूर्ति हेतु उत्पादन केंद्र का वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत क्रय हेतु अनुबंध या अन्य व्यवस्था के माध्यम से विद्युत गृह एवं ट्रेडिंग लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या अन्य किसी माध्यम से की गयी विद्युत हेतु लागू होंगे।

### 13-विद्युत क्रय हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं योजना

13.1 वितरण लाइसेंसधारी लागू कानून के अनुसार अपने उपभोक्ताओं को बहुविध अवधि (लघु/मध्यम/दीर्घ) के लिए आपूर्ति के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में मांग (मेगावाट) और ऊर्जा (मेगावाट घंटा) के आकलन और पूर्वानुमान के लिए उत्तरदायी

होगा।

13.2 खुदरा टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रत्येक श्रेणी/उप-श्रेणी के लिए भार पूर्वानुमान आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा या जैसा वितरण लाइसेंसधारी प्रस्ताव करता है।

13.3 वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित वितरण हानियों, अंतर-राज्यीय पारेषण हानियों और अंतर-राज्यीय पारेषण हानियों को जोड़कर वितरण लाइसेंसधारी को वास्तविक विद्युत क्रय आवश्यकता (एमडब्ल्यूएच में) का अनुमान लगाना होगा। हालांकि, टू-अप, एपीआर और एआरआर के उद्देश्य के लिए, समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित मानक हानि प्रक्षेपवक्र पर विचार किया जाएगा।

13.4 शीर्ष डिमांड (मेगावाट में) का निर्धारण पिछले तीन वर्षों के औसत उद्धार गुणक, उद्धार विविधता गुणक, मौसमी विचरण कारकों और ऊर्जा पूर्वानुमान (मेगावाट घंटे में) को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यदि भविष्य के वर्षों के लिए किसी अन्य उपयुक्त उद्धार गुणक पर विचार किया जाता है, तो विस्तृत विवरण प्रदान किया जाएगा।

13.5 वितरण लाइसेंसधारी को मांग और विद्युत क्रय मात्रा और लागत का ऐतिहासिक डाटाबेस बनाए रखना होगा।

13.6 उद्धार प्रोफाइल का पता लगाने के उद्देश्य से और विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के चरम मांग के आकलन के लिए, लोड अनुसंधान विश्लेषण आयोजित किया जाएगा और मांग प्रतिक्रिया, उद्धार शिफ्ट परिगणन, दिन का समय और उपयोग के समय का प्रभाव वितरण लाइसेंसधारी द्वारा समाहित किया जाएगा। किए गए शोधन के लिए एक विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान किया जाना चाहिए। विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों और उप-श्रेणियों के लिए दिन के समय के टैरिफ की संरचना इस तरह के अध्ययनों के आधार पर प्रस्तावित किया जाएगा।

13.7 वितरण लाइसेंसधारी ऊर्जा मंत्रालय और लागू नियमों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विविध समय-क्षितिज (लघु/ मध्यम/ दीर्घकालिक) के लिए संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा और उन्हें सक्षम प्राधिकारी(यों) से मान्य/ अनुमोदित करायेगा।

13.8 वितरण लाइसेंसधारी अपने टैरिफ याचिका के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी(यों) द्वारा मान्य/ अनुमोदित के रूप में विभिन्न समय-क्षितिज (लघु/ मध्यम/ दीर्घकालिक) के लिए अपने मांग मूल्यांकन और पूर्वानुमान और संसाधन पर्याप्तता योजनाओं को प्रस्तुत करेगा।

13.9 टैरिफ याचिका के साथ, लाइसेंसधारी एक इष्टतम (कम से कम लागत और सुरक्षित) तरीके से मांग पूर्वानुमान और संसाधन पर्याप्तता योजना में परिकल्पित मांग को पूरा करने के लिए विद्युत की क्रय के लिए वर्ष के लिए अपनी विद्युत क्रय योजना प्रस्तुत करेगा। यह योजना मेरिट ऑर्डर डिस्पैच (एमओडी)/ सुरक्षा बाधित लाभकर डिस्पैच (एससीईडी) सिद्धांतों तथा अनिवार्य रूप से संचालित संयंत्र, तथा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र पर आधारित होगी, जो प्रासंगिक नियमों और उनके बाद के संशोधनों के तहत आयोग द्वारा निर्धारित नवीकरणीयक्रय दायित्व (आरपीओ) के अधीन पौधों और अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को चलाना चाहिए:

परंतु यह कि एमओडी/ एससीईडी सिद्धांत आयोग द्वारा निर्धारित आरपीओ तक के आरई स्रोतों से विद्युत की क्रय पर लागू नहीं होंगे।

13.10 वितरण लाइसेंसधारी के लिए वर्ष के लिए विद्युत क्रय योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- आपूर्ति के अपने क्षेत्र के भीतर विद्युत के लिए अप्रतिबंधित आधार उद्धार, औसत उद्धार और शीर्ष उद्धार में मौसमी विचरण का एक मात्रात्मक पूर्वानुमान।
- विद्युत की क्रय के पहचाने गए स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति की इष्टतम मात्रा और लागत का एक अनुमान, यदि कोई हो, तो स्वयं का उत्पादन भी शामिल है।
- विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) और अनुबंध/ समझौते आपूर्ति के अनुमोदित स्रोतों के साथ दर्ज किए गए और उद्धार आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान आपूर्ति के संभावित नए स्रोत।
- आधार उद्धार, औसत उद्धार और शीर्ष उद्धार आवश्यकताओं में मौसमी विचरण को पूरा करने के लिए विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता का अनुमान।

परंतु यह कि मांग और आपूर्ति का ऐसा अनुमान संयंत्र के संयंत्र उद्धार गुणक (पीएलएफ) के साथ-साथ मिलियन यूनिट्स (एमयू) में व्यक्त किए गए मेगा वाट (एमडब्ल्यू) में मासिक आधार पर होगा।

- शीर्ष और गैर-शीर्ष अवधि और उनके मौसमी विविधताएं और विद्युत की क्रय की आवश्यकताओं को क्रय के लिए (एमयू में) और अधिकतम मांग (मेगावाट में);
- आयोग के प्रासंगिक नियमों या आदेशों के अनुसार आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता संबंधी मानक;

13.11 वितरण लाइसेंसधारी वर्ष के दौरान अपनी विद्युत क्रय को विद्युत क्रय योजना के अनुसार, आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में अनुमोदित इन नियमों में निर्धारित के रूप में करेगा।

13.12 वितरण लाइसेंसधारी राज्यांतरिक पारेषण सिस्टम के लिए पारेषण सिस्टम योजना के साथ अपनी संगतता के सत्यापन के लिए राज्य पारेषण लोकसेवा के लिए अपनी विद्युत क्रय योजना की एक प्रति अग्रेषित करेगा:

परंतु यह कि वितरण लाइसेंसधारी विद्युत क्रय योजना की तैयारी के समय राज्य पारेषण उपयोगिता से परामर्श करेगी, ताकि पारेषण सिस्टम योजना के साथ इस तरह की योजना की संगतता सुनिश्चित हो सके।

13.13 वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत क्रय लागू यूपीईआरसी (टैरिफ निर्धारण की बहुलकताओं) विनियमावली, 2023 के अनुसार होगा।

13.14 वितरण लाइसेंसधारी केवल प्रचलित बाजार तंत्रों के माध्यम से अल्पकालिक विद्युत की क्रय कर सकते हैं, जैसे कि विद्युत विनियम, DEEP /PUSHP पोर्टल पर प्रतिस्पर्धी बोली या सीधे अन्य राज्यों के वितरण लाइसेंसधारियों के साथ द्विपक्षीय बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से या व्यापारिक लाइसेंसधारियों के माध्यम से।

13.15 वितरण लाइसेंसधारी भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एसबीडी दिशानिर्देशों और टैरिफ नीति के अनुसार दीर्घकालिक/ मध्यम अवधि/ मध्यम अवधि/ अल्पकालिक नवीकरणीय ऊर्जा की क्रय करेगा, जो विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना में अग्रिमकाल को ध्यान में रखते हुए आरपीओ को पूरा करता है।

13.16 विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) के माध्यम से विद्युत की लागत को टैरिफ में इस शर्त के अधीन होने की अनुमति दी जाएगी कि डीएसएम के माध्यम से विद्युत की मात्रा आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत क्रय की कुल वार्षिक मात्रा के 5% तक सीमित होगी।

13.17 आयोग लघु/ मध्यम/ दीर्घकालिक विद्युत क्रय की औसत दर पर एक सीमा लगा सकता है।

#### 14- अतिरिक्त विद्युत क्रय

14.1 वितरण लाइसेंसधारी आयोग की पूर्व अनुमोदन के बिना केवल प्रचलित बाजार तंत्रों के माध्यम से विद्युत की क्रय के लिए आपातकाल में एक अल्पकालिक व्यवस्था या समझौता कर सकता है, जो वितरण प्रणाली की स्थिरता को खतरे में डालता है या विद्युत की मांग में कमी/ एक अनुमोदित स्रोत से विद्युत की आपूर्ति में कमी/ विफलता को रोकता है, या जब ग्रिड विफलता को रोकने के लिए ऐसा करने के लिए एसएलडीसी द्वारा निर्देशित किया जाता है:

परंतु यह कि पहले से अनुमोदित स्रोत के अलावा किसी स्रोत से खरीदी गई विद्युत की मात्रा में कोई विचरण को, जो आयोग द्वारा अनुमोदित कुल वार्षिक मात्रा के 5% से अधिक है, पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी:

परंतु यह भी कि 15 दिनों के भीतर किसी समझौते की तिथि से या अल्पकालिक विद्युत क्रय के लिए व्यवस्था जिसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, वितरण लाइसेंसधारी आयोग को प्रमात्रा, टैरिफ, गणना, अवधि, आपूर्तिकर्ताओं के विवरण और आयोग द्वारा आवश्यक अन्य विवरणों सहित विवरण प्रस्तुत करेगा।

14.2 जहां वितरण लाइसेंसधारी ने आपूर्ति के एक नए अल्पकालिक स्रोत की पहचान की है, जिसमें से उस टैरिफ पर विद्युत की क्रय की जा सकती है जो उसकी अनुमोदित कुल विद्युत क्रय लागत को कम करता है, तो आयोग की पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसे आपूर्तिकर्ता के साथ एक अल्पकालिक विद्युत क्रय समझौता या व्यवस्था कर सकता है।

#### 15 -अधिशेष विद्युत का निपटान

15.1 वितरण लाइसेंसधारियों को विद्युत विनिमय केंद्रों को अपवर्जित करके विद्युत क्रय के अनुमोदित स्रोतों से खरीदे गए अधिशेष विद्युत के बैंकिंग की अनुमति दी जाएगी।

15.2 वितरण लाइसेंसधारियों को विद्युत विनिमय केंद्रों पर अधिशेष विद्युत बेचने की अनुमति दी जाएगी:

परंतु यह कि किसी उत्पादन स्टेशन से अधिशेष विद्युत की बिक्री मेरिट ऑर्डर डिस्पैच का जो हिस्सा है वह उस स्टेशन से उपलब्ध अधिशेष विद्युत के चर प्रभार से कम नहीं होगा:

परंतु यह भी कि आयोग आदेश के माध्यम से विद्युत की ऐसी बिक्री के लिए एक सीमा निर्धारित कर सकता है:

परंतु यह भी कि इन नियमों की अधिसूचना से पहले जारी आयोग का कोई भी आदेश विद्युत की ऐसी बिक्री के लिए एक सीमा स्थापित करता रहेगा।

#### 16- ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार

16.1 ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की गणना:-

(1) इस विनियमावली के प्रयोजनों के लिए "ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार" (एफपीपीएस) का अर्थ है, आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत आपूर्ति की लागत के संदर्भ में ईंधन लागत, विद्युत क्रय लागत और पारेषण प्रभार में विचरण के कारण उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की लागत में विचरण।

(2) एफपीपीएस की गणना तथा उपभोक्ताओं को बिल लागू टैरिफ आदेश (आयोग द्वारा अनुमोदित नियामक छूट का शुद्ध, यदि कोई हो) में परिभाषित, स्वचालित रूप से, नियामक अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरने के बिना, मासिक आधार पर, आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूला के अनुसार, विनियम -16.2 में निर्दिष्ट, टू-अप के अनुसार, वार्षिक आधार पर दिया जाएगा।

(3) एफपीपीएस की गणना शुल्कीकरण, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा, (उक्त+3) वें महीने में, वास्तविक विचरण के आधार पर, ईंधन और विद्युत की क्रय की लागत में और उक्त महीने के दौरान खरीदी जाने वाली विद्युत के लिए अंतर और आंतर-राज्य पारेषण प्रभारों में किया जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी भी वित्तीय वर्ष के अप्रैल के महीने के दौरान आपूर्ति की गई विद्युत के लिए टैरिफ में विचरण के कारण एफपीपीएस की गणना जुलाई के महीने में करके बिल दिया जाएगा। इसी प्रकार, यदि एफपीपीएस किसी भी वित्तीय वर्ष के जनवरी के दौरान आपूर्ति की गई विद्युत के लिए है, तो इसे अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल में वसूल किया जाएगा:

परंतु यह कि सकारात्मक एफपीपीएस के मामले में, यदि वितरण लाइसेंसधारी इस समय-सीमा में, विनियम 16 (1)(4) में प्रदत्त अधिकतम सीमा के अधीन, किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति के अपवाद को छोड़कर, पूरी तरह से एफपीपीएस की गणना करके चार्ज करने में विफल रहता है, तो ऐसा लाइसेंसधारी एफपीपीएस के लिए लागत की वसूली का अधिकार, टू-अप के समय वसूली का अधिकार खो देगा:

परंतु यह भी कि नकारात्मक एफपीपीएस के मामले में, यदि वितरण लाइसेंसधारी पूरी तरह से एफपीपीएस की गणना करके चार्ज करने में विफल रहता है, तो सीमा के अधीन, विनियम -16.1 (4) में प्रदान की गई, इस समय के भीतर, किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति के अपवाद को छोड़कर, इस तरह का एफपीपीएस लाइसेंसधारक से टू-अप के समय उसकी वहन लागत के साथ वसूल किया जा सकेगा, जो इन विनियमों के अंतर्गत वहन लागत दर का 1.20 गुना होगा।

(4) मासिक एफपीपीएस +/- 10% दर (आयोग द्वारा अनुमोदित नियामक छूट का शुद्ध, यदि कोई हो) या ऐसी अन्य सीमा से अधिक नहीं होगा, जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है:

परंतु यह कि इस तरह की सीमा के कारण एफपीपीएस में किसी भी कम-वसूली या अधिक-वसूली को अग्रिम किया जाएगा और इसे विनियमन में दी गई सीमा के अधीन बाद के महीनों में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा समायोजित किया जाएगा।



(5) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा एफपीपीएस के कारण वसूल राजस्व का टू-अप, इन नियमों के अनुसार विचार के तहत वर्ष के लिए बाद में किया जाएगा।

एफपीपीएस हेतु वर्ष के लिए अतिरिक्त राजस्व वसूल होने के मामले में, इन नियमों के तहत वहन लागत दर के 1.20 गुना शुल्क लेने के लिए टू-अप के समय लाइसेंसधारी वसूल किया जाएगा और एफपीपीएस हेतु राजस्व के कम-वसूली को टू-अप के समय इन नियमों के तहत वहन लागत के साथ अनुमति दी जाएगी।

यदि वितरण लाइसेंसधारी यह दर्शाता है कि एफपीपीएस को फार्मूला लागू करके निर्धारित किया गया है और एफपीपीएस के मुकाबले अतिरिक्त/कम राजस्व वसूली बिलिंग निर्धारकों में विचरण या टू-अप के समय आयोग द्वारा विद्युत की क्रय को अस्वीकृत करने के कारण है तो, इन विनियमावली के तहत सरल वहन लागत दर लागू की जाएगी।

(6) वितरण लाइसेंसधारी इस तरह के विवरणों को, निर्धारित प्रारूपों में, किए गए व्ययों और एफपीपीएस के बीच विचरण और सामान्य टैरिफ के टू-अप के दौरान आयोग द्वारा आवश्यक रूप से विस्तृत गणना और सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा।

(7) एफपीपीएस तंत्र और इसकी वसूली के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि इसे ध्यान में रखने के लिए बिलिंग प्रणाली को अपडेट किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत बिलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा कि बिलिंग और मीटरिंग विक्रेता से निरपेक्ष अंतर-परिचालकता या उपलब्ध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए एक समान बिलिंग सिस्टम हो।

(8) लाइसेंसधारी एफपीपीएस फॉर्मूला, मासिक एफपीपीएस की गणना और अपनी वेबसाइट पर एफपीपीएस (स्वचालित और अनुमोदित भागों के लिए अलग-अलग) की वसूली सहित सभी विवरण प्रकाशित करेगा और एक समर्पित वेब पते के माध्यम से उसे संग्रहीत करेगा।

16.2 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की गणना के लिए सूत्र:

(1) सूत्र:

$$\text{निर्दिष्ट महीने के लिए मासिक FPPAS (\%)} = \left[ \frac{(A-B)*C+(D-E)^{\$} + \text{समा. कारक}}{Z * \text{ABR}} \right] \times 100\%$$

<sup>§</sup> की गणना उस स्थिति में की जाएगी जब आंतर-राज्यीय या अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार प्रति यूनिट के आधार पर नहीं है

जहाँ,

$n^{\text{th}}$  महीने का अर्थ है वह महीना जिसमें FPPAS घटक की बिलिंग की जाती है। यह FPPAS  $(n-3)^{\text{th}}$  महीने में आपूर्ति की गई विद्युत के लिए टैरिफ में विचरण के कारण है

A,  $(n-3)^{\text{th}}$  महीने में खरीदी गई कुल इकाइयाँ (किलोवाट घंटे में) हैं, जिनमें दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक विद्युत क्रय शामिल हैं (इसे वितरण लाइसेंसधारियों को जारी किए गए बिलों से लिया जाएगा)

B  $(n-3)^{\text{th}}$  महीने में सभी स्रोतों से विद्युत की थोक बिक्री है (किलोवाट घंटे में) = (प्रत्येक महीने की 10 तिथि तक राज्य उद्भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किए जाने वाले अनंतिम खातों से लिया जाएगा)।

C वृद्धिशील औसत विद्युत क्रय लागत (ईंधन लागत में विचरण सहित) =  $(n-3)^{\text{th}}$  महीने में सभी स्रोतों से वास्तविक औसत विद्युत क्रय लागत (पीपीसी) (₹./ kWh) (गणना की गई) - वर्ष के लिए सभी स्रोतों से अनुमोदित औसत विद्युत क्रय लागत (पीपीसी) (₹./ kWh) (नवीनतम उपलब्ध टैरिफ आदेश से लिया जाएगा) है।

D =  $(n-3)^{\text{th}}$  महीने में वास्तविक अंतर-राज्यीय और आंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार, (ट्रांसको द्वारा डिस्कॉम को बिल से) (रुपये में)

E =  $(n-3)^{\text{th}}$  महीने के लिए पारेषण प्रभार की आधार लागत = (स्वीकृत पारेषण प्रभार/12) (रुपये में)

समायोजन कारक =  $(n-5)^{\text{th}}$  महीने के लिए ईंधन और विद्युत क्रय लागत में विचरण  $(A-B)*C+(D-E)$  के रूप में गणना) -  $(n-2)^{\text{th}}$  महीने में ' $(n-5)^{\text{th}}$  महीने' के लिए एफपीपीएस का उपयोग करके वसूली गई राशि

Z = खुदरा उपभोक्ताओं को किलोवाट घंटे में स्वीकृत इकाई बिक्री टैरिफ आदेश में अनुमोदित  $n^{\text{th}}$  महीने के लिए खुदरा उपभोक्ताओं को kWh में बिक्री या टैरिफ याचिका आयोग के समक्ष लंबित होने की स्थिति में टैरिफ याचिका में अनुमानित  $n^{\text{th}}$  महीने के लिए खुदरा उपभोक्ताओं को kWh में बिक्री। यदि टैरिफ याचिका दायर नहीं की गई है, तो FPPAS प्रभारित नहीं किया जाएगा।

ABR = वर्ष के लिए औसत बिलिंग दर (रुपये/kWh में नवीनतम उपलब्ध टैरिफ आदेश से लिया जाएगा)

(2) उपर्युक्त "C" की गणना में उपयोग की गई वास्तविक विद्युत क्रय लागत में विचलन निपटान तंत्र के कारण कोई भी प्रभार शामिल नहीं होगा। इसे आयोग द्वारा अनुमोदित टू-अप के माध्यम से समायोजित किया जाएगा।

(3) उपर्युक्त "C" की गणना में प्रयुक्त वास्तविक विद्युत क्रय लागत में सहायक सेवाएं और सुरक्षा बाध्य आर्थिक प्रेषण प्रभार शामिल नहीं होंगे। इसे आयोग द्वारा अनुमोदित टू-अप के माध्यम से समायोजित किया जाएगा।

(4) टू-अप के समय, स्वीकार्य विद्युत क्रय लागत का निर्धारण करते समय, आयोग यथा-संशोधित यूपीईआरसी (मेरिट ऑर्डर प्रेषण और विद्युत क्रय का अनुकूलन) विनियमावली, 2021 पर भी विचार करेगा।

**भाग-सी: वित्तीय सिद्धान्त****17-वित्तीय बुद्धिमत्ता**

17.1 लाइसेंसधारी अपने वित्त का प्रबंधन सर्वोत्तम एवं बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से करेगा।

17.2 आयोग लाइसेंसधारी के एआरआर तथा टैरिफ के निर्धारण में निम्न कारकों के संबंध में वित्तीय बुद्धिमत्ता का आकलन करेगा:-

- (क) राजस्व
- (ख) पूंजीगत व्यय / लागत
- (ग) अन्य व्यय:

परंतु यह कि आयोग विवेकपूर्ण जांच के पश्चात अक्षमता या दण्डात्मक उपाय के आधार पर एआरआर के किसी भाग को अस्वीकृत कर सकता है।

17.3 राजस्व से संबंधित वित्तीय बुद्धिमत्ता निम्न मानदण्ड के आधार पर निर्धारित की जाएगी:

- (a) क्या उप-श्रेणीवार बिक्री के अनुमान वास्तविक प्राकलन पर आधारित है तथा वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिक्री में असंगत वृद्धि/कमी प्रस्तावित करने हेतु पर्याप्त कारण प्रस्तुत किये गये हैं;
- (b) क्या कुल योग में मीटर युक्त उपभोक्ताओं एवं मीटर युक्त उपभोग का प्रतिशत आयोग द्वारा उसके टैरिफ/ अन्य आदेशों में अनुमोदित किये गये अनुमानों के समान हैं:

परंतु यह कि गैर-युक्त उपभोक्ताओं के लिए बिक्री का आकलन, यदि कोई (LMV-5 को छोड़कर) एक ही श्रेणी या उप-श्रेणी के भीतर मीटर युक्त उपभोक्ताओं के खपत/ kW/ महीने का 75%, या किसी आदेश के माध्यम से आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य सीमा के अधीन किया जाएगा:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त मूल्यांकन से अधिक बिक्री के लिए विद्युत क्रय व्यय आयोग द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि लाइसेंसधारी एलएमवी-10 (विभागीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स) श्रेणी में दिनांक 31-03-2020 तक 100% मीटरिंग पूरी करेगा, जिसमें असफल होने की स्थिति में आयोग LMV-1 श्रेणी में शहरी मीटर वाले उपभोक्ताओं की औसत वार्षिक खपत पर दोगुना वार्षिक खपत पर प्रति व्यक्ति खपत पर विचार करके मानित राजस्व की गणना करेगा, जिसकी LMV-1 के उच्चतम टैरिफ खंड दर पर गणना की जाती है।

- (c) क्या संकलित राजस्व आयोग द्वारा उसके टैरिफ/ अन्य आदेशों में अनुमोदित किये गये अनुमानों के समान है।

17.4 पूंजीगत व्यय से संबंधित वित्तीय विवेकपूर्ण आकलन निम्न मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा:-

- (a) क्या प्रक्षेपित पूंजी-व्यय और पूंजीकरण वास्तविक अनुमानों पर आधारित है और वितरणलाइसेंसधारी द्वारा प्रक्षेपित पूंजी-व्यय तथा पूंजीकरण में किसी असंगत वृद्धि के लिए पर्याप्त औचित्य दिया गया है;
- (b) अपने मूल समय-सरिणी के संबंध में परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की निगरानी के लिए लगाए गए तंत्र;
- (c) पूंजीगत व्यय योजनाओं की भौतिक प्रगति के अनुसार ऋण का इष्टतम आहरण, और ऐसे ऋणों का दक्ष उपयोग;
- (d) यदि वास्तविक पूंजीगत व्यय और पूंजीकरण आयोग द्वारा अनुमोदित राशि से 10% से अधिक हो जाता है, तो लाइसेंसधारी इस तरह की अतिरिक्तता के लिए एक विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करेगा, अपनी टू-अप याचिका के साथ;
- (e) यदि आयोग की मंजूरी के बावजूद वर्ष के दौरान कोई योजना शुरू नहीं की गई है, तो विस्तृत औचित्य टू-अप याचिका के साथ प्रस्तुत किया जाएगा;
- (f) आयोग द्वारा अनुमोदित CAPEX योजना और उनकी सेवानिवृत्ति, प्रतिस्थापन या विलोपन/ समायोजन के अनुसार परिसंपत्तियों का निर्माण;
- (g) प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी तरीके से वास्तु और सेवाओं की क्रय;
- (h) फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में संपत्ति को उचित रूप से अभिलेख-बद्ध करना;
- (i) क्या क्रय की गई संपत्ति, जैसे कि भूमि का वास्तव में उपयोग किया गया है।

17.5 अन्य व्यय के संबंध में वित्तीय विवेकपूर्ण आकलन निम्न मानदण्डों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा:-

- (a) अर्जित राजस्व के सापेक्ष व्यय की निगरानी करना ताकि लाइसेंसधारी के व्यय और अन्य संस्थाओं के प्रति भुगतान दायित्वों को समय पर पूरा किया जा सके;
- (b) स्वीकृत व्यय के अनुपालन की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें दीर्घकालिक ऋणों और कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज भुगतान की समय-सारिणी शामिल है;
- (c) इन विनियमों में प्रदत्त निर्धारण के अनुसार, बिजली क्रय व्यय को अनुकूलित करने के उद्देश्य से बिजली क्रय की पारदर्शी पद्धति;
- (d) बिजली की आवश्यकता, एमओडी/एससीईडी, अनिवार्य रूप से चलने वाले संयंत्र और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र, विभिन्न स्रोतों से बिजली की क्रय की दर और अधिशेष बिजली की बिक्री के लिए बाजार दर, यदि कोई हो, के बीच अंतर के आधार पर अतिरिक्त शुद्ध राजस्व अर्जित करने की क्षमता जैसे कारकों पर विचार करते हुए बिजली की इष्टतम क्रय;

### 18- पूंजीगत व्यय/लागत एवं पूंजीगत ढाँचा

18.1 पूंजी विनियोग परियोजना के लिए पूंजीगत लागत में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(a) आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षणों के उपरांत स्वीकार किये गये निर्माण काल में ब्याज तथा वित्तीय प्रभार सहित किया गया व्यय या प्रस्तावित व्यय:

परंतु यह कि निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) की गणना वास्तविक ऋण और प्रामाणिक ऋण पर विचार करने के बाद वास्तविक सीओडी तक धन के विवेकपूर्ण चरणबद्धता को ध्यान में रखते हुए की जाएगी:

परंतु यह कि परिणियोजित धन के 30% से अधिक लाभांश के अनुरूप एक मानक ऋण पर आईडीसी को केवल उन मामलों में अनुमति दी जाएगी जहां एक समान-स्तर आधार पर लाभांश का वास्तविक आंतरकीकरण परिणियोजित कुल धन का 30% से अधिक है और इसकी गणना तिमाही आधार पर की जाएगी:

परंतु यह भी कि यदि वास्तविक ऋण के आंतरकीकरण से पहले मानक ऋण पर आईडीसी की अनुमति दी जाती है तो, इस तरह के आईडीसी की गणना के लिए ब्याज की दर संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित के रूप में 1-वर्षीय एसबीआई एमसीएलआर के बराबर होगी:

परंतु यह भी कि आईडीसी मानक ऋण पर वास्तविक ऋण के आंतरकीकरण के बाद की गणना उस संबंधित तिमाही के लिए ब्याज के भारित औसत दर (डब्ल्यूएआरओआई) के आधार पर की जाएगी।

परंतु यह भी कि मानक ऋण पर आईडीसी की तभी अनुमति दी जाएगी जब लाइसेंसधारी द्वारा यह दर्शाया जाता है कि मानक ऋण पर आईडीसी उपभोक्ताओं को लाभान्वित करता है।

(b) इस विनियमावली में निर्दिष्ट दरों की सीमा के अधीन पूंजीगत प्रारम्भिक कल-पुर्जे;

(c) आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत स्वीकृत लाइसेंसधारी द्वारा पथाधिकार प्राप्त करने पर किया गया व्यय;

(d) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के उपयुक्त घटकों पर संविभाजित व्यय को शामिल करते हुए निर्माण की अवधि में प्रासंगिक व्यय;

(e) आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के पश्चात अनुमोदित, विदेशी मुद्रा जोखिम विचरण के कारण कोई भी लाभ या हानि है, वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक उपयुक्त ऋण राशि से संबंधित:

परंतु यह कि वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक लिये गये ऋण की धनराशि से संबंधित विदेशी विनिमय जोखिम विचरण के फलस्वरूप लाभ या हानि पूंजी लागत के ऋण अंश के नामे ही समायोजित किया जा सकता है:

परंतु यह भी कि परिसंपत्तियों की पूंजीगत लागत जो परियोजना का भाग है, परन्तु प्रयोग में नहीं लायी गयी है या उपयुक्त है उसे पूंजीगत लागत से अलग रखा जाएगा:

परंतु यह भी कि लाइसेंसधारी अपने इस दावे के समर्थन में कि परिसंपत्तियों का प्रयोग हो रहा है, अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

18.2 विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजीगत लागत टैरिफ के निर्धारण का आधार होगा।

18.3 किसी योजना पर मौलिक कार्यक्षेत्रों के लिए परिचालन के प्रारंभ की तिथि पर वास्तविक पूंजीगत व्यय पर विचार लाइसेंसधारी या परियोजना के लेखा-परीक्षित लेखा-विवरणों पर आधारित, जैसी स्थिति हो, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच की शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा।

18.4 टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा अनुमत की गयी पूंजीगत लागत लाइसेंसधारी द्वारा तैयार की गयी एवं आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी पूंजी निवेश योजना पर आधारित होगी।

18.5 पूंजीगत लागत में संयंत्र एवं मशीनरी लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्रारम्भिक कल-पुर्जे निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन शामिल किये जा सकेंगे:-

(a) वितरण प्रणाली

(i) वितरण लाइन:	1.0%
(ii) वितरण उप-स्टेशन:	4.0%
(iii) संचार सिस्टम:	3.50%

(b) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली

1.0%

18.6 परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव स्वीकार किया जाएगा बशर्ते इसका परिणाम लाइसेंसधारी की टैरिफ में वृद्धि में नहीं होता:

परंतु यह कि ऐसे पुनर्मूल्यांकन का कोई लाभ, एआरआर/टैरिफ निर्धारण या टूइंग-अप, जैसा मामला हो, के समय वितरण लाइसेंसधारियों के उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।

18.7 पुरानी स्थावर परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण या जीवन काल के विस्तार पर कोई व्यय, जैसा लाइसेंसधारी पर लागू हो, को मूल्य पूंजीगत लागत से ऐसे प्रतिस्थापित की गयी परिसम्पत्तियों के शुद्ध मूल्य अपलेखित करने के पश्चात विचार किया जाएगा तथा निम्नवत परिकलित किया जाएगा:

प्रतिस्थापित परिसम्पत्तियों का शुद्ध मूल्य = ओसीआरए – एडी;

जहाँ;

ओसीआरए: प्रतिस्थापित परिसम्पत्तियों की मूल पूंजी लागत

एडी: प्रतिस्थापित परिसम्पत्तियों से संबंधित संचयी मूल्यहास:

परंतु यह कि यदि किसी कारण से प्रतिस्थापित की गयी परिसम्पत्तियों की मूल पूंजी लागत उपलब्ध नहीं है तो इसे आयोग द्वारा प्रकरण दर प्रकरण आधार पर विचार किया जाएगा:

परंतु यह भी कि जिस परिसम्पत्ति के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है उसके क्षतिग्रस्त के लिए प्राप्त बीमा प्राप्ति आय की धनराशि को पहले बकाया वास्तविक या साधारण ऋण की तरह समायोजित किया जाएगा तथा शेष धनराशि यदि कोई हो, को ऐसे प्रतिस्थापित की गयी परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत कम करने के लिए उपयोग किया जाएगा तथा और किसी अवशेष धनराशि को और गैर-टैरिफ आय के रूप में माना जाएगा।

### 19. ऋण-लाभांश

19.1 आयोग द्वारा अनुमोदित 31.03.2025 को लाभांश का समापन तुलन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आरंभिक लाभांश के रूप में लिया जाएगा।

19.2 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित पूंजी निवेश योजना के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि को ऋण-लाभांश अनुपात टैरिफ के निर्धारण के लिए विवेकपूर्ण जांच के आधार पर उपभोक्ता अंशदान/ निक्षेप कार्य / पूंजीगत सहायिकी / अनुदान द्वारा वित्त पोषित सम्पत्तियों के उपयुक्त समायोजन के पश्चात विनियम 18 के अन्तर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजी लागत की धनराशि का 70:30 होगा:

परंतु यह कि यदि वास्तव में परियोजित की गयी लाभांश पूंजीगत लागत का 30% से अधिक है तो 30% से अधिक लाभांश को टैरिफ के निर्धारण के लिए लाइसेंसधारी के लिए मानदण्ड सम्बन्धी ऋण के रूप में माना जाएगा:

परंतु यह भी कि लाइसेंसधारी लाभांश के वास्तविक परियोजन हेतु अभिलेखा साक्ष्य प्रस्तुत करेगा एवं लाभांश के लिए निधियों के स्रोत स्पष्ट करेगा:

परंतु और भी कि यदि वास्तविक रूप से परिनियोजित लाभांश पूंजीकृत परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के 30% से कम है, तो टैरिफ के निर्धारण के लिए वास्तविक लाभांश पर विचार किया जाएगा:

परंतु यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित लाभांश को प्रत्येक निवेश की तिथि पर भारतीय रुपए में नामित किया जाएगा:

परंतु और भी कि परिसंपत्तियों की समाप्ति या प्रतिस्थापन या विलोपन/समायोजन के मामले में, ऊपर वर्णित अनुसार अनुमोदित लाभांश पूंजी, ऐसी परिसंपत्तियों की मूल लागत के 30% (या दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वास्तविक लाभांश घटक, यदि यह 30% से कम है) की सीमा तक कम हो जाएगी:

परंतु यह भी कि परिसम्पत्तियों की सेवा-वृत्ति या प्रतिस्थापन या विलोपन/समायोजन की दशा में अनुमोदित ऋण पूंजी को, जैसा कि उपर्युक्त वर्णित किया गया है, अभिलेख साक्ष्य या सामान्य ऋण अंश, जैसी स्थिति हो, के आधार पर ऐसी परिसम्पत्तियों की मूल लागत के बकाया ऋण अंश की सीमा तक कम कर दिया जाएगा।

### 20- मूल्यहास

20.1 लाइसेंसधारी को अपने संबंधित व्यवसायों में प्रयोग की गयी स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य पर निम्न तरह से आगणित मूल्य हास वसूल करने की अनुज्ञा दी जाएगी:-

(a) स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुमोदित मूल लागत मूल्य हास की गणना के लिए आधार मूल्य होगा:

परंतु यह कि मूल्यहास नई परिसम्पत्तियों की समस्त पूंजीकृत धनराशि पर सेवा से निवृत्त, पुनर्स्थापित या अपूंजीकृत परिसम्पत्तियों की अनुमोदित मूल लागत को घटाकर अनुमत किया जाएगा।

(b) वर्तमान संपत्तियों के लिए मूल्यहास की अनुमति विनियमावली के अनुलग्नक-ए में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर तथा नियंत्रण अवधि के दौरान पूंजीकृत संपत्तियों के लिए अनुलग्नक-बी में बताई गई दरों पर, वार्षिक रूप से दी जाएगी:

परंतु यह कि लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि जब लाइसेंसधारी के प्रस्तुतीकरण एवं आयोग के अनुमोदन के अनुसार प्रत्येक सम्पत्ति 70 प्रतिशत तक हासित हो गयी हो, तो समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च को बचे हुए मूल्यहास योग्य मूल्य को सम्पत्ति के बढ़े हुए जीवनकाल को शामिल करते हुए बचे हुए उपयोगी जीवनकाल में बांट दिया जाएगा।

(c) परिसम्पत्तियों का रक्षित मूल्य अनुज्ञेय पूंजीगत लागत का 10% माना जाएगा तथा मूल्यहास परिसम्पत्ति की अनुज्ञेय पूंजीगत लागत का अधिकतम 90% तक अनुमत किया जाएगा:

परंतु यह कि स्वामित्व वाली भूमि को मूल्यहास योग्य परिसम्पत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा तथा मूल्यहास की गणना करते समय पूंजीगत लागत में शामिल नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि मूल्यहास वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से स्वीकार्य होगा;

परंतु यह भी कि आईटी उपकरण, सॉफ्टवेयर और भूमिगत केबल के निस्तारण मूल्य को शून्य माना जाएगा और मूल्यहास के लिए परिसंपत्तियों के 100% मूल्य पर विचार किया जाएगा।

(d) मूल्यहास उपभोक्ता अंशदान या सहायिकियों/अनुदानों/निक्षेप कार्य द्वारा वित्तपोषित परिसम्पत्तियों पर अनुमत नहीं होगा।

20.2 विद्यमान परिसम्पत्तियों के संबंध में, मूल्यहास की गणना के उद्देश्य के लिए, जीएफए के प्रारम्भिक मूल्य को 31 मार्च, 2025 को समापन मूल्यों के रूप में लिया जाएगा, जैसा कि इसके टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

20.3 परिसम्पत्तियों के प्रस्तावित वाणिज्यिक प्रचालन के संबंध में वर्ष के किसी भाग के लिए मूल्यहास परिसम्पत्तियों के प्रारम्भिक एवं अन्तिम मूल्य के औसत के आधार पर गणना की जाएगी।

20.4 टूट-अप के समय लेखा-परीक्षित विवरणों तथा याचिकाकर्ता द्वारा पूंजीकृत की गयी परिसम्पत्तियों के अभिलेखा साक्ष्यों के आधार पर, आयोग द्वारा विवेकाधीन अनुमोदन के आधार पर, पूंजीकृत परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यहास की पुनः गणना की जाएगी।

**21- इक्विटी पर लाभ**

21.1 इक्विटी पर लाभ रुपये में इक्विटी आधार पर 15% कर उपरांत वार्षिक की दर से विनियम 19 के अनुसार की जाएगी:

परंतु यह कि उपभोक्ता अंशदान/निक्षेप कार्यो, पूंजीकृत सहायिकियों एवं अनुदानों द्वारा वित्तपोषित परिसम्पत्तियों के लिए इक्विटी पर लाभ अनुमत नहीं होगा।

**22- दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज**

22.1 इन विनियमावली में स्पष्ट की गई प्रणाली से परिसम्पत्तियों के प्रयोग में लाने के कारण दीर्घकालीन ऋणों को ऋण पर ब्याज की गणना के लिए सकल साधारण ऋण के रूप में माना जाएगा:

परंतु यह कि तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों के कार्य से निवृत्ति या प्रतिस्थापन या अपूंजीकरण/ समायोजन के संबंध में ऋण पूंजी उपरोक्तानुसार वर्णित के अनुसार अनुमोदित को अभिलेखा साक्ष्यों के आधार पर ऐसी परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक लागत के बकाया ऋण भाग की सीमा तक घटा दिया जाएगा।

22.2 31 मार्च, 2025 को बकाया अंतिम ऋण को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बकाया आरंभिक मानक दीर्घकालीन ऋण के रूप में लिया जाएगा।

22.3 प्रत्येक वर्ष के लिए दीर्घकालीन ऋणों की ऋण वापसी उस वर्ष के अनुमत मूल्यहास के बराबर मानी जाएगी।

22.4 किसी स्थगन अवधि का लाभ उठाने के बावजूद ऋण का पुनर्भुगतान सम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से माना जाएगा।

22.5 ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक दीर्घकालीन ऋण श्रेणी के आधार पर आगणित भारत औसत ब्याज की दर होगी:

परंतु यह कि यदि किसी विशेष वर्ष के लिए कोई वास्तविक दीर्घकालिक ऋण नहीं है, लेकिन मानक ऋण अभी भी बकाया है, तो मानक दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज की अनुमति देने के प्रयोजन के लिए ब्याज दर संबंधित वर्ष के दौरान प्रचलित भारत औसत एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) प्लस 100 आधार अंक होगी।

22.6 टू-अप के समय वर्ष के मानक औसत दीर्घकालीन ऋण पर भारत औसत ब्याज की दर लागू करते हुए दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज की गणना की जाएगी:

परंतु यह कि यदि किसी विशेष वर्ष के लिए कोई वास्तविक दीर्घकालिक ऋण नहीं है, लेकिन मानक ऋण अभी भी बकाया है, तो मानक दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज की अनुमति देने के प्रयोजन के लिए ब्याज दर संबंधित वर्ष के दौरान प्रचलित भारत औसत एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) प्लस 100 आधार अंक होगी।

22.7 दीर्घावधि ऋण पर ब्याज की गणना ब्याज के भारत औसत दर को लागू करते हुए उस वर्ष के मानक औसत दीर्घावधि ऋण के आधार पर की जाएगी:

परंतु यह की टूइंग-अप के समय आयोग द्वारा अनुमत उस वर्ष के वास्तविक परिसंपत्ति के पूंजीकरण के आधार पर मानक औसत ऋण पर विचार किया जाएगा।

**23 - बैंकिंग और वित्त प्रभार**

बैंकिंग और वित्त शुल्कों को टू-अप में वास्तविक के अनुसार अनुमति दी जाएगी, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन:

परंतु यह कि नवीनतम टू-अप वर्ष के लिए आयोग द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार बैंकिंग और वित्त शुल्क की अनुमति एआरआर में दी जाएगी।

**24- विदेशी विनिमय दर विचरण (FERV) की प्रतिरक्षा लागत**

24.1 लाइसेंसधारी विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज के संबंध में विदेशी विनिमय अनावरण से बचाव कर सकेगा तथा लिये गये विदेशी मुद्रा ऋण का पुनर्भुगतान, आंशिक या पूर्ण, लाइसेंसधारी के विवेक पर होगा।

24.2 प्रत्येक लाइसेंसधारी संबंधित वर्ष में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मानक विदेशी ऋण के समतुल्य विदेशी विनिमय दर विचरण के प्रतिरक्षा की लागत की वसूली उस अवधि में व्यय के रूप में करेगा जिसमें यह उत्पन्न होगा।

**25- कार्यशील पूंजी पर ब्याज**

25.1 वितरण व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- एक माह का प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- दो माह के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय के 40 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण कल-पुर्जे; तथा
- आने वाले वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ में विद्युत की बिक्री से अपेक्षित डेढ़ माह के राजस्व के बराबर, व्हीलिंग, क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से राजस्व सहित, यदि कोई हो, विद्युत शुल्क को छोड़कर, विद्युत शुल्क को छोड़कर;

ऋण-

(iv) वितरण प्रणाली उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा जमा के रूप में आयोजित राशि:

परंतु यह कि यदि उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर निर्धारित कार्यशील पूंजी सकारात्मक है तो उसे एआरआर में पिछले वर्ष के 31 मार्च तक के राजस्व अधिशेष (यदि कोई हो) की राशि से घटा दिया जाएगा, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो:

परंतु यह भी कि किसी वर्ष हेतु टूइंग-अप के लिए, अनुमोदित कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना, टूइंग-अप में आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यशील पूंजी के घटकों के मूल्यों के आधार पर फिर से की जाएगी।

25.2 कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर सामान्य ब्याज होगी एवं टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका प्रस्तुत करने की तिथि को एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) के साथ-साथ 200 आधार बिंदुओं के बराबर होगी:

परंतु यह कि किसी वर्ष के लिए टूइंग-अप के उद्देश्य से कार्यशील पूंजी पर सामान्य ब्याज संबंधित वर्ष के दौरान प्रचलित भारत औसत एसबीआई एमसीएलआर (1वर्ष) के साथ-साथ 200 आधार बिन्दुओं के बराबर दर पर अनुमत होगी।

25.3 उपभोक्ताओं की जमा प्रतिभूति पर दिया गया ब्याज विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 एवं किये गये संशोधनों / संवर्धन एवं इसके निरस्त होने के पश्चात नई विनियमावली के अनुसार देय होगा:

परंतु यह कि यदि, टू-अप के समय, यह निर्धारित किया जाता है कि सुरक्षा जमा पर भुगतान किया गया ब्याज निर्धारित मानदंडों के अनुसार देय ब्याज से कम है, तो कार्यशील पूंजी ऐसे राशि हास से कम हो जाएगी।

## 26- लाभांश पर कर

26.1 इन विनियमावली के विनियमन 21 के तहत आयोग द्वारा अनुमत लाभांश पर लाभ की दर को संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर (इसे आगे 'r' कहा गया है) के साथ जोड़ दी जाएगी। प्रभावी कर दर की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुमानित लाभ और कर के आधार पर की जाएगी, जिसका अन्य व्यवसाय और इसी कर की आय को छोड़कर संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के लिए उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू प्रासंगिक वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भुगतान किया जाएगा:

परंतु यह कि उसके लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के माध्यम के अलावा किसी भी आय पर कर देय नहीं होगा और यह लाइसेंसधारी द्वारा ही देय होगा:

परंतु यह भी कि यदि कोई वितरण लाइसेंसधारी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JB के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) का भुगतान कर रहा है, तो प्रभावी कर दर MAT दर होगी, जिसमें अधिभार और उपकर शामिल हैं:

परंतु यह भी कि यदि किसी वितरण लाइसेंसधारी ने धारा 115BAA के लिए चुना है, तो प्रभावी कर की दर, अधिभार और उपकर सहित कर दर होगी जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA में निर्दिष्ट किया गया है।

26.2 लाभांश पर लाभ की दर को तीन दशमलव स्थानों पर पूर्णांकित किया जाएगा और नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी:

$$\text{लाभांश पर कर-पूर्व आय} = \text{आधार दर} / (1-r)$$

26.3 वितरण लाइसेंसधारी किसी भी अतिरिक्त कर मांग के साथ भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर दर का टू-अप करेगा, जिसमें ब्याज भी शामिल है, जिसे किसी भी वित्तीय वर्ष की वास्तविक सकल आय पर इन नियमों के तहत आच्छादित किए गए टैरिफ अवधि से संबंधित आयकर अधिकारियों से प्राप्त ब्याज सहित कर के किसी भी प्रतिदाय के लिए विधिवत समायोजित किया गया है। इसके अलावा, वितरण लाइसेंसधारी के लिए भुगतान किए गए वास्तविक कर की गणना करते समय कर राशि के देर में जमा या कम जमा के कारण होने वाले किसी भी दंड पर विचार नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि यदि कोई वितरण लाइसेंसधारी धारा 115JB के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) का भुगतान कर रहा है, तो वितरण लाइसेंसधारी, अधिभार और उपकर सहित लागू MAT दर के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लाभांश पर लाभ की दर का टू-अप करेगा।

परंतु यह भी कि यदि कोई वितरण लाइसेंसधारी धारा 115BAA के तहत कर का भुगतान कर रहा है, तो वितरण लाइसेंसधारी, धारा 115BAA के तहत निर्दिष्ट अधिभार और उपकर सहित कर दर के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लाभांश पर लाभ की दर का टू-अप करेगा:

परंतु और भी कि किसी भी अंडर-वसूली या टूइंग-अप के बाद लाभांश पर लाभ पर सकल दर की वसूली, एक वर्ष के आधार पर वसूल किया जाएगा या उसका प्रतिदाय कर दिया जाएगा।

**27- छूट, प्रोत्साहन, अर्थदंड एवं विविध**

27.1 लाइसेंसधारी द्वारा अर्जित सभी छूटें या प्रोत्साहन, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित इसके गैर-टैरिफ आय के अन्तर्गत माना जाएगा जबकि लाइसेंसधारी द्वारा दी गयी सभी छूटें या प्रोत्साहन लाइसेंसधारी के लिए एक व्यय के रूप में अनुमत होगा।

27.2 लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान किया गया अर्थदण्ड, यदि कोई हो, लाइसेंसधारी को व्यय के रूप में अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि वितरण लाइसेंसधारी के उचित नियंत्रण के परे किन्हीं कारणों से उस पर भारित अर्थदंड / क्षतिपूर्ति (इसे उचित प्रमाण के साथ दस्तावेजों के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा जिससे आयोग संतुष्ट हो) विवेकपूर्ण जांच के आधार पर स्वीकृत की जाएगी:

परंतु यह कि आयोग, न्यायालयों, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल आदि के आदेशों के परिणामस्वरूप निष्पादन के किसी भी मानक को पूरा करने में विफलता या क्षति के लिए लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी पक्ष को देय दंड और मुआवजे को एआरआर के माध्यम से वसूल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु और भी कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान किए गए या देय ऐसे दंड और मुआवजे का यदि कोई हो, अलग-अलग विवरण बनाए रखेगा, और उन्हें अपनी याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

27.3 आयोग द्वारा इन विनियमावली में कार्यशील पूंजी पर दिये गये ब्याज की दर से विवेकपूर्ण जांच के पश्चात् वितरण लाइसेंसधारी के एआरआर अंतर पर वहन लागत दी जाएगी।

27.4 वितरण लाइसेंसधारी के राजस्व अधिशेष को पहले वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में समायोजित किया जाएगा और राजस्व अधिशेष राशि यदि कोई हो, को संतुलित किया जाएगा, संबंधित वर्ष के लिए आरबीआई नेट द्वारा आयकर द्वारा प्रकाशित बैंक दर के भारित औसत के अनुसार वहन लागत के लिए पात्र होगा:

परंतु यह कि वितरण लाइसेंसधारी केवल आरबीआई बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों या अनुसूचित बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदों जैसे जोखिम मुक्त प्रतिभूतियों में राजस्व अधिशेष का निवेश करेगा।

**भाग डी : वितरण लाइसेंसधारियों के लिए सकल राजस्व आवश्यकता का निर्धारण**

**28- वितरण लाइसेंसधारी के लेखा-विवरणों का पृथक्करण**

28.1 प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी वितरण तारों के व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए अलग-अलग लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखेगा और आयोग को अलग से टैरिफ निर्धारित करने में सक्षम करने के लिए एक आवंटन विवरण तैयार करेगा:

(a) वितरण तार व्यवसाय (व्हीलिंग);

(b) खुदरा आपूर्ति व्यवसाय:

परंतु यह कि यदि वितरण लाइसेंसधारी के वितरण तारों के कारोबार और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के बीच पूर्ण लेखांकन अलगाव नहीं किया गया हो, तो वितरण लाइसेंसधारी के एआरआर को वितरण तारों के व्यापार और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के बीच निम्न आवंटन मैट्रिक्स के अनुसार लागू किया जाएगा:

विवरण	वितरण तारों का व्यवसाय (%)	खुदरा आपूर्ति का व्यवसाय (%)
विद्युत क्रय व्यय (पीजीसीआईएल शुल्क सहित)	0%	100%
अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क	0%	100%
आंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार - (एसएलडीसी शुल्क सहित)	0%	100%
कर्मचारी लागत	60%	40%
ए एंड जी व्यय	40%	60%
आर एंड एम व्यय	90%	10%
ब्याज और वित्त प्रभार		
(a) दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज	90%	10%
(b) अन्य ब्याज और वित्त प्रभार	10%	90%
मूल्यहास	90%	10%
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0%	100%
लाभांश पर लाभ	90%	10%
आयकर	90%	10%
गैर-टैरिफ आय	10%	90%

परंतु यह कि आयोग, स्व-प्रेरणा आदेश के माध्यम से या अन्यथा, आवंटन मैट्रिक्स को संशोधित कर सकता है या किसी भी अतिरिक्त घटक के आवंटन का निर्धारण कर सकता है:

परंतु यह भी कि आवंटन मैट्रिक्स सभी या किसी भी व्यय और राजस्व के प्रमुखों के लिए लागू किया जाएगा, जहां वितरण तारों के व्यापार और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के बीच वास्तविक लेखांकन का पृथक्करण नहीं किया गया है:

परंतु यह भी कि आयोग वितरण लाइसेंसधारी को वितरण तारों के व्यापार और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए अलग-अलग याचिका दायर करने का आदेश दे सकता है।

### 29- वितरण लाइसेंसधारी के लिए सकल राजस्व आवश्यकता घटक

29.1 वितरण लाइसेंसधारी की खुदरा आपूर्ति के लिए व्हीलिंग शुल्क और टैरिफ एआरआर की वसूली के लिए होंगे, जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित होगा और जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:-

- (a) विद्युत क्रय व्यय;
  - (b) अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क;
  - (c) आंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क;
  - (d) एसएलडीसी शुल्क और शुल्क;
  - (e) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
  - (f) मूल्यहास;
  - (g) ऋण पूंजी पर ब्याज;
  - (h) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;
  - (i) उपभोक्ताओं को भुगतान किए गए उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज;
  - (j) बैंकिंग और वित्त शुल्क
  - (k) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान;
  - (l) लाभांश पर लाभ;
  - (m) लाभांश पर लाभ पर कर;
- ऋणात्मक:
- (n) गैर-टैरिफ आय;
  - (o) अन्य व्यवसाय से आय:

परंतु यह कि मूल्यहास, ऋण पूंजी पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, लाभांश पर लाभ, और लाभांश पर लाभ पर कर की अनुमति वितरण व्यवसाय के लिए इन नियमों के भाग डी में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी:

परंतु यह भी कि पूर्व अवधि की आय/व्यय की अनुमति आयोग द्वारा लेखा-परीक्षित खातों के आधार पर टू-अप के समय, मामले के आधार पर, विवेकपूर्ण जांच के अधीन होगी।

29.2 वितरण लाइसेंसधारी की खुदरा आपूर्ति के लिए व्हीलिंग शुल्क और टैरिफ को इन विनियमावली के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर टैरिफ के निर्धारण के लिए एक याचिका के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा:

परंतु यह कि खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ में उपभोक्ताओं से वसूली के उद्देश्य से स्थिर/मांग शुल्क, ऊर्जा शुल्क और किसी भी अन्य शुल्क/प्रोत्साहन का कोई भी संयोजन शामिल हो सकता है, जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाये:

परंतु यह भी कि आयोग निष्पादन मापदंडों के आधार पर वितरण लाइसेंसधारी के लिए क्षेत्र-वार टैरिफ का निर्धारण कर सकता है जैसा कि आयोग निर्धारित करे।

### 30- बिक्री का अनुमान

30.1 वितरण लाइसेंसधारी प्रत्येक टैरिफ श्रेणी / उप-श्रेणी में और प्रत्येक टैरिफ खंड को इस तरह के टैरिफ श्रेणी / उप-श्रेणी के भीतर प्रत्येक टैरिफ खंड के साथ-साथ अपेक्षित बिक्री का पूर्वानुमान, इन नियमों में निर्धारित अनुमोदन के लिए कमीशन को प्रस्तुत करेगा।

30.2 जब तक कि आयोग द्वारा अन्य प्रावधान न किया जाए, बिक्री का पूर्वानुमान उपभोक्ता श्रेणियों के प्रत्येक खंड में पिछले रुझानों पर आधारित होगा। खाते की अंकेक्षण की गई बहियों के अनुसार, या यदि वे उपलब्ध नहीं हैं, तो अंतिम खातों के अनुसार, उपभोक्ता श्रेणी के प्रत्येक खंड के अंतर्गत पिछले सात वर्षों की बिक्री के मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर विचार किया जाएगा:

परंतु यह कि वितरण लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस क्षेत्र के भीतर प्रत्येक वितरण फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अलग से श्रेणी-वार बिक्री, साथ ही साथ अपने लाइसेंस क्षेत्र में सकल श्रेणी-वार बिक्री के बारे में भी प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

30.3 बिक्री पूर्वानुमान इन नियमों के भाग बी के तहत विद्युत क्रय योजना के हिस्से के रूप में तैयार किए गए उद्धार पूर्वानुमान के अनुरूप होगा और पिछले डेटा और भविष्य के बारे में उचित मान्यताओं पर आधारित होगा।



**31- वितरण हानि**

31.1 वितरण लाइसेंसधारी बहुवर्षीय टैरिफ अवधि के पहले वर्ष के लिए एआरआर याचिका के साथ एटी एंड सी क्षति प्रक्षेपवक्र और संगत वितरण हानि प्रक्षेपवक्र प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि राज्य सरकारों द्वारा इसी तरह से सहमति व्यक्त की गई हो और किसी भी राष्ट्रीय योजना या कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, तो आयोग द्वारा भी ऐसा ही माना जाएगा:

परंतु यह कि आयोग वितरण लाइसेंसधारी के टैरिफ आदेश में वार्षिक वितरण हानि प्रक्षेपवक्र को निर्धारित कर सकता है।

31.2 पारेषण-वितरण इंटरफ़ेस प्वाइंट पर वितरण लाइसेंसधारी की विद्युत क्रय की आवश्यकता, आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण हानि के साथ बिक्री को बढ़ाकर गणना की जाएगी:

परंतु यह कि समग्र वितरण हानि की गणना करते समय वितरण लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस क्षेत्र के भीतर प्रत्येक वितरण फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए क्षति को भी ध्यान में रखे और अलग से उसे प्रस्तुत करे:

परंतु और भी कि वितरण लाइसेंसधारी अपनी वास्तविक याचिका में एक विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करेगा, यदि वितरण हानि वर्ष के लिए अनुमोदित स्तर से अधिक हो जाती है।

**32 - पूंजी निवेश योजना**

32.1 वितरण लाइसेंसधारी को अपनी एआरआर याचिका में, आगामी वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली सभी पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए, विस्तृत पूंजी निवेश योजना आयोग के विचारार्थ तथा विवेकपूर्ण जांच के लिए प्रस्तुत करनी होगी।

32.2 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, पूंजीगत व्यय परियोजना का तात्पर्य किसी स्थायी सुविधा के अधिग्रहण, निर्माण या सुधार के लिए किसी गैर-आवर्ती पूंजीगत व्यय कार्यक्रम से होगा।

32.3 पूंजी निवेश योजना के साथ ऐसी सूचना, विवरण और दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, जिनकी आवश्यकता हो सकती है, जिनमें उप-स्टेशनों की संख्या, एमवीए में विचरण क्षमता, विभिन्न क्षमताओं के वितरण ट्रांसफार्मरों का विवरण, एचटी:एलटी अनुपात के साथ-साथ प्रस्तावित निवेशों की आवश्यकता को दर्शाने वाली वितरण लाइन की लंबाई, विचारित विकल्प, लागत/लाभ विश्लेषण और अन्य पहलू शामिल हैं, जिनका टैरिफ पर प्रभाव पड़ सकता है।

32.4 पारेषण लाइसेंसधारी की अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के सशक्तिकरण करने एवं वृद्धि के लिए एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्तीय योजना एवं नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए भौतिक लक्ष्यों, भार वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने, आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, संकुलन में कमी आदि के अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत करेगा।

32.5 वितरण लाइसेंसधारी को अपने लाइसेंस क्षेत्र के अंतर्गत वितरण फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश योजना का अलग से विवरण प्रस्तुत करना होगा।

32.6 समान या संबंधित प्रकृति के पूंजीनिवेश कार्यों को एक साथ मिलाकर एक परियोजना के रूप में माना जाना चाहिए। आयोग के अनुमोदन हेतु विचार किए जाने वाले प्रत्येक परियोजना में शामिल निवेश का दायरा निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक संयोजन को शामिल करेगा, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:-

- i. लाइसेंस क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित नए सब-स्टेशनों को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए और संबंधित इनकमिंग और आउटगोइंग फीडरों सहित नए सब-स्टेशनों के लिए एक परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए,
- ii. संबंधित इनकमिंग और आउटगोइंग फीडरों सहित विभिन्न वोल्टेज स्तर पर ट्रांसफार्मर/सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि,
- iii. नए वितरण ट्रांसफार्मर/क्षमता वृद्धि,
- iv. लाइसेंस क्षेत्र के भीतर नई वितरण लाइनों और 11kV और 33kV नेटवर्क के विकास के लिए परियोजना
- v. ओवरहेड लाइनों को भूमिगत लाइनों में बदलने सहित लाइनों/केबलों के प्रतिस्थापन/संवर्द्धन के लिए परियोजना,
- vi. फीडरों के विभाजन के लिए परियोजना,
- vii. बिजली की चोरी रोकने के लिए परियोजना जिसमें एबी केबल्स के साथ अनावृत कंडक्टरों का रूपांतरण शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है,
- viii. सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ,
- ix. SCADA और संचार उपकरण,
- x. मीटरिंग परियोजना - उपभोक्ता मीटरिंग परियोजनाएँ या फीडर, वितरण ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन, AMI की मीटरिंग
- xi. पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन/ओवरहालिंग के लिए परियोजना,
- xii. प्रमुख सिविल कार्य - कार्यालय/अतिथि-गृह/कॉल सेंटर,
- xiii. एकल बिंदु को बहु-बिंदु संयोजन में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक पूंजी निवेश,
- xiv. राज्य/केन्द्र सरकार की नीति/योजना के तहत अनुमोदित एक स्वतंत्र पहचान योग्य परियोजना जो नीति/योजना के तहत आंशिक/पूर्णरूप से वित्त पोषित हो।

32.7 तीन या अधिक राजस्व जिलों में प्रचालन करने वाले लाइसेंसधारियों के लिए पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सभी पूंजीगत व्यय की परियोजनाओं, तीन से कम राजस्व जिलों में प्रचालन करने वाले लाइसेंसधारियों के लिए सात करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक मूल्य की सभी पूंजीगत व्यय परियोजनाओं, या आयोग द्वारा आदेश या अन्यथा के माध्यम से निर्धारित किसी वैकल्पिक सीमा से अधिक मूल्य की सभी पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए जो एआरआर याचिका पेश करते समय पूंजी नियोजन योजना में सम्मिलित नहीं की जा सकीं, पर जो राज्य या केंद्र सरकार द्वारा पोषित किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए या किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक हों। तथापि ऐसे परियोजनाओं के लिए तिमाही आधार पर आयोग की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी:

परंतु यह कि यदि उपर्युक्त सीमा से अधिक पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए पूर्व अनुमोदन नहीं लिया जाता है, तो आयोग उस वर्ष के लिए ऐसे पूंजीगत व्यय का 25% तक अस्वीकृत हो सकता है।

32.8 टू-अप के दौरान, अनुमोदित और पूर्ण लागत के बीच अंतर पर विचार करते हुए, विशेष रूप से उच्चतर पक्ष में महत्वपूर्ण अंतरों के औचित्य के साथ, संपूर्ण पूंजीगत व्यय को अंतिम मंजूरी दी जाएगी।

### 33- प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

33.1 वितरण लाइसेंसों के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (O&M) व्ययतीन घटकों के लिए गणना किए जाएंगे, अर्थात् (i) कर्मचारी व्यय, (ii) मरम्मत और रख-रखाव (R&M) व्यय, और (iii) प्रशासनिक और सामान्य (A&G) व्यय, जैसा कि इन नियमों में निर्धारित किया गया है।

33.2 प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के प्रत्येक घटक के लिए मानदंड इन विनियमों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। इसके बाद, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय नीचे दिखाए गए सूत्र के आधार पर गणना किए जाएंगे:-

$$O\&M_n = EMP_n + R\&M_n + A\&G_n$$

जहाँ:

$O\&M_n$  -  $n^{\text{th}}$  वर्ष के लिए O&M व्यय

$EMP_n$  -  $n^{\text{th}}$  वर्ष के लिए कर्मचारी व्यय

$R\&M_n$  -  $n^{\text{th}}$  वर्ष के लिए मरम्मत और रख-रखाव (R&M) व्यय

$A\&G_n$  -  $n^{\text{th}}$  वर्ष के लिए प्रशासनिक और सामान्य (A&G) व्यय

33.3 टूइंग-अप के समय, प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के प्रत्येक घटक के लिए लाभ या हानि को विनियमन 11 के अनुसार साझा किया जाएगा।

33.4 वेतन संशोधन, पेंशन योजना में बदलाव आदि का प्रभाव, उचित जांच के बाद, संबंधित घटक के सामान्य खर्चों के अतिरिक्त आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। हालांकि, एकबार का व्यय जैसे वेतन संशोधन, पेंशन योजना में बदलाव आदि के कारण बकाया भुगतान, संबंधित घटक के मानदंड के निर्धारण के लिए नहीं माना जाएगा।

33.5 यदि मानदंडों को स्थापित करने के लिए आवश्यक डेटा उपलब्ध नहीं है तो वितरण लाइसेंसधारी औचित्य के साथ ओ एंड एम मानदंडों का प्रस्ताव करेगा। आयोग विवेक जांच के बाद लाइसेंसधारी के लिए मानदंडों को मंजूरी देगा जो शेष नियंत्रण अवधि के लिए लागू होगा।

### कर्मचारी लागत

33.6 कर्मचारी की लागत 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले अंतिम पांच (5) वित्तीय वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित खातों में मूल्यों के औसत के आधार पर प्राप्त की जाएगी, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन हो। तथापि, यदि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेखा-परीक्षित खाते उपलब्ध नहीं हैं, तो पिछले पांच (5) वर्षों के लिए उपलब्ध लेखा-परीक्षित खातों पर विचार किया जाएगा और बाद में जब आधार वर्ष मूल्य उपलब्ध हो जाये (यानी वित्त वर्ष 2024-25) तो आधार वर्ष की फिर से गणना की जाएगी।

इस तरह की कर्मचारी लागत का औसत पिछले नियंत्रण अवधि के मध्य वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2025) के लिए कर्मचारी लागत के रूप में माना जाएगा और संबंधित वर्षों के सीपीआई पर विचार करते हुए, बाद के वर्षों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 तक वर्ष-दर-वर्ष बढ़ा दिया जाएगा।

यह शर्त है कि एकबार के व्यय जैसे वेतन संशोधन, पेंशन योजना में बदलाव आदि के कारण बकाया भुगतान के प्रभाव को मूल कर्मचारी लागत से हटा दिया जाएगा।

कर्मचारी लागत की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी:-

$$EMP_n = EMP_{n-1} \times (1 + \text{सीपीआई मुद्रास्फीति}) \times (1 + G_n)$$

जहाँ:

$EMP_n$ :  $n^{\text{th}}$  वर्ष के लिए कर्मचारी व्यय;

$EMP_{n-1}$ :  $(n-1)^{\text{th}}$  वर्ष के लिए कर्मचारी व्यय;

एआरआर के उद्देश्य से, सीपीआई मुद्रास्फीति औद्योगिक श्रमिकों (अखिल भारत) के लिए भारत सरकार के अनुसार, श्रम ब्यूरो के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का औसत है, जो तीन वित्तीय वर्षों से पहले के लिए है।

टू-अप के उद्देश्य से, सीपीआई मुद्रास्फीति संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रास्फीति को दशनि का वास्तविक बिंदु है।

जीएन उक्त वर्ष के लिए एक विकास कारक है और यह वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर शून्य से अधिक या कम हो सकता है। GN का मान आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में लाइसेंसधारियों के फाइलिंग, बेंचमार्किंग और किसी अन्य कारक के आधार पर अतिरिक्त जनविद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाएगा, जैसा भी आयोग उचित समझे।

#### मरम्मत और रख रखाव व्यय

33.7 निम्नलिखित के योग के रूप में आयोग द्वारा एआरआर/ टू-अप में मानक मरम्मत और रखरखाव व्यय की अनुमति दी जाएगी:-

(ए) आयोग द्वारा अनुमोदित जीएफए के 31.03.2025 से पहले @ 5% पूंजीकृत परिसंपत्तियों के लिए;

(बी) आयोग द्वारा अनुमोदित जीएफए के 31.03.2025 के बाद @ 3% पूंजीकृत परिसंपत्तियों के लिए;

परंतु यह कि उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार निर्धारित मानक आर एंड एम लागू करें या शुल्कों में विचरण के किसी भी प्रभाव को शामिल करेगा।

#### प्रशासनिक और सामान्य (ए एंड जी) व्यय

33.8 ए एंड जी व्यय 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले अंतिम पांच (5) वित्तीय वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित खातों में मूल्यों के औसत के आधार पर प्राप्त किया जाएगा, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन हो। तथापि, यदि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेखा-परीक्षित खाते उपलब्ध नहीं हैं तो पिछले नियंत्रण अवधि (01.04.2020 से 31.03.2025) के अंतिम पांच (5) के लिए उपलब्ध लेखा-परीक्षित खातों पर विचार किया जाएगा और बाद में जब आधार वर्ष मूल्य उपलब्ध हो जाये (यानी वित्त वर्ष 2024-25) तो उनका पुनः उपयोग किया जाएगा।

इस तरह के ए एंड जी व्ययों के औसत को मध्य वर्ष के लिए ए एंड जी व्यय के रूप में माना जाएगा और वर्ष-दर-वर्ष बढ़ा दिया जाएगा, जो कि संबंधित वर्षों के डब्ल्यूपीआई पर विचार करते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 तक के वर्षों के लिए बढ़े हुए कारक के साथ होगा:

परंतु यह कि वशीभूत खपत को व्यय खातों में दर्ज की गई दर अनुसूची और ऊर्जा की खपत में प्रदान की गई दर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और आयोग द्वारा विवेक की जांच के अधीन ए एंड जी व्यय के हिस्से के रूप में माना जाएगा:

परंतु यह भी कि वशीभूत खपत के लिए मानदंडों को आयोग द्वारा एक आदेश के माध्यम से या अन्यथा निर्धारित किया जा सकता है।

33.9 ए एंड जी व्यय की गणना थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा बढ़े हुए निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी और पुष्टि की गई पहल के प्रावधानों द्वारा समायोजित की जाएगी (आईटी आदि पहल के रूप में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित और आयोग द्वारा मान्य) या अन्य अपेक्षित एकमुश्त व्यय-

$$A\&G_n = A\&G_{n-1} (1 + \text{डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति})$$

जहाँ-

$A\&G_n$ :  $n^{\text{th}}$  वर्ष के लिए A&G व्यय;

$A\&G_{n-1}$ :  $(n-1)^{\text{th}}$  वर्ष के लिए A&G व्यय;

एआरआर के उद्देश्य से, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार तीन वित्तीय वर्षों से पहले के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का औसत है।

टू-अप के उद्देश्य से डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रास्फीति को दर्शाने का वास्तविक बिंदु है।

**प्रावधान:-** उन पहलों की लागत, जिनमें पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को टोटेक्स या ओपेक्स मोड में परिवर्तित करना शामिल है या जो वितरण लाइसेंसधारी के प्रस्ताव पर आयोग द्वारा अनुमत किसी भी निर्देश का अनुपालन या कोई अन्य व्यय सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं।

#### 34- अशोध्य एवं शंकास्पद ऋण बढ़े खाते में डालने का प्रावधान

34.1 किसी भी विशेष वर्ष के लिए, आयोग विद्युत की बिक्री से 2% राजस्व की सीमा तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के अपलेखन के लिए एक प्रावधान की अनुमति दे सकता है, जैसा कि उस वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारी के लेखा-परीक्षित खातों में परिलक्षित होता है या अशोध्य ऋणों के वास्तविक अपलेखन के लिए, जो भी कम हो:

परंतु यह, विद्युत शुल्क को अशोध्य ऋण के अपलेखन में शामिल नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि, किसी भी वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमत इस प्रकार का प्रावधान उस वर्ष के लेखा-परीक्षित खातों में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के अपलेखन के लिए वास्तविक प्रावधान से अधिक नहीं होगा:

परंतु और यह भी कि आयोग, अपने एआरआर / टैरिफ आदेश में, टू-अप वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के अपलेखन के प्रावधान के आधार पर अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के राइट-ऑफ के प्रावधान को अनंतिम रूप से अनुमोदित कर सकता है:

परंतु यह कि यदि किसी विशेष अशोध्य ऋण के अपलेखन के बाद, यदि इस तरह के अशोध्य ऋण से राजस्व वसूल किया जाता है, तो उस वर्ष की गैर-टैरिफ आय के तहत भी उसे ऐसा ही शामिल किया जाएगा जिसमें इस तरह का राजस्व वसूल होता है।

**35- गैर-टैरिफ आय**

35.1 आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण व्यवसाय से संबंधित गैर-टैरिफ आय की राशि की खुदरा आपूर्ति और वितरण व्यवसाय के व्हीलिंग शुल्क के लिए टैरिफ का निर्धारण करने में एआरआर से कटौती की जाएगी:

परंतु यह कि वितरण लाइसेंसधारी गैर-टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का पूरा विवरण आयोग को ऐसे रूप में प्रस्तुत करेगा, जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाये।

35.2 गैर-टैरिफ आय में शामिल होंगे,-

- (a) भूमि या इमारतों के किराए से आय;
- (b) कबाड़ की बिक्री से आय;
- (c) निवेश से आय;

परंतु यह कि शेयरधारक के फंड के निवेश से उत्पन्न होने वाली आय, यदि कोई हो, को गैर-टैरिफ आय में शामिल नहीं किया जाएगा, जो आयोग के समक्ष लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित विस्तृत जानकारी की विवेकपूर्ण जांच के अधीन होगा।

- (d) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिमों पर ब्याज की आय;
- (e) कर्मचारियों को ऋण / अग्रिम पर ब्याज की आय;
- (f) स्टाफ क्वार्टर से किराये से आय;
- (g) ठेकेदारों से किराये से आय;
- (h) संपर्ककर्ताओं और अन्य से किराए के शुल्क से आय;
- (i) विलंबित भुगतान अधिभार से आय जिसमें से 6 महीने के लिए उधार लेने की लागत जिसकी गणना कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर पर दर से भुगतान अधिभार के आधार पर की जाएगी।
- (j) पर्यवेक्षण शुल्क से आय;
- (k) विद्युत की चोरी या छिटपुट उठाईगिरी पर वसूली से आय;
- (l) विज्ञापनों से आय;
- (m) निविदा दस्तावेजों की बिक्री से आय;
- (n) भौतिक सत्यापन पर अतिरिक्त प्राप्ति की स्थिति;
- (o) पूर्व अवधि आय;
- (p) विविध रसीदें; और
- (q) कोई अन्य गैर-टैरिफ आय।

35.3 उपर्युक्त आइटम (एल) के तहत गैर-टैरिफ आय (विज्ञापनों से आय) को क्रमशः 30% और 70% के अनुपात में वितरण लाइसेंसधारी और उपभोक्ताओं के बीच साझा किया जाएगा:

परंतु यह कि लाइसेंसधारी इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से छह महीने के भीतर परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभ्यास करेगा।

**36 - अन्य व्यवसाय से आय**

36.1 जहां वितरण लाइसेंसधारी ने अपनी संपत्ति के इष्टतम उपयोग के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत किसी भी अन्य व्यवसाय किया है, इस तरह के व्यवसाय से प्राप्त आय की एआरआर से कटौती की जाएगी, जो कि लाइसेंसधारी की राजस्व आवश्यकता की गणना में और अनुपात में आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है। वितरण व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले अन्य व्यवसाय से राजस्व का अनुपात यूपीईआरसी (पारेषण लाइसेंस और वितरण लाइसेंस के अन्य व्यवसाय के आय का व्यवहार) विनियम 2004 के अनुसार होगा:

परंतु यह कि वितरण लाइसेंसधारी वितरण व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आवंटन के लिए एक उचित आधार का पालन करेगा और निदेशक मंडल द्वारा विधिवत प्रमाणित, आयोग को एआरआर के निर्धारण के लिए अपनी याचिका के साथ आवंटन विवरण प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह भी कि इस तरह के अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग ऐसे अन्य व्यवसाय से राजस्व से अधिक हो, तो ऐसे अन्य व्यवसाय से आय को शून्य के रूप में लिया जाएगा।

**37- क्रॉस-सब्सिडी अधिभार**

37.1 यदि एक वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति क्षेत्र के भीतर स्थित कोई उपभोक्ता, यूपीईआरसी निर्बाध अभिगम नियमों के प्रावधानों के अनुसार जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, खुली पहुंच का लाभ उठाता है, तो आयोग द्वारा निर्धारित क्रॉस-सब्सिडी अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह क्रॉस-सब्सिडी अधिभार इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा:

**सूत्र:**

$$S = T - [C / (1 - L/100) + D + R]$$

जहाँ:

S क्रॉस सब्सिडी अधिभार है;

T उपभोक्ताओं की संबंधित श्रेणी द्वारा देय टैरिफ है, जिसमें नवीकरण क्रय दायित्व दर्शाना शामिल है;

C लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत की क्रय की प्रति यूनिट भारित औसत लागत है, जिसमें नवीकरण क्रय दायित्व को पूरा करना शामिल है;

D प्रासंगिक वोल्टेज स्तर पर लागू पारेषण, वितरण और व्हीलिंग चार्ज का योग है;

L पारेषण, वितरण और वाणिज्यिक क्षति का सकल है, जो प्रासंगिक वोल्टेज स्तर पर लागू प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है;

R वहन लागत की प्रति इकाई लागत है:

परंतु यह कि किसी भी मामले में क्रॉस सब्सिडी अधिभार आपूर्ति की औसत लागत का 20% से अधिक नहीं होगा।

**38- अतिरिक्त अधिभार**

38.1 अधिनियम की धारा 42 (4) के अनुसार आपूर्ति करने के लिए बाध्यता के लिए अतिरिक्त अधिभार केवल तभी लागू होता है जब यह निर्णायक रूप से दर्शाया जाता है कि एक लाइसेंसधारी का दायित्व, मौजूदा विद्युत क्रय प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में, या इस तरह के अनुबंध के परिणामस्वरूप, निश्चित लागतों को सहन करने के लिए एक अपरिहार्य दायित्व और व्यापकता है।

38.2 किसी भी खुली पहुंच उपभोक्ता पर लगाया गया अतिरिक्त अधिभार वितरण लाइसेंसधारी की विद्युत क्रय की प्रति यूनिट निश्चित लागत से अधिक नहीं होगा:

परंतु यह कि सामान्य नेटवर्क अभिगम या निर्बाध अभिगमका लाभ उठाने वाले व्यक्ति के लिए, अतिरिक्त अधिभार को उस वर्ष के मूल्य से रैखिक रूप से कम किया जाएगा जिसमें सामान्य नेटवर्क अभिगम या निर्बाध अभिगम प्रदान किया गया था, ताकि यदि इस व्यक्ति द्वारा इसका लाभ उठाया जाए तो सामान्य नेटवर्क अभिगम या निर्बाध अभिगम की तिथि से चार साल के भीतर अतिरिक्त अधिभार समाप्त हो जाये:

आगे परंतु यह कि अतिरिक्त अधिभार खुली पहुंच उपभोक्ता के लिए वितरण लाइसेंस के साथ अनुबंध की मांग को बनाए रखने के लिए लागू नहीं होगा:

परंतु यह भी कि अतिरिक्त अधिभार ऐसे निर्बाध अभिगम उपभोक्ताओं के लिए लागू होंगे जो वितरण लाइसेंसधारी के उपभोक्ता हैं या रहें हैं।

**39- व्हीलिंग प्रभार**

39.1 नेटवर्क परिसंपत्तियों से संबंधित निश्चित लागतों की वसूली व्हीलिंग शुल्क के माध्यम से की जाएगी। विनियमन 28.1 के तहत दी गई आवंटन तालिका के आधार पर व्हीलिंग एआरआर निर्धारित किया जाएगा। व्हीलिंग शुल्क (प्रति यूनिट) एआरआर (व्हीलिंग) को इनपुट ऊर्जा से विभाजित करके निर्धारित किया जाएगा।

39.2 वितरण लाइसेंसधारी को निर्बाध अभिगम ग्राहक से वितरण प्रणाली के प्रचालन से उत्पन्न होने वाली व्हीलिंग हानियों की वसूली करने की अनुमति होगी:

परंतु यह कि वे अंतर्निहित निर्बाध अभिगम ग्राहक जो पहले से ही मांग शुल्क भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें वितरण लाइसेंसधारी को कोई व्हीलिंग शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।

**40- अन्य प्रभार**

40.1 लाइसेंसधारी को अपने निर्बाध अभिगम ग्राहकों से, समय-समय पर संशोधित यूपीईआरसी निर्बाध अभिगम विनियमावली में निर्धारित किसी भी अन्य शुल्क को वसूलने की अनुमति है।

**41 -दिन के समय का टैरिफ**

41.1 वितरण लाइसेंसधारी, लागू नियमों और अन्य अवस्थित विधियों को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ दाखिल करते समय उपभोक्ता श्रेणी-वार दिन के समय (टीओडी) टाइम स्लॉट के साथ-साथ स्लॉट-वार छूट/अर्थदंड का प्रस्ताव करेगा:

परंतु यह कि विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों से किसी भी विचलन के साथ वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत औचित्य संलग्न रहेगा:

परंतु यह भी कि वितरण लाइसेंसधारी मौसमी टीओडी टैरिफ का भी प्रस्ताव कर सकता है:

परंतु और भी कि ऐसे प्रस्ताव को संबंधित उपभोक्ता श्रेणियों के उपभोग प्रतिरूप के व्यापक डेटा विश्लेषण और प्रस्तावित टीओडी संरचना के प्रत्याशित प्रभाव के आकलन द्वारा पुष्ट किया जाएगा।

**42- खुदरा आपूर्ति टैरिफ का निर्धारण**

42.1 आयोग उपभोक्ताओं को उनके उद्धार गुणक, विद्युत गुणक, वोल्टेज, किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान विद्युत की कुल खपत, या जिस समय आपूर्ति की आवश्यकता होती है या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और जिस उद्देश्य के लिए आपूर्ति की आवश्यकता होती है, के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है।

42.2 विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए खुदरा आपूर्ति शुल्क आपूर्ति की औसत लागत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। शुल्क निर्धारित करते समय आयोग विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर आपूर्ति की लागत और उपभोक्ताओं को टैरिफ आघात कम करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखेगा।

42.3 उपभोक्ता श्रेणियों की संख्या और टैरिफ संरचना को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित/मांग शुल्क को धीरे-धीरे एआरआर की निश्चित लागत तक एक अवधि में सरिखित किया जाएगा जिसमें जनरेटिंग स्टेशनों के निश्चित शुल्क, पारेषण शुल्क, लाभांश पर लाभ, ऋण पर ब्याज, मूल्यहास, ओ एंड एम और अन्य निश्चित लागत तत्व शामिल होंगे। ऊर्जा शुल्क को धीरे-धीरे शेष एआरआर, यानी एआरआर की परिवर्तनीय लागत के साथ सरिखित किया जाएगा, जिसमें जनरेटिंग स्टेशनों की ईंधन लागत और अन्य परिवर्तनीय लागतें शामिल होंगी।

**भाग ई: राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करना****43- राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करने की प्रणाली**

43.1 यदि राज्य सरकार को आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग को सब्सिडी देने की आवश्यकता होती है, तो यह अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

**भाग एफ: हरित ऊर्जा टैरिफ****44 - हरित ऊर्जा टैरिफ**

44.1 हरित ऊर्जा टैरिफ को आयोग द्वारा एक अलग टैरिफ श्रेणी के रूप में अनुमोदित किया जाएगा, अर्थात् एक वृद्धिशील टैरिफ के रूप में, जिस उपभोक्ता द्वारा अपनी उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार नियमित शुल्क के अतिरिक्त प्रति यूनिट शुल्क के रूप में भुगतान किया जाएगा, जो सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यप्रणाली के अनुरूप होगा:

परंतु यह कि आयोग द्वारा अनुमोदित हरित ऊर्जा टैरिफ से प्राप्त राजस्व आयोग द्वारा अनुमोदित नियमित टैरिफ के अतिरिक्त होगा।

44.2 हरित ऊर्जा टैरिफ का निर्धारण नवीकरणीय ऊर्जा की औसत विद्युत क्रय लागत, क्रॉस सब्सिडी प्रभार (यदि कोई हो) तथा हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वितरण लाइसेंसधारी की विवेकपूर्ण लागत का आच्छादन करने वाले सेवा प्रभार के आधार पर किया जाएगा।

44.3 वितरण लाइसेंसधारी को एआरआर/टैरिफ याचिका में सभी गणनाओं के साथ हरित टैरिफ के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। 'ग्रीन एनर्जी टैरिफ' के तहत अर्जित कुल राजस्व को लाइसेंसधारी के राजस्व/टैरिफ आय का एक हिस्सा माना जाएगा।

44.4 इन उपभोक्ताओं की कुल खपत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जाएगी।

**भाग जी: भावी/ नये वितरण लाइसेंसधारी****45- अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसधारियों की पुनर्संरचना/ पुनर्विन्यास**

45.1 इन विनियमावली के लागू होने के बाद पुनर्वियोजित संस्था/ नए वितरण लाइसेंसधारी के पुनर्गठन या किसी अन्य व्यवस्था के माध्यम से किसी पुनर्संरचना/ पुनर्वियोजन के कारण नए वितरण लाइसेंसधारी (ओं) के गठन के मामले में, नया वितरण लाइसेंसधारी अधिग्रहण पुनर्वियोजन की तिथि के तुरंत बाद वाली 30 नवंबर को या उससे पहले अपनी पहली समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) याचिका प्रस्तुत करेगा:

इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित शर्तें, पुनर्वियोजित संस्था/नए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा हस्ताक्षरित समझौते, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रांसफर योजना, आवंटन आदेश, विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत दिए गए अधिकार आदि, पुनर्वियोजित संस्था/नए वितरण लाइसेंसधारी के लिए टैरिफ निर्धारण और संबंधित मामलों में विचार किए जाएंगे।

## भाग एच: विविध

**46- बचत**

46.1 इन विनियमावली में कोई भी बात आयोग की ऐसे आदेश देने के अधिकार को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

46.2 इन विनियमावली में कोई भी बात आयोग को अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेंगी जो इन विनियमावली के किसी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे मामले या मामलों के वर्ग पर निर्णय करना न्यायसंगत या समीचीन समझता है।

46.3 इन विनियमावली में कोई भी बात, स्पष्टतः या निहित रूप से, आयोग को अधिनियम के अधीन किसी ऐसे मामले पर कार्यवाही करने या किसी अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकेंगी जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया है, तथा आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कार्यों पर उस प्रकार से कार्रवाई कर सकेगा, जैसा वह उचित और युक्तियुक्त समझे।

**47- कठिनाइयां दूर करने की शक्ति**

यदि इन विनियमावली के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकेगा जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, जैसा कि कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

**48- संशोधित करने की शक्ति**

आयोग किसी भी समय इन विनियमावली के किसी भी प्रावधान को अभिवृद्ध, परिवर्तित, संशोधित या संशोधित कर सकता है।

**49- छूट देने की शक्ति**

आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, तथा आवश्यक पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन पर, इन विनियमावली के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।

**आयोग के आदेश से,**

सुमीत कुमार अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ।

## अनुलग्नक ए - 31.03.2025 से पहले पूंजीकृत वर्तमान परिसंपत्तियों हेतु मूल्यहास अनुसूची

परिसंपत्तियों का वर्णन		मूल्यहास दर
ए.	पूर्ण स्वामित्व के तहत स्वामित्व वाली भूमि	0.00
बी.	पट्टे के तहत भूमि	
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	निर्माण स्थान की सफाई के लिए	3.34%
(सी.)	नई खरीदी गई संपत्तियाँ:	
(क)	स्थायी किस्म के भवन और सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
	(i) कार्यालय और शोरूम	3.34%
	(ii) लकड़ी की संरचना जैसे अस्थायी निर्माण	100%
	(iii) कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें	3.34%
	(iv) अन्य	3.34%
(ख)	ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर (कियोस्क) सब-स्टेशन उपकरण और अन्य स्थायी उपकरण (प्लांट फाउंडेशन सहित)	
	(i) ट्रांसफार्मर (फाउंडेशन सहित) जिनकी रेटिंग 100 किलो वोल्ट एम्पीयर और उससे अधिक है	5.28%
	(ii) अन्य	5.28%
(ग)	केबल संयोजन सहित स्विचगियर	5.28%
(घ)	तड़ितविद्युत अवरोधक	
	(i) स्टेशन प्रकार	5.28%
	(ii) पोल प्रकार	5.28%
	(iii) सिंक्रोनसकंडेंसर	5.28%
(ङ)	बैटरी	9.00%
	(i) ज्वाइंट बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	5.28%
	(ii) केबल डक्ट सिस्टम	5.28%
(च)	सपोर्ट सहित ओवरहेड लाइनें	
	(i) 66 kV से अधिक सांकेतिक वोल्टेज पर संचालित फैब्रिकेटेड स्टील पर लाइनें	5.28%
	(ii) 13.2 किलोवोल्ट से अधिक लेकिन 66 किलोवोल्ट से अधिक नहीं सांकेतिक वोल्टेज पर संचालित स्टील सपोर्ट पर लाइनें	5.28%
	(iii) स्टील या प्रबलित कंक्रीट सपोर्ट पर लाइनें	5.28%
	(iv) उपचारित लकड़ी के सहारे लाइनें	5.28%
(छ)	मीटर	9.00%
(ज)	स्वचालित वाहन	9.00%
(i)	एयर कंडीशनिंग संयंत्र:	
	(i) अचल	5.28%
	(ii) चल	9.00%
(झ)	फर्नीचर और फिटिंग्स	
	(i) कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग्स	6.33%
	(ii) कार्यालय उपकरण	6.33%
	(iii) आंतरिक वायरिंग जिसमें फिटिंग और उपकरण शामिल हैं	6.33%
	(iv) स्ट्रीट लाइट फिटिंग	5.28%
(ञ)	किराए पर दिए गए उपकरण	
	(i) मोटर्स से इतर	9.00%
	(ii) मोटर्स	6.33%
(ट)	सॉफ्टवेयर सहित आई.टी. उपकरण	15.00%
(ठ)	कोई अन्य संपत्ति जो ऊपर उल्लेखित नहीं है	5.28%



## अनुलग्नक बी - 31.03.2025 के बाद पूंजीकृत वर्तमान परिसंपत्तियों हेतु मूल्यहास अनुसूची

परिसंपत्तियों का वर्णन		मूल्यहास दर
ए.	पूर्ण स्वामित्व के तहत स्वामित्व वाली भूमि	0.00
बी.	पट्टे के तहत भूमि	
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	निर्माण स्थान की सफाई के लिए	3.34%
(सी.)	नई खरीदी गई संपत्तियाँ:	
(क)	स्थायी किस्म के भवन और सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
	(i) कार्यालय और शोरूम	3.34%
	(ii) लकड़ी की संरचना जैसे अस्थायी निर्माण	100%
	(iii) कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें	3.34%
	(iv) अन्य	3.34%
(ख)	ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर (कियोस्क) सब-स्टेशन उपकरण और अन्य स्थायी उपकरण (प्लॉट फाउंडेशन सहित)	
	(i) ट्रांसफार्मर (फाउंडेशन सहित) जिनकी रेटिंग 100 किलो वोल्ट एम्पीयर और उससे अधिक है	4.22%
	(ii) अन्य	4.22%
(ग)	केबल संयोजन सहित स्विचगियर	4.22%
(घ)	तड़ित विद्युत अवरोधक	
	(i) स्टेशन प्रकार	4.22%
	(ii) पोल प्रकार	4.22%
	(iii) सिंक्रोनस कंडेंसर	4.22%
(ङ)	बैटरी	9.00%
	(i) ज्वाइंट बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	4.22%
	(ii) केबल डक्ट सिस्टम	4.22%
(च)	सपोर्ट सहित ओवरहेड लाइनें:	
	(i) 66 kV से अधिक सांकेतिक वोल्टेज पर संचालित फैब्रिकेटेड स्टील पर लाइनें	4.22%
	(ii) 13.2 किलोवोल्ट से अधिक लेकिन 66 किलोवोल्ट से अधिक नहीं सांकेतिक वोल्टेज पर संचालित स्टील सपोर्ट पर लाइनें	4.22%
	(iii) स्टील या प्रबलित कंक्रीट सपोर्ट पर लाइनें	4.22%
	(iv) उपचारित लकड़ी के सहारे लाइनें	4.22%
(छ)	मीटर	9.00%
(ज)	स्वचालित वाहन	9.00%
(i)	एयर कंडीशनिंग संयंत्र:	
	(i) अचल	4.22%
	(ii) चल	9.00%
(झ)	फर्नीचर और फिटिंग्स	
	(i) कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग्स	6.33%
	(ii) कार्यालय उपकरण	6.33%
	(iii) आंतरिक वायरिंग जिसमें फिटिंग और उपकरण शामिल हैं	6.33%
	(iv) स्ट्रीट लाइट फिटिंग	4.22%
(ञ)	किराए पर दिए गए उपकरण	

परिसंपत्तियों का वर्णन			मूल्यहास दर
	(i)	मोटर्स से इतर	9.00%
	(ii)	मोटर्स	6.33%
(ए)		संचार उपकरण	
	(i)	रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणाली	15.00%
	(ii)	टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	15.00%
	(iii)	फाइबर ऑप्टिक/ओपीजीडब्ल्यू	6.33%
(ठ)		सॉफ्टवेयर सहित आई.टी. उपकरण	15.00%
(ड)		कोई अन्य संपत्ति जो ऊपर उल्लेखित नहीं है	4.22%

**टिप्पणी:** परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन उपर्युक्त तालिका में दी गई मूल्यहास दर के आधार पर तय किया जाएगा।

**UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION  
(MULTI YEAR TARIFF FOR DISTRIBUTION) REGULATIONS, 2025**

**S. No. - UPERC/SECY/REGULATION/2025-009, dated 26.03.2025**

IN exercise of the powers conferred by Clause (y), (zd), (ze), (zf), (zg), (zh) and (zp) of Sub-Section (2) of Section 181 read with the First Proviso to Section 51, Section 61, Sub- Sections (2) and (5) of Section 62, Sub- Sections (1) and (3) of Section 64, Section 65 and Clause (b) of Sub-Section (1) of Section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations. These Regulations shall supersede the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission) Regulations, 2019 for determination of Distribution Tariff.

**1. Short title, Extent, Applicability and Commencement**

1.1 These Regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution) Regulations, 2025.

1.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

1.3 These Regulations shall be applicable to Distribution Licensees, and their successors for determination of Aggregate Revenue Requirement (ARR), Annual Performance Review (APR), Tariff, True-Up and related matters covered under these Regulations from April 01, 2025 up to March 31, 2030.

1.4 These Regulations shall come into force from April 01, 2025 and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period of five years and will be published in the Official *Gazette* of the Government of Uttar Pradesh:

Provided that for all purposes, the issues relating to the determination of ARR, APR, Tariff, True-Up and related matters, including review matters, for a particular Financial Year shall be governed by the respective Tariff Regulations applicable for that specific year.

**2. Definitions**

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:-

(1) **“Accounting Statements”** means for each Financial Year the following statements, namely: -

- (i) Audited Balance sheet, prepared in accordance with the form contained in Part I of Schedule 3 to the Companies Act, 2013, as amended from time to time.
- (ii) Audited Profit and loss accounts, complying with the requirements contained in Part II of Schedule 3 to the Companies Act, 2013, as amended from time to time.
- (iii) Audited Cash flow statement, prepared in accordance with the Accounting Standard on cash flow Statement (IND AS-3) of the Institute of Chartered Accountants of India, as amended from time to time.
- (iv) Report of statutory auditors of the Licensee.
- (v) Cost records if any, prescribed by the Central Government under Section 148 of the Companies Act 2013, as amended from time to time.
- (vi) Together with notes thereto, and such other supporting statements and information as the Commission may direct from time to time.
- (vii) Category/ sub-category wise billed revenue as per the Rate Schedule.
- (viii) Trial Balance for the year matching the accounts with financial statements.
- (ix) Additional disclosure statements as prescribed under Electricity Distribution (Accounts and Additional Disclosure) Rules, 2024 and any amendment thereof.

(2) **“Act”** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;

(3) **“Aggregate Revenue Requirement” or “ARR”** means the costs pertaining to the licensed business which are permitted, in accordance with these Regulations, to be recovered from the Tariff determined by the Commission;

(4) **“Allocation Statement”** means for each Financial Year, statements in respect of each of the businesses (Wheeling, Retail Supply, Other Business) of the Licensee, showing the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve or provision *etc.*, which has been either:-

- (a) Determined by apportionment or allocation between different businesses of the Licensee, including the licensed business, together with a description of the basis of the apportionment or allocation; or
- (b) Charged from or to each such Other Business together with a description of the basis of that charge.
- (5) “**ABR**” means average billing rate in Rs. /kWh determined as the sum product of total billed units and approved Tariff in each consumer category divided by total billed units in all consumer categories for a given period;
- (6) “**Base Year**” means the Financial Year immediately preceding first year of the Control Period and used for the purpose of these Regulations *i.e.* FY 2024-25;
- (7) “**Captive Consumption**” means the in-house/ self-consumption of Distribution Licensee including offices / buildings and guest houses.
- (8) “**Change in Law**” means the occurrence of any of the following events:-
- (a) enactment, bringing into effect or promulgation of any new Indian law; or
- (b) adoption, amendment, modification, repeal or re-enactment of any existing Indian law; or
- (c) judicial pronouncements, Orders of Central Government and/ or State Government; or
- (d) change in interpretation or application of any Indian law by a competent court, Tribunal or Indian Governmental Instrumentality, which is the final authority under law for such interpretation or application; or
- (e) change in condition or covenant by any competent statutory authority in relation to any consent or clearances or approval or License available or obtained for the Project; or
- (f) any change in taxes or duties, or introduction of any taxes or duties levied by the Central or any State Government, unless specified otherwise in this Regulation.
- (9) “**Commission**” means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC);
- (10) “**Conduct of Business Regulations**” means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2019 and its subsequent amendments/ addendum or the new Regulations made after repeal of the same;
- (11) “**Control Period**” means the period comprising of five Financial Years from April 1, 2025 to March 31, 2030, unless extended by the Commission through an Order;
- (12) “**Date of Commercial Operation**” (**COD**) means the date of charging of electrical line or substation of a Distribution Licensee to its declared voltage level or seven days after the date on which it is declared ready for charging by Distribution Licensee but not able to be charged for reasons attributable to its consumers;
- (13) “**Distribution System**” means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers;
- (14) “**Distribution Wire Business**” means the business of operating and maintaining a distribution system for wheeling of electricity in the area of supply of a distribution Licensee;
- (15) “**Financial Year**” means a period commencing on April 1<sup>st</sup> of a calendar year and ending on March 31<sup>st</sup> of the subsequent calendar year;
- (16) “**Force Majeure**” for the purpose of these Regulations means the event or circumstance or combination of events or circumstances including those stated below, which partly or fully prevents the Distribution Licensee from completing the project within the time specified in the investment approval, and only if such events or circumstances are not within the control of the Distribution Licensee and could not have been avoided, had the Distribution Licensee taken reasonable care or complied with prudent utility practices:-

(a) Act of God including but not limited to lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises; or

(b) Any act of war, invasion, armed conflict or act of a foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action; or

(c) Industry wide strikes and labour disturbances having a nationwide impact in India;

(d) Delay in obtaining statutory approvals for the projects where the delay is not attributable to Licensee;

(e) Delay in land acquisition for the projects where the delay is not attributable to Licensee.

(17) **"Indian Government Instrumentality"** means any ministry, department, board, authority, agency, corporation and commission under direct or indirect control of the Government of India or the State Government(s) or both or Appropriate Commission (s) or tribunal or judicial or quasi-judicial body;

(18) **"Licence"** means a licence granted under clause (b) of Section 14 of the Act;

(19) **"Licensed Business"** means the functions and activities, which the Licensee is required to undertake in terms of the Licence granted by the Commission or on account of being a deemed Licensee under the Act;

(20) **"Licensee"** means a person who has been granted a Licence under clause (b) of Section 14 of the Act and shall include a deemed Licensee;

(21) **"Other Business"** means any business of the Licensee for optimum utilization of its assets within the meaning of Section 51 of the Act;

(22) **"Open Access Customer"** means a consumer permitted by the Commission to receive supply of electricity from a person, other than the Distribution Licensee of his area of supply, and the expression includes a generating company and a Licensee, who has availed of or intends to avail of Open Access;

(23) **"Retail Supply Business"** means the Business of sale of electricity by a Distribution Licensee to the consumers within its area of supply in accordance with the terms of the Licence.

(24) **"Retail Supply Tariff"** is the Tariff charged by the Distribution Licensee for supply to non-Open Access Customers, which includes charges for Wheeling and Retail Supply;

(25) **"Wheeling Charges"** means the charges for the use of Distribution System and associated facilities of a Distribution Licensee for the conveyance of electricity;

(26) **"Wheeling Business"** means the business of operating and maintaining a Distribution System for conveyance of electricity in the area of supply of the Distribution Licensee.

2.2 The words and expressions used in these Regulations and not defined herein, but defined in the Act, shall bear the same meaning as in the Electricity Act, 2003 or any other Regulations of the Commission, as amended from time to time. Expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Electricity Act, 2003 but defined under any law passed by a competent legislature and applicable to the electricity industry in the State shall have the meaning assigned to them in such law. Expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act or any law passed by a competent legislature shall have the meaning as is generally assigned in the electricity industry.

2.3 The words "Application" or "Petition" shall be interpreted synonymously.

2.4 In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires:-

- (a) words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;
- (b) references herein to the “Regulations” shall be construed as a reference to these Regulations as amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force;
- (c) the headings are inserted for convenience and may not be taken into account for the purpose of interpretation of these Regulations;
- (d) references to the Statutes, Regulations or Guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such Statutes, Regulations or Guidelines, as the case may be;
- (e) in case of dispute in interpretation between English and Hindi version of these Regulations, the English version shall prevail.

#### PART- A: GENERAL PROVISIONS

### 3. Multi-Year Tariff Frame work

3.1 The Multi-Year Tariff frame work shall be based on the following elements, for computation of ARR and expected revenue from Tariff:

- (i) The ARR Petition comprising the forecast of ARR and category/ subcategory wise expected revenue from existing and proposed Tariff shall be submitted by the Licensee along with audited / provisional accounts of the previous year and available data of 6 months in books of Accounts for the current Financial Year;
- (ii) Annual Performance Review (APR) of operational and financial performance *vis-à-vis* the approved forecast shall be submitted annually by the Licensee as per the Table shown in Regulation 4.1;
- (iii) ARR / Tariff Petition along with APR and True-Up shall be submitted annually by the Licensee for each year as stipulated in these Regulations.

### 4. Petitions to be filed in the Control Period

4.1 The Petitions to be filed in the Control Period under these Regulations will comprise of the following:-

Filing date	True- Up	APR	ARR / Tariff
30.11.2024	FY 2023-24*	FY 2024-25*	FY 2025-26**
30.11.2025	FY 2024-25***	FY 2025-26	FY 2026-27
30.11.2026	FY 2025-26	FY 2026-27	FY 2027-28
30.11.2027	FY 2026-27	FY 2027-28	FY 2028-29
30.11.2028	FY 2027-28	FY 2028-29	FY 2029-30

\*The Petitions have already been filed as per the UPERC (Multi-Year Tariff for Distribution & Transmission Tariff) Regulations, 2019.

\*\*As per the directions of Commission, the Petitions have already been filed. Further submissions will be sought as per these Regulations for determination of ARR for FY 2025-26.

\*\*\*The filings shall be as per the UPERC (Multi-Year Tariff for Distribution & Transmission Tariff) Regulations, 2019. However, filings have to be made on 30<sup>th</sup> November of the respective year as per these Regulations.

4.2 The Licensee shall submit the data regarding the above as per guidelines and formats prescribed and added/ amended from time to time by the Commission.

## 5. Procedure for Filing of Petition and determination thereof

5.1 The Distribution Licensee shall file the True-Up/ APR/ ARR Petition, in accordance with the guidelines and formats as may be prescribed by the Commission, electronically on e-filing portal of the Commission, after due authorization by the Board of Directors or by any Committee/person authorised by the Board in this regard, digitally signed by the authorized representative.

5.2 Hard copies of the Petition shall also be filed as provided for in the UPERC (Conduct of Business) Regulations, 2019, as amended from time to time, accompanied with applicable fees as per the UPERC (Fee and Fines) Regulations, 2010 as amended from time to time.

5.3 The above requirement of the Commission does not exclude the right of the Commission to seek any other information/ clarification/ document as deemed necessary by the Commission in this regard.

5.4 The Commission shall conduct a technical validation before admission of the Petition. On completion of the required proceedings and submissions made to the satisfaction of the Commission, the Commission will admit the Petition and shall issue an Admittance Order.

5.5 The Petitioner shall within three working days of the issuance of the Admittance Order, publish a Public Notice in at least two English and two Hindi daily newspapers having wide circulation in its Licence area, outlining the True-Up/ APR/ARR, proposed Tariff and such other matters as may be directed by the Commission, and inviting suggestions and objections from the stakeholders and public at large:

Provided that the Petitioner shall also provide on its website the Petition filed before the Commission along with all regulatory filings, detailed computations, particulars and documents, in text-searchable format or in downloadable spreadsheet format in the manner stipulated by the Commission:

Provided also that the web link to the information mentioned in the first proviso to this Regulation shall be easily accessible, archived for downloading and be prominently displayed on the Petitioner's website:

Provided also that the Distribution Licensee shall intimate its consumers about filing of such Petition, period of public consultation, date of Public Hearing etc. through appropriate notice on its website and newspapers:

Provided further that the Petitioner may be exempted by the Commission from providing any such information, particulars or documents considered confidential in nature.

5.6 The Commission shall, within one hundred and twenty days from admittance, after considering all suggestions and objections received from the stakeholders and public at large and in accordance with the provisions contained in these Regulations:

(a) Issue an Order for True-Up/ APR/ ARR & Tariff accepting the Petition with such modifications or such conditions as may be specified in that Order; or

(b) Reject the Petition for reasons to be recorded in writing if such Petition is not in accordance with the provisions of the Act and the Rules and Regulations made there under or any other provisions of law, after giving the Petitioner a reasonable opportunity of being heard.

5.7 The Petitioner shall publish, within three working days, the Tariff/RateSchedule approved by the Commission in at least two English and two Hindi daily newspapers having wide circulation in its Licence area of supply and shall upload the approved Tariff/ Rate Schedule on its website and make available for sale a booklet both in English and Hindi containing such approved Tariff/Rate Schedule.

5.8 The Tariff so published shall be in force from the date stipulated in the Order and shall, unless amended or revised, continue to be in force for such period as may be stipulated therein.

## **6. True-Up Petition**

6.1 The Licensee shall file Petition for True-Up as provided in Regulation 4.1 of these Regulations:

Provided that the Petition shall include information in such form as may be stipulated by the Commission, together with the Accounting Statements, extracts of books of account and such other details, etc., as per the guidelines and formats as may be prescribed by the Commission:

Provided further that if the True-Up Petition is not submitted within timelines given in Regulation 4.1, no carrying cost for the period of delay shall be allowed for the gap arrived for the true-up year. However, in case of surplus, the same with carrying cost shall be recovered.

6.2 The Commission shall carry out True-Up exercise stipulated in the provisions of these Regulations. True-Up of expenses and revenue shall be on the basis of approved and actual expenses, revenue, etc., based on the prudence check of Accounting Statements of the Licensee for the Financial Year.

6.3 The Distribution Licensee shall ensure that the category/ sub-category wise billed revenue as per the Rate Schedule is included in its Accounting Statements.

6.4 The Distribution Licensee shall ensure that its Accounting Statements are prepared in compliance of the Electricity Distribution (Accounts and Additional Disclosure) Rules, 2024 and any amendment thereof.

6.5 The Distribution Licensee shall also submit a statement on the status of compliance to the directives issued by the Commission in the previous Tariff Order and also the directives given in earlier Tariff Orders pending compliance, along with the Petition.

## **7. Annual Performance Review Petition**

7.1 The Licensee shall file Petition for Annual Performance Review (APR) as provided in Regulation 4.1 of these Regulations:

Provided that the Petition shall include information in such form as may be prescribed by the Commission, together with the audited/ provisional Accounting Statements, extracts of books of account and such other details, etc., as per the guidelines and formats prescribed.

## **8. ARR Petition**

8.1 The Licensee shall file Petition for Aggregate Revenue Requirement (ARR) as provided in Regulation 4.1 of these Regulations.

8.2 The ARR Petition shall comprise of, but not limited to, category/sub-category wise number of consumers, connected load, load factor and sales projections, Power Procurement Plan (renewable energy and non-renewable energy) and forecasting, Renewable Purchase Obligation (RPO) planning and forecasting, Distribution Loss trajectory (taking into consideration AT & C Loss trajectory agreed by the State Government and approved by the Central Government under any National Scheme or Programme, if applicable), Capital Investment Plan, financing plan and physical targets, equity, grants, etc.

8.3 The Distribution Licensee shall project the realistic power purchase requirement optimised on cost from all generating stations and other sources considered for power purchase based on the Merit Order Dispatch (MOD)/ Security Constrained Economic Dispatch (SCED) principles, must run plants and renewable energy plants subject to the Renewable Purchase Obligation (RPO) stipulated by the Commission under the relevant Regulations and their subsequent amendments, and the target set, if any, for Energy Efficiency (EE) and Demand Side Management (DSM) schemes, etc.:

Provided that MOD/ SCED principles shall not apply to the purchase of power from renewable energy sources up to the RPO stipulated by the Commission.



8.4 The forecast of expected revenue from Tariff shall be based on the following:-

(a) In the case of a Distribution Licensee, estimate of the quantum of electricity to be supplied to consumers and wheeled on behalf of Distribution System Users:

Provided that the Distribution Licensee shall submit relevant details of category/ sub-category wise number of consumers, connected load and energy sales projections, status of metering, feeder level/ distribution transformer metering, diversity factor for various categories of consumers taking seasonality into consideration, etc., for each Distribution Licensee area;

(b) Existing and proposed Tariff as on the date of filing of the Petition.

8.5 The ARR Petition shall be filed by the Licensee that shall include a forecast of ARR and expected revenue from the existing Tariff. Further, the Licensee shall also submit the category/ sub-category wise proposed Tariff, that would meet the gap in the ARR, including unrecovered revenue gaps of previous years to the extent proposed to be recovered.

### **9. Controllable and Uncontrollable Factors**

9.1 The “Uncontrollable Factors” shall comprise of the following factors, which were beyond the control of, and could not be mitigated by the Licensee, as determined by the Commission:-

- (a) Force Majeure events
- (b) Change in Law
- (c) Variation in price of fuel and/ or price of power purchase
- (d) Variation in sales
- (e) Variation in rates of Inter-State/ Intra-State Transmission charges and losses
- (f) Variation in interest rates for long-term loans; and
- (g) Any other expenses allowed by the Commission.

9.2 The “Controllable Factors” shall include, but shall not be limited to the following:-

- (a) Variation in Distribution and commercial losses;
- (b) Variations in capital expenditure on account of time and/ or cost overruns not attributable to an approved change in the scope of such project, change in statutory levies or force majeure events;
- (c) Variations due to efficiencies in the implementation of a capital expenditure project not attributable to an approved change in scope of such project, change in statutory levies or force majeure events, and due to delay in the execution of the project on account of contractor, supplier or agency of the Distribution Licensee;
- (d) Provision for Write-off of Bad and Doubtful Debts;
- (e) Variation in performance parameters and standards specified;
- (f) Variation in interest on working capital; and
- (g) Variation in components of Operation & Maintenance expenses.

### **10. Treatment of Gains or Losses on account of Uncontrollable Factors**

10.1 The approved gain or loss to the Distribution Licensee on account of Uncontrollable Factors shall be adjusted in the ARR or Tariff of the Distribution Licensee, as stipulated in these Regulations and as may be determined in the Order of the Commission passed under these Regulations.

10.2 The Distribution Licensee shall submit such details of the variation on account of Uncontrollable Factors along with the detailed computations and supporting documents as may be required for verification by the Commission.

**11. Treatment of Gains or Losses on account of Controllable Factors**

11.1 The approved gain to the Distribution Licensee on account of variation in each component of Operation & Maintenance expenses and Distribution Loss shall be dealt with in the following manner:-

- (a) Two-third of the amount of such gain shall be passed on in Tariff/ ARR over such period as may be stipulated in the Order of the Commission;
- (b) The balance amount of such gain shall be utilised at the discretion of the Distribution Licensee.

11.2 The approved loss to the Distribution Licensee on account of variation in each component of Operation & Maintenance expenses and Distribution Loss shall be dealt with in the following manner:-

- (a) One-third of the amount of such loss shall be passed on in Tariff/ ARR over such period as may be stipulated in the Order of the Commission;
- (b) The balance amount of such loss shall be absorbed by the Distribution Licensee.

**PART B: POWER PROCUREMENT****12. Applicability**

12.1 The Regulations contained in this Part shall apply to power procurement by a Distribution Licensee from a generating station or Trading Licensee or Distribution Licensee or from any other source through agreement or arrangement for purchase of power for distribution and supply within the State.

**13. Power Procurement Guidelines and Plan**

13.1 The Distribution Licensee shall be responsible for the assessment and forecasting of demand (MW) and energy (MWh) within its licensed area of supply to its consumers for multiple horizons (short/ medium/ long) as per the applicable law.

13.2 The load forecast shall be determined for each category/ sub-category for which the Commission has determined or the Distribution Licensee has proposed to determine the retail Tariff.

13.3 The Distribution Licensee shall project realistic power purchase requirement (in MWh) by adding distribution losses proposed by the Distribution Licensee, Intra-State Transmission Losses and Inter-State Transmission Losses. However, for the purpose of True-Up, APR and ARR, normative loss trajectory, as stipulated by the Commission from time to time, shall be considered.

13.4 The peak demand (in MW) shall be determined by considering the average load factor, load diversity factor, seasonal variation factors for the last three years and the energy forecasts (in MWh). If any other appropriate load factor is considered for future years, a detailed explanation shall be provided.

13.5 The Distribution Licensee shall maintain a historical database of demand and power purchase quantum and cost.

13.6 For the purpose of ascertaining load profile and for assessment of the contribution of various consumer categories to peak demand, load research analysis shall be conducted and the influence of demand response, load shift measures, time of day and time of use shall be factored in by the Distribution Licensee. A detailed explanation for the refinement conducted must be provided. Time of Day Tariff structure for various consumer categories and sub-categories shall be proposed based on such studies.

13.7 The Distribution Licensee shall be responsible for preparing Resource Adequacy Plan for multiple time horizons (short/ medium/ long term) as per the guidelines issued by the Ministry of Power and applicable Regulations issued by the Commission and get them validated/approved by competent authority (ies).

13.8 The Distribution Licensee shall submit its demand assessment & forecasting and Resource Adequacy Plans for multiple horizons (short/ medium/long term) as validated/approved by the competent authority(ies), along with its Tariff Petition.

13.9 Along with the Tariff Petition, the Licensee shall submit its power procurement plan for the year for procurement of power to meet the demand as envisaged in the demand forecast and Resource Adequacy Plan in an optimal (least cost and secure) manner. The plan shall be based on the Merit Order Despatch (MOD)/ Security Constrained Economic Despatch (SCED) principles, must run plants and renewable energy plants subject to the Renewable Purchase Obligation (RPO) stipulated by the Commission under the relevant Regulations and their subsequent amendments:

Provided that MOD/ SCED principles shall not apply to the purchase of power from renewable energy sources upto the RPO stipulated by the Commission.

13.10 The power procurement plan for the year for the Distribution Licensee shall include the following:-

(a) A quantitative forecast of the seasonal variation in the unrestricted base load, average load and peak load for electricity within its area of supply.

(b) An estimate of the optimum quantities and cost of power supply from the identified sources of power purchase, including own generation, if any.

(c) Power Purchase Agreements (PPAs) and contracts/ agreements entered with approved sources of supply and likely to be entered with new sources of supply during the year to meet the load requirement

(d) An estimate of adequate availability of power to meet the seasonal variation in base load, average load and peak load requirements:

Provided that such an estimate of demand and supply shall be on month wise basis in Mega Watt (MW) along with Plant Load Factor (PLF) of the plant as well as expressed in Million Units (MUs)

(e) Peak and off-peak periods and their seasonal variations, and the power purchase requirements in terms of quantities of power to be procured (in MUs) and maximum demand (in MW)

(f) Standards to be maintained with regard to quality and reliability of supply, in accordance with the relevant Regulations or Orders of the Commission.

13.11 The Distribution Licensee shall undertake its power procurement during the year in accordance with the power procurement plan, approved in the Tariff Order, by the Commission, as stipulated in these Regulations.

13.12 The Distribution Licensee shall forward a copy of its power procurement plan to the State Transmission Utility for verification of its consistency with the Transmission System plan for the Intra-State Transmission System:

Provided that the Distribution Licensee shall also consult the State Transmission Utility at the time of preparation of the power procurement plan, to ensure consistency of such plan with the Transmission System plan.

13.13 The power procurement by the Distribution Licensee shall be in accordance with the extant UPERC (Modalities of Tariff Determination) Regulations, 2023.

13.14 Distribution Licensees can procure short term power only through prevalent market mechanisms, such as Power Exchanges, competitive bidding on DEEP /PUSHP Portal or through bilateral banking arrangement with other States' Distribution Licensees directly or through trading Licensees.

13.15 The Distribution Licensee shall procure long term/ medium term/ short term Renewable energy as per the SBD guidelines and Tariff Policy issued by the Government of India to meet the RPO keeping in view the lead time in setting up different types of renewable power plants.

13.16 The cost of power through Deviation Settlement Mechanism (DSM) shall be allowed in Tariff subject to the condition that the quantity of electricity through DSM shall be limited to 5% of the total annual quantum of power purchase approved by the Commission.

13.17 The Commission may impose a cap on the average rate of short/ medium/ long term power purchase.

#### **14. Additional Power Procurement**

14.1 The Distribution Licensee may enter into a short-term arrangement or agreement for the procurement of power only through prevalent market mechanisms without the prior approval of the Commission when faced with emergency conditions that threaten the stability of the Distribution System or un-anticipated increase in the demand of power or shortfall/ failure of supply of electricity from an approved source or when directed to do so by the SLDC to prevent grid failure:

Provided that variation in the quantum of power procured from source(s) other than the previously approved source(s), that is in excess of 5% of the total annual quantum as approved by the Commission, shall require its prior approval:

Provided further that within 15 days from the date of entering into an agreement or arrangement for short term power procurement for which approval is not required, the Distribution Licensee shall submit to the Commission the details including the quantum, Tariff, computation, duration, particulars of suppliers and other details as required by the Commission.

14.2 Where the Distribution Licensee has identified a new short-term source of supply, from which power can be procured at a Tariff that reduces its approved total power procurement cost, it may enter into a short-term power procurement agreement or arrangement with such supplier without the prior approval of the Commission.

#### **15. Treatment of Surplus Power**

15.1 The Distribution Licensees shall be allowed to Bank surplus power procured from approved sources of Power Purchase excluding Power Exchanges.

15.2 The Distribution Licensees shall be allowed to sell surplus power on Power Exchanges:

Provided that the rate of sale of surplus power from a generating station, that is part of Merit Order Despatch, shall not be less than the variable charge of the surplus power available from that generating station:

Provided further that the Commission may set a ceiling for such sale of power through an Order:

Provided further that any Order of the Commission setting a ceiling for such sale of power issued before the notification of these Regulations shall continue to prevail.

## 16. Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge

### 16.1 Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge-

(1) For the purposes of these Regulations “Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge” (FPPAS) means the change in the cost of power supplied to consumers, due to changes in Fuel cost, power purchase cost and transmission charges with reference to the cost of power supply approved by the Commission.

(2) FPPAS shall be calculated and billed to consumers on RATE as defined in the applicable Tariff Order (net of regulatory discount, if any, approved by the Commission), automatically, without going through the regulatory approval process, on a monthly basis, according to the formula, given in the Regulation-16.2, subject to true up, on an annual basis, as decided by the Commission.

(3) FPPAS shall be computed and charged by the Distribution Licensee, in (n+3)th month, on the basis of actual variation, in the cost of fuel and power purchase and Inter & Intra-State Transmission Charges for the power procured during the n<sup>th</sup> month. For example, the FPPAS on account of changes in Tariff for power supplied during the month of April of any Financial Year shall be computed and billed in the month of July. Similarly, if FPPAS is for power supplied during January of any Financial Year it will be recovered in April of next the Financial Year:

Provided that in case of positive FPPAS, if the Distribution Licensee fails to compute and charge FPPAS in full, subject to the ceiling as provided in Regulation-16.1(4), within this timeline, except in case of any force majeure condition, its right to recovery of costs on account of FPPAS shall be forfeited alongwith the right to recover the same at the time of true-up:

Provided that in case of negative FPPAS, if the Distribution Licensee fails to compute and charge FPPAS in full, subject to the ceiling as provided in Regulations-16.1(4), within this timeline, except in case of any force majeure condition, such FPPAS would be recoverable from the Licensee at the time of true up along with its carrying cost to be charged at 1.20 times of the carrying cost rate under these Regulations.

(4) The monthly FPPAS shall not exceed +/-10% of RATE(net of regulatory discount, if any, approved by the Commission) or such other ceiling as may be stipulated by the Commission from time to time:

Provided that any under-recovery or over-recovery in the FPPAS on account of such ceiling shall be carried forward and shall be adjusted by the Distribution Licensee in the subsequent months subject to the ceiling given in the Regulation.

(5) The revenue recovered on account of FPPAS by the Distribution Licensee shall be trueed up later for the year under consideration as per these Regulations.

In case of excess revenue recovered for the year against the FPPAS, the same shall be recovered from the Licensee at the time of true-up along with its carrying cost to be charged at 1.20 times of the carrying cost rate under these Regulations and the under-recovery of revenue against FPPAS shall be allowed during true up along with the carrying cost to be charged at carrying cost rate under these Regulations.

In case the Distribution Licensee demonstrates that FPPAS has been determined by applying the formula and excess/lower revenue recovery against FPPAS is on account of change in billing determinants or disallowance of power purchase by the Commission at the time of true-up, simple carrying cost rate under these Regulations shall be applied.

(6) The Distribution Licensee shall submit such details, in the stipulated formats, of the variation between expenses incurred and the FPPAS recovered, and the detailed computations and supporting documents, as required by the Commission, during true-up of the normal Tariff.

(7) To ensure smooth implementation of the FPPAS mechanism and its recovery, the Distribution Licensee shall ensure that the Licensee billing system is updated to take this into account and a unified billing system shall be implemented to ensure that there is a uniform billing system irrespective of the billing and metering vendor through interoperability or use of open source software as available.

(8) The Licensee shall publish all details including the FPPAS formula, calculation of monthly FPPAS and recovery of FPPAS (separately for automatic and approved portions) on its website and archive the same through a dedicated web address.

**16.2 Formula for Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge:**

(1) Formula:

$$\text{Monthly FPPAS for } n^{\text{th}} \text{ Month}(\%) = \left[ \frac{(A-B)*C+(D-E)^{\text{s}} + \text{Adj Factor}}{Z*ABR} \right] \times 100\%$$

<sup>s</sup> Shall be computed in case inter-state or intra-state transmission charges are not on per unit basis

Where,

$n^{\text{th}}$  month means the month in which the billing of FPPAS component is done. This FPPAS is due to changes in Tariff for the power supplied in the  $(n-3)^{\text{th}}$  month

A is Total units procured in  $(n-3)^{\text{th}}$  Month (in kWh) from all sources including Long-term, Medium-term and Short-term Power purchases (To be taken from the bills issued to the Distribution Licensee).

B is bulk sale of power from all sources in  $(n-3)^{\text{th}}$  Month (in kWh) = (to be taken from the provisional accounts to be issued by the State Load Dispatch Centre by the 10<sup>th</sup> day of each month).

C is incremental Average Power Purchase Cost (including the change of fuel cost) = Actual Average Power Purchase Cost (PPC) from all Sources in  $(n-3)^{\text{th}}$  month (Rs./ kWh) (computed) - Approved Average Power Purchase Cost (PPC) from all Sources for the year (Rs./kWh) (to be taken from the latest available Tariff Order)

D = Actual Inter-State & Intra-State Transmission Charges in the  $(n-3)^{\text{th}}$  Month, (From the bills by Transcos to Discom) (in Rs)

E = Base Cost of Transmission Charges for  $(n-3)^{\text{th}}$  Month = (Approved Transmission Charges/12) (in Rs)

Adj Factor = Change in Fuel and Power Purchase Cost (Calculated as  $(A-B)*C+(D-E)$ ) for  $(n-5)^{\text{th}}$  month – Amount recovered using FPPAS for the ' $(n-5)^{\text{th}}$  month' in the  $(n-2)^{\text{th}}$  month.

Z = Approved unit sales to retail Consumers in kWh for the  $n^{\text{th}}$  month as approved in the Tariff Order or the sales to retail Consumers in kWh for the  $n^{\text{th}}$  month projected in the Tariff Petition filed before the Commission in case Tariff Petition is pending before the Commission. In case Tariff Petition has not been filed, FPPAS shall not be charged.

ABR = Average Billing Rate for the year (to be taken from the latest available Tariff Order in Rs/kWh).

(2) The Actual Power Purchase Cost used in the computation of "C" above, shall exclude any charges on account of the Deviation Settlement Mechanism. This shall be adjusted through the true-up approved by the Commission.

(3) The Actual Power Purchase Cost used in the computation of "C" above, shall exclude Ancillary Services and Security Constrained Economic Despatch charges. This shall be adjusted through the true-up approved by the Commission.

(4) At the time of True-up, while determining the admissible power purchase cost, the Commission shall also consider the extant UPERC (Merit Order Despatch and Optimization of Power Purchase) Regulations, 2021 as amended.

**PART C: FINANCIAL PRINCIPLES****17. Financial Prudence**

17.1 The Licensee shall manage its finances in an optimum and prudent manner.

17.2 In determining the ARR and Tariff of the Licensee, the Commission shall assess the financial prudence with regard to the following factors:-

- (a) Revenues
- (b) Capital expenditure/cost
- (c) Other expenditures

Provided that the Commission may disallow a part of the ARR due to inefficiency as penal measure, if it finds the same after prudence check.

17.3 The financial prudence with respect to revenue shall be assessed in terms of the following parameters:

(a) Whether sub-category wise sales projections are based on realistic estimates and adequate justification has been provided for any anomalous increase/ decrease in sales projected by the Distribution Licensee;

(b) Whether the percentage of metered consumers and metered consumption out of the total is in line with the projections approved by the Commission in its Tariff Orders/ other Orders:

Provided that the assessment of sales for the unmetered consumers, if any (except LMV-5) shall be done considering 75% of consumption/ kW/ month of the metered consumers within the same category or sub-category, or any other limit stipulated by the Commission through an Order or otherwise:

Provided further that Power Purchase Expense for sales in excess of above assessment shall be disallowed by the Commission:

Provided further that the Licensee shall complete 100% metering of Employees and Pensioners of the Licensee by 31.12.2025, failing which the Commission shall compute the deemed revenue by considering per capita consumption at twice the average yearly consumption of Urban Metered Consumers in the LMV-1 category, calculated at the highest Tariff slab rate of LMV-1.

(c) Whether revenue collected is in line with the projections approved by the Commission in its Tariff Orders/ other Orders.

17.4 The financial prudence with respect to capital expenditure shall be assessed in terms of the following parameters:-

(a) Whether projected capital expenditure and capitalisation is based on realistic estimates, and adequate justification has been provided for any anomalous increase in capital expenditure and capitalisation projected by the Distribution Licensee;

(b) Mechanism put in place for monitoring the physical progress of projects with respect to their original schedule;

(c) Optimum drawal of loans in accordance with the physical progress of the capital expenditure project, and efficient utilisation of such loans;

(d) In case the actual capital expenditure and capitalisation exceeds 10% of that approved by the Commission, the Licensee shall submit a detailed justification for such excess along with its Petition for True-Up;

(e) In case any project has not been commenced during the year despite the Commission's approval, detailed justification shall be submitted along with the Petition for True-Up;

(f) Creation of assets in accordance with Capex Plan approved by the Commission and their retirement, replacement or deletion/adjustments;

(g) Procurement of goods and services in a competitive and transparent manner;

(h) Properly recording of assets in Fixed Asset Register;

(i) Whether the procured asset, such as land, has actually been put to use.

17.5 The financial prudence with respect to other expenditures shall be assessed in terms of the following parameters:-

(a) Monitoring of the expenditure as against the revenue earned, such that the expenses and payment obligations of the Licensee to other entities are met in a timely manner;

(b) Mechanism put in place for monitoring adherence to the approved expenditure, including schedule of interest payments for long-term loans and working capital;

(c) Transparent method of power procurement, with the objective of optimising the power purchase expenses, as stipulated in these Regulations;

(d) Optimum purchase of power considering factors such as the requirement of power, MOD/ SCED, Must Run plants and renewable energy plants, potential for earning additional net revenue based on the differential between the rate for purchase of power from different sources and the market rate for sale of surplus power, if any.

### **18. Capital Expenditure/ Cost and Capital Structure**

18.1 Capital cost for a capital investment Project shall include:-

(a) the expenditure incurred or projected to be incurred, including interest during construction and financing charges, as admitted by the Commission after prudence check:

Provided that Interest during construction (IDC) shall be computed considering the actual loan and normative loan after taking into account the prudent phasing of funds up to actual COD:

Provided also that IDC on a normative loan corresponding to excess equity over 30% of funds deployed shall be allowed only in cases where the actual infusion of equity on a pari-passu basis is more than 30% of total funds deployed and shall be computed on a quarterly basis:

Provided further that in case IDC on normative loan is to be allowed prior to the infusion of actual loan, rate of interest for computing such IDC shall be equal to 1-year SBI MCLR as prevailing on 1st April of the respective year:

Provided further that IDC on normative loan, post infusion of actual loan shall be computed based on Weightage Average Rate of Interest (WAROI) for that respective quarter:

Provided further that the IDC on normative loan shall be allowed only when it can be demonstrated by the Licensee that the capital cost arrived after IDC on normative loan is to the benefit of consumers.

- (b) capitalised initial spares subject to the ceiling rates stipulated in these Regulations;
- (c) expenses incurred by the Licensee on obtaining right of way, as admitted by the Commission after prudence check;
- (d) Incidental expenditure during construction including apportioned expenditure on relevant components of O&M;
- (e) any gain or loss on account of foreign exchange risk variation pertaining to the loan amount availed up to the date of commercial operation, as admitted by the Commission after prudence check:

Provided that any gain or loss on account of foreign exchange risk variation pertaining to the loan amount availed up to the date of commercial operation shall be adjusted only against the debt component of the capital cost:

Provided further that the capital cost of the assets forming part of the Project but not put to use or not in use shall be excluded from the capital cost:

Provided also that the Licensee shall submit documentary evidence in support of its claim of assets being put to use.

18.2 The capital cost admitted by the Commission after prudence check shall form the basis for determination of Tariff.

18.3 The actual capital expenditure on a project as on COD for the original scope of work based on the audited accounts of the Licensee or Project, as the case may be, shall be considered subject to prudence check by the Commission.

18.4 Capital cost to be allowed by the Commission for the purpose of determination of Tariff will be based on the capital investment plan prepared by the Licensee and approved by the Commission.



18.5 The capital cost may include initial spares capitalised as a percentage of the Plant and Machinery cost, subject to the following ceiling norms:

(a) Distribution System-	
(i) Distribution Line:	1.0%
(ii) Distribution Sub-Station:	4.0%
(iii) Communication System:	3.5%
(b) Battery Energy Storage System	1.0%

18.6 The impact of revaluation of assets shall be permitted provided it does not result in increase in Tariff of the Licensee:

Provided that any benefit from such revaluation shall be passed on to the consumers of Distribution Licensees, at the time of ARR / Tariff determination or Truing-Up, as the case may be.

18.7 Any expenditure on Replacement, Renovation and Modernisation or extension of life of old fixed assets, as applicable to Licensees, shall be considered after writing off the net value of such replaced assets from the original capital cost, and shall be computed as follows:

Net Value of Replaced Assets = OCRA – AD;

Where;

OCRA: Original Capital Cost of Replaced Assets:

AD: Accumulated depreciation pertaining to the Replaced Assets:

Provided that in case the original capital cost of the replaced asset is not available for any reason, it shall be considered by the Commission on a case to case basis:

Provided further that the amount of insurance proceeds received, if any, towards damage to any asset requiring its replacement shall be first adjusted towards outstanding actual or normative loan; and the balance amount, if any, shall be utilised to reduce the capital cost of such replaced asset, and any further balance amount shall be considered as Non-Tariff Income.

### **19. Debt-Equity**

19.1 Closing balance of Equity as on 31.03.2025 approved by the Commission shall be taken as the opening Equity for Financial Year 2025-26;

19.2 For a capital investment project declared under commercial operation on or after April 1, 2025, the debt-equity ratio as on the date of commercial operation shall be 70:30 of the amount of capital cost approved by the Commission under Regulation 18, after making appropriate adjustment of assets funded by Consumer Contribution/ Deposit Works/ Capital Subsidies/ Grant subject to prudence check for the determination of Tariff:

Provided that if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan for the Licensee for determination of Tariff:

Provided further that the Licensee shall submit documentary evidence for the actual deployment of equity and explain the source of funds for the equity:

Provided also that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost of the capitalised asset, the actual equity shall be considered for determination of Tariff:

Provided also that the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian Rupees on the date of each investment:

Provided that in case of retirement or replacement or deletion/ adjustment of the assets, the equity capital approved as mentioned above shall be reduced to the extent of 30% (or actual equity component based on documentary evidence, if it is lower than 30%) of the original cost of such assets:

Provided further that in case of retirement or replacement or deletion/ adjustment of the assets, the debt capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of the outstanding debt component based on documentary evidence, or the normative loan component, as the case may be, of the original cost of such assets.

## 20. Depreciation

20.1 The Licensee shall be permitted to recover Depreciation on the value of fixed assets used in their respective businesses, computed in the following manner-

(a) The approved original cost of the fixed assets shall be the value base for the calculation of Depreciation:

Provided that Depreciation shall be allowed on the entire capitalised amount of the new assets after reducing the approved original cost of the retired or replaced or de-capitalised assets.

(b) Depreciation shall be allowed annually based on the Straight-Line Method at the rates stipulated in Annexure-A for existing assets and at the rates stipulated in Annexure-B for the assets capitalised during the Control Period:

Provided that the Licensee shall ensure that once the individual asset is depreciated to the extent of seventy percent, remaining depreciable value as on 31<sup>st</sup> March of the year closing shall be spread over the balance Useful Life of the asset including the Extended Life, as per the submission of the Licensee and approved by the Commission.

(c) The salvage value of the asset shall be considered at 10% of the allowable capital cost and Depreciation shall be allowed up to a maximum of 90% of the allowable capital cost of the asset:

Provided that land owned shall not be treated as a Depreciable asset and shall be excluded from the capital cost while computing Depreciation:

Provided further that Depreciation shall be chargeable from the first year of commercial operation.

Provided also that the salvage value of IT equipment, software and underground cable shall be considered as nil and 100% value of the assets shall be considered depreciable.

(d) Depreciation shall not be allowed on assets funded by Consumer Contribution, Deposit works, Capital Subsidies and Grants.

20.2 In case of existing assets, for the purpose of computation of depreciation, the opening value of GFA shall be taken as the closing value as on March 31, 2025 as approved by the Commission in its Tariff Order.

20.3 In case of projected commercial operation of the assets for part a of the year, depreciation shall be computed based on the average of opening and closing value of assets.

20.4 Depreciation shall be re-computed for assets capitalised at the time of Truing-Up, based on the Accounting Statements and documentary evidence of assets capitalised by the Petitioner, subject to prudence check by the Commission.

## 21. Return on Equity

21.1 Return on equity shall be computed in Rs. terms on equity base as determined in accordance with Regulation 19 at the rate of 15% post-tax per annum (hereinafter referred to as 'Base Rate'):

Provided that assets funded by Consumer Contribution/Deposit works, Capital Subsidies/Grants and corresponding Depreciation shall not form part of the Capital Cost.

## 22. Interest on Long-Term Loan

22.1 The long-term loans arrived at in the manner indicated in these Regulations on the assets put to use shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan:

Provided that in case of retirement or replacement or deletion/ adjustments of the assets in the Balance Sheet, the loan capital approved as mentioned above shall be reduced to the extent of the outstanding loan component of the original cost of such assets based on documentary evidence.

22.2 The closing normative long-term loan outstanding as on 31 March, 2025, shall be taken as the opening normative long-term loan outstanding for the Financial Year 2025-26.

22.3 The repayment of long-term loans for each year shall be deemed to be equal to the Depreciation allowed for that year.

22.4 Notwithstanding any moratorium period availed, the repayment of loan shall be considered from the first year of commercial operation of the asset.

22.5 The rate of interest shall be the weighted average rate of interest computed on the basis of the actual long-term loan portfolio at the beginning of each year:

Provided that if there is no actual long-term loan for a particular year but the normative loan is still outstanding, then the rate of interest for the purpose of allowing the interest on the normative long-term loan shall be the weighted average SBI MCLR (1 Year) prevailing during the concerned year plus 100 basis points.

22.6 At the time of Truing-Up, the weighted average rate of interest of the actual long-term loan portfolio during the concerned year shall be considered as the rate of interest:

Provided that if there is no actual long-term loan for a particular year but the normative loan is still outstanding, then the rate of interest for the purpose of allowing the interest on the normative long-term loan shall be the weighted average SBI MCLR (1 Year) prevailing during the concerned year plus 100 basis points.

22.7 The interest on long-term loan shall be computed on the normative average long-term loan of the year by applying the weighted average rate of interest:

Provided that at the time of Truing-Up, the normative average loan of the concerned year shall be considered on the basis of the actual asset capitalisation approved by the Commission for the year.

### **23. Banking and Finance Charges.**

The Banking & Finance charges shall be allowed as per actuals in Truing-Up, subject to prudence check by the Commission:

Provided that the Banking and Finance charges shall be allowed in ARR as per the approval given by the Commission for the latest True-Up year.

### **24. Hedging Cost of Foreign Exchange Rate Variation (FERV)-**

24.1 The Licensee may hedge foreign exchange exposure in respect of the interest on foreign currency loan and repayment of foreign loan acquired, in part or in full, at the discretion of the Licensee.

24.2 Every Licensee shall recover the cost of hedging of FERV corresponding to the normative foreign debt, in the relevant year on a year-to-year basis as expense in the period in which it arises.

### **25. Interest on Working Capital**

25.1 The working capital requirement of the Distribution Business shall cover:

- (i) Operation and maintenance expenses for one month;
- (ii) Maintenance spares at 40% of the R&M expenses for two months; and
- (iii) One and half month equivalent of the expected revenue from the sale of electricity at the Tariff approved by the Commission for the ensuing year, including revenue from wheeling, cross-subsidy surcharge and additional surcharge, if any, but excluding Electricity Duty;

**minus**

- (iv) Amount held as security deposits from the Distribution System Users;

Provided that if the working capital, determined based on the above formula, is positive, it shall be reduced by the amount of revenue surplus (if any) as of 31<sup>st</sup> March of the previous year so approved by the Commission:

Provided that for the purpose of Truing-Up for any year, the working capital requirement shall be re-computed on the basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the Truing-Up.

25.2 Rate of interest on working capital shall be simple interest and shall be equal to the SBI MCLR (1 Year) as on date on which Petition for determination of Tariff is filed plus 200 basis points:

Provided that for the purpose of Truing-Up for any year, simple interest on working capital shall be allowed at a rate equal to the weighted average SBI MCLR (1 Year) prevailing during the concerned Year plus 200 basis points.

25.3 Interest paid on consumer security deposits as per the provisions of the Electricity Supply Code, 2005 and its subsequent amendments/addendums and the new Regulations made after the repeal of the same shall be allowed:

Provided that if, at the time of True-Up, it is determined that the interest paid on the Security Deposit is less than the interest payable as per the prescribed norms, the Working Capital shall be reduced by the amount of such shortfall.

## **26. Tax on Return on Equity**

26.1 The rate of return on equity as allowed by the Commission under Regulation 21 of these Regulations shall be grossed up with the effective tax rate (hereinafter referred to as 't') of the respective financial year. The effective tax rate shall be calculated at the beginning of every Financial Year based on the estimated profit and tax to be paid estimated in line with the provisions of the relevant Finance Act applicable for that Financial Year to the concerned Distribution Licensee by excluding the income of other business and the corresponding tax thereon:

Provided that tax on any income other than that through its Licensed Business shall not be pass through and it shall be payable by the Licensee itself:

Provided that in case a Distribution Licensee is paying Minimum Alternate Tax (MAT) under Section 115JB of the Income Tax Act, 1961, the effective tax rate shall be the MAT rate, including surcharge and cess:

Provided further that in case a Distribution Licensee has opted for Section 115BAA, the effective tax rate shall be the tax rate including surcharge and cess as specified under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961.

26.2 The rate of return on equity shall be rounded off to three decimal places and shall be computed as per the formula given below.

$$\text{Rate of pre-tax return on equity} = \text{Base rate} / (1-t)$$

26.3 The Distribution Licensee shall true up the effective tax rate for every Financial Year based on the actual tax paid together with any additional tax demand, including interest thereon, duly adjusted for any refund of tax including interest received from the income tax authorities pertaining to the Tariff period covered under these Regulations on actual gross income of any Financial Year. Further, any penalty arising on account of delay in deposit or short deposit of tax amount shall not be considered while computing the actual tax paid by the Distribution Licensee.

Provided that in case a Distribution Licensee is paying Minimum Alternate Tax (MAT) under Section 115JB, the Distribution Licensee shall true up the grossed up rate of return on equity at the end of every Financial Year with the applicable MAT rate including surcharge and cess.

Provided that in case a Distribution Licensee is paying tax under Section 115BAA, the Distribution Licensee shall true up the grossed up rate of return on equity at the end of every Financial Year with the tax rate including surcharge and cess as specified under Section 115BAA:

Provided that any under-recovery or over recovery of grossed up rate on return on equity after truing-up, shall be recovered or refunded, on a year to year basis.

**27. Rebate, Incentive, Penalties and Miscellaneous**

27.1 All rebates or incentives earned by the Licensee shall be considered under its Non-Tariff Income, while all rebates or incentives given by the Licensee, as approved by the Commission, shall be allowed as an expense for the Licensee.

27.2 Penalties paid, if any, by the Licensee shall not be allowed as an expense for the Licensee:

Provided that penalties / compensation levied on the Distribution Licensee due to the reasons beyond its reasonable control (as corroborated by it with appropriate justification with supporting documents to satisfy the Commission) shall be allowed subject to prudence check.

Further, penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure to meet any Standards of Performance or for damages, as a consequence of the Orders of the Commission, Courts, Consumer Grievance Redressal Forum, and Ombudsman, etc., shall not be allowed to be recovered through the ARR. The Distribution Licensee shall maintain separate details of such penalties and compensation paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

27.3 Carrying cost for the ARR gap of the Distribution Licensee will be provided by the Commission after prudence check at the interest rates as provided for working capital in these Regulations.

27.4 The revenue surplus of the Distribution Licensee shall be first adjusted towards working capital requirement for the year and balance revenue surplus amount, if any, shall be eligible for carrying cost as per weighted average of bank rate published by RBI net of income tax for the relevant year.

Provided that the Distribution Licensee shall invest the revenue surplus in risk free securities such as RBI bonds, Government Securities or fixed deposit receipts of Scheduled banks only.

**PART D: DETERMINATION OF ARR FOR DISTRIBUTION LICENSEES**

**Separation of Accounts of Distribution Licensee**

28.1 Every Distribution Licensee shall maintain separate accounting records for the Distribution Wires Business and Retail Supply Business and shall prepare an Allocation Statement to enable the Commission to determine the Tariff separately for:-

- (a) Distribution Wires Business (Wheeling);
- (b) Retail Supply Business:

Provided that in case complete accounting segregation has not been done between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business of the Distribution Licensee, the ARR of the Distribution Licensee shall be apportioned between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business in accordance with the following Allocation Matrix.

Particulars	Distribution Wires Business (%)	Retail Supply Business (%)
Power Purchase Expenses (incl. PGCIL charges)	0%	100%
Inter-State Transmission Charges	0%	100%
Intra state Transmission Charges - (incl. SLDC Charges)	0%	100%
Employee cost	60%	40%
A&G expenses	40%	60%
R&M expenses	90%	10%
Interest and Finance Charges		
(a) Interest on Long Term Loan	90%	10%
(b) Other Interest & Finance charges	10%	90%
Depreciation	90%	10%
Provision for Bad & Doubtful debts	0%	100%
Return on Equity	90%	10%
Income Tax	90%	10%
Non-Tariff Income	10%	90%

Provided that the Commission may, through *Suo-Motu* Order or otherwise, modify the Allocation Matrix or determine the allocation of any additional component:

Provided further that the Allocation Matrix shall be applied for all or any of the heads of expenditure and revenue, where actual accounting separation has not been done between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business:

Provided also that the Commission may require the Distribution Licensee to file separate Petitions for the determination of Tariff for the Distribution Wires Business and Retail Supply Business.

### **29. Components of ARR for Distribution Licensee**

29.1 The Wheeling Charges and Tariff for retail supply of the Distribution Licensee shall provide for the recovery of the ARR, as approved by the Commission and comprising the following components:-

- (a) Power Purchase expenses;
  - (b) Inter-State Transmission Charges;
  - (c) Intra-State Transmission Charges;
  - (d) SLDC Fees & Charges;
  - (e) Operation and Maintenance expenses;
  - (f) Depreciation;
  - (g) Interest on Loan capital;
  - (h) Interest on Working Capital;
  - (i) Interest on Consumer Security Deposit paid to the Consumers;
  - (j) Banking & Finance charges
  - (k) Provision for Bad and doubtful debts;
  - (l) Return on Equity;
  - (m) Tax on Return on Equity;
- minus**
- (n) Non-Tariff income;
  - (o) Income from other Business:

Provided that Depreciation, Interest on Loan Capital, Interest on Working Capital, Return on Equity, and Tax on Return on Equity for Distribution Business shall be allowed in accordance with the provisions stipulated in **Part C** of these Regulations:

Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of Truing-Up based on the audited accounts, on a case to case basis, subject to prudence check.

29.2 The Wheeling Charges and Tariff for the retail supply of the Distribution Licensee shall be determined by the Commission on the basis of a Petition for determination of Tariff filed by the Distribution Licensee for each Financial Year in accordance with these Regulations:

Provided that the Tariff for retail supply may comprise any combination of fixed/demand charges, energy charges, and any other charges/incentives, for the purpose of recovery from the consumers, as may be stipulated by the Commission:

Provided also that the Commission may determine the area-wise Tariff for the Distribution Licensee based on the performance parameters as may be stipulated by the Commission:

### **30. Sales forecast**

30.1 The Distribution Licensee shall submit a forecast of the expected sales along with number of hours of supply to each Tariff category/sub-category and to each Tariff slab within such Tariff category/ sub-category, to the Commission for approval as stipulated in these Regulations:

30.2 Unless provided otherwise by the Commission, sales forecast shall be based on the past trends in each of the slabs of consumer categories. The Compounded Annual Growth Rate (CAGR) of past seven years of sales within each of the slabs of a consumer category as per the audited books of account, or if not available, then provisional accounts, will be considered:

Provided that the Distribution Licensee shall submit relevant details regarding category-wise sales separately for each Distribution Franchisee area within its Licence area, as well as the aggregated category-wise sales in its Licence area.

30.3 The sales forecast shall be consistent with the load forecast prepared as part of the power procurement plan under **Part B** of these Regulations and shall be based on past data and reasonable assumptions regarding the future.

**31. Distribution Loss**

31.1 The Distribution Licensee shall submit the AT&C loss trajectory and corresponding distribution loss trajectory for the entire Control Period along with the ARR Petition for the first year of the Control Period, after taking into account any agreement between the State Government and the Central Government under any national scheme or programme, wherever applicable:

Provided that based on the prudence check of the trajectory submitted by the Distribution Licensee, the Commission may stipulate the yearly distribution loss trajectory in the Tariff Order of the Distribution Licensee for the first year of the Control Period:

Provided also that the yearly Distribution loss trajectory for the control period shall not be changed/modified, other than under exceptional circumstances approved by the Commission.

31.2 The power purchase requirement of the Distribution Licensee at the Transmission-Distribution interface point, shall be computed by grossing up the sales with the distribution losses approved by the Commission:

Provided that the Distribution Licensee while computing the overall Distribution loss shall also take into account the losses for each Distribution Franchisee area within its Licenced area and submit the same separately:

Provided further that the Distribution Licensee in its True-Up Petition shall submit a detailed justification, in case the Distribution Loss exceeds the approved level for the year.

**32. Capital Investment Plan**

32.1 The Distribution Licensee shall submit in its ARR Petition, a detailed Capital Investment Plan for all capital expenditure project(s) that it plans to undertake during the ensuing year, for consideration and prudence check of the Commission.

32.2 For the purpose of these Regulations, a capital expenditure project shall mean any non-recurring capital expenditure programme for the acquisition, construction or improvement of a permanent facility.

32.3 The Capital Investment Plan shall be accompanied by such information, particulars and documents as may be required including but not limited to the information such as number of sub-stations, transformation capacity in MVA, details of distribution transformers of different capacities, HT:LT ratio as well as distribution line length showing the need for the proposed investments, alternatives considered, cost / benefit analysis and other aspects that may have a bearing on the Tariff.

32.4 The Capital Investment Plan shall include financing plan and physical targets for meeting the requirement of growth in the number of consumers, strengthening and augmentation of its distribution network, meeting the requirement of load growth, reduction in distribution losses, improvement in the quality of supply, reliability, metering, reduction in congestion, *etc.*

32.5 The Distribution Licensee shall submit separate details of Capital Investment Plan for Distribution Franchisee(s) area within its Licence area.

32.6 Capital Investment works of a similar or related nature should be clubbed and considered as a project. The scope of investments included in each project, for being considered for approval of the Commission shall include, but not limited to, any one or a combination of the following:-

- (i) New sub-stations proposed at different locations within the Licence area must be clubbed together and presented as a Project for New sub-stations including related incoming and outgoing feeders,
- (ii) Capacity enhancement of transformers/ sub stations at different voltage level clubbed together including the related incoming and outgoing feeders,
- (iii) New/ capacity enhancement of Distribution transformers,
- (iv) Project for development of new distribution lines and 11kV & 33kV network within the Licence area,
- (v) Project for replacement / augmentation of the lines/ cables including conversion of overhead lines to underground lines,
- (vi) Project for bifurcation of feeders,
- (vii) Project to prevent the theft of electricity including but not limited to conversion of bare conductors with AB Cables,
- (viii) Information Technology Projects,
- (ix) SCADA and Communication equipment,
- (x) Metering Project - Consumer Metering Projects or Metering of feeders, distribution transformers, substations, AMI,
- (xi) Project for replacement/ overhauling of old equipment,
- (xii) Major Civil Works – Offices/ guest house/ Call Centres,
- (xiii) Capital investments required for the conversion of single point to multi point connections,
- (xiv) An independent identifiable project approved under a State/ Central Government policy/ scheme funded partially/ fully under the policy/ scheme.

32.7 All capital expenditure projects exceeding the value of Rs. Fifteen Crore for Licensees operating in three or more revenue districts, Rs. Seven Crore Fifty Lakhs for Licensees operating in less than three revenue districts, or any alternate threshold stipulated by the Commission through an Order or otherwise, which could not be included in the Capital Investment Plan at the time of submission of ARR Petition but are required to be undertaken immediately to cater to an emergency or to implement a State Government or Central Government funded scheme, may be undertaken by the Distribution Licensee. However, approval of the Commission for such projects undertaken in each quarter should be sought within one month of the closure of that quarter:

Provided that in case approval is not taken for the capital expenditure for projects exceeding the above thresholds, the Commission may disallow up to 25% of such capital expenditure for that year.

32.8 During the True-Up, the final approval to the entire capital expenditure shall be granted considering the variation between approved and completed cost with justification for significant variations, particularly on the higher side.

### 33. Operation and Maintenance Expenses

33.1 The Operation and Maintenance (O&M) expenses for the Distribution Licensee shall be computed for three components i.e. (i) Employee Expenses, (ii) Repair and Maintenance (R&M) Expenses, and (iii) Administrative and General (A&G) Expenses.

33.2 The norms for each component of O&M Expenses shall be determined as per these Regulations. Thereafter O&M Expenses for each year of the Control Period shall be computed based on the formula shown below:

$$O\&M_n = EMP_n + R\&M_n + A\&G_n$$

Where:

$O\&M_n$  – O&M Expenses for  $n^{th}$  year

$EMP_n$  – Employee Expenses for  $n^{th}$  year

$R\&M_n$  – R&M Expenses for  $n^{th}$  year

$A\&G_n$  – A&G Expenses for  $n^{th}$  year



33.3 At the time of Truing-Up, gains or losses for each component of Operation and Maintenance Expenses shall be shared as per Regulation 11.

33.4 The impact of pay revision, change in pension scheme *etc.*, shall be allowed by the Commission over and above the normative Expenses of the respective component after prudence check. However, one time expenses such as payment of Arears due to impact of pay revision, change in pension scheme *etc.*, shall not be considered for the determination of norm of the respective component.

33.5 In case data required for establishing the norms is not available, the Distribution Licensee shall propose O&M norms with justifications. The Commission shall approve the norms for the Licensee after prudence check which shall be applicable for the remaining Control Period.

#### **Employee Cost**

33.6 The Employee Cost shall be derived on the basis of the average of the values in the Audited Accounts for the last five (5) Financial Years ending March 31, 2025 subject to prudence check by the Commission. However, if Audited Accounts are not available for FY 2024-25, Audited Accounts available for the last five (5) years will be considered and subsequently when the same are available the base year value (i.e. FY 2024-25) will be recomputed.

The average of such Employee Cost shall be considered as Employee Cost for the middle year of the previous Control Period (01.04.2020 to 31.03.2025) and shall be escalated year on year with the escalation factor considering the CPI of respective years, for subsequent years up to FY 2024-25:

Provided that the impact of one-time expenses such as Arears due to impact of pay revision, change in pension scheme *etc.* shall be removed from the base Employee Cost.

Employee cost shall be computed as per the following formula:

$$\text{EMP}_n = \text{EMP}_{n-1} \times (1 + \text{CPI inflation}) \times (1 + \text{Gn})$$

Where:

EMP<sub>n</sub>: Employee expense for the n<sup>th</sup> year;

EMP<sub>n-1</sub>: Employee expense for the (n-1)<sup>th</sup> year;

For the purpose of ARR, CPI inflation is the average of Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers (All India) as per the Labour Bureau, Government of India for immediately preceding three Financial Years.

For the purpose of True-Up, CPI inflation is the actual point to point inflation for the concerned Financial Year.

Gn is a growth factor for the n<sup>th</sup> year and it may be greater than or less than zero based on the actual performance. Value of Gn shall be determined by the Commission in the Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based on the Licensees' filing, benchmarking and any other factor that the Commission feels appropriate.

#### **Repair and Maintenance Expense**

33.7 The normative Repair and Maintenance expense shall be allowed in the ARR/ True-up by the Commission as the sum of the following:-

- (a) For the assets capitalised on or before 31.03.2025 @ 5% of the opening GFA as approved by the Commission.
- (b) For the assets capitalised after 31.03.2025 @ 3% of the opening GFA as approved by the Commission:

Provided that the normative R&M determined as per the above stipulation shall be inclusive of any impact of change in the applicable taxes or duties.

**Administrative and General (A&G) Expense**

33.8 The A&G Expenses shall be derived on the basis of the average of the values in the Audited Accounts for the last five (5) Financial Years ending March 31, 2025 subject to prudence check by the Commission. However, if Audited Accounts are not available for FY 2024-25, Audited Accounts available for the last five (5) Financial Years of previous Control Period (01.04.2020 to 31.03.2025) will be considered and subsequently when the same are available the base year value (i.e. FY 2024-25) will be recomputed.

The average of such A&G Expenses shall be considered as A&G Expenses for the middle year and shall be escalated year on year with the escalation factor considering the WPI of respective years, for subsequent years up to FY 2024-25:

Provided that the expenses towards Captive Consumption shall be determined based on the Rate provided in the Rate Schedule and energy consumption recorded in the accounts and shall be considered as part of A & G expenses subject to prudence check by the Commission:

Provided further that norms for Captive Consumption may be stipulated by the Commission through an Order or otherwise.

33.9 A&G expense shall be computed as per the following formula escalated by the Wholesale Price Index (WPI) and adjusted by the provisions for confirmed initiatives (IT etc. initiatives as proposed by the Distribution Licensee and validated by the Commission) or other expected one-time expenses:

$$\mathbf{A\&G_n = A\&G_{n-1}(1 + \text{WPI inflation}) + \text{Provision}}$$

Where:

A&G<sub>n</sub>: A&G expense for the n<sup>th</sup> year;

A&G<sub>n-1</sub>: A&G expense for the (n-1)<sup>th</sup> year;

For the purpose of ARR, WPI inflation is the average of Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three Financial Years as per the Office of Economic Advisor of Government of India.

For the purpose of True-Up, WPI inflation is the actual point to point inflation for the concerned Financial Year.

Provision: Cost for initiatives which entail conversion of Capex projects into Totex or Opex mode or are undertaken to ensure the compliance of any directives of the Commission or any other Expense as may be allowed by the Commission on the proposal of Distribution Licensee.

**34. Provision for Write-off of Bad and Doubtful Debts**

For any particular year, the Commission may allow a provision for write-off of bad and doubtful debts upto the extent of 2% of revenue from the sale of electricity as reflected in the audited accounts of the Distribution Licensee for that year or for the actual write-off of bad debts, whichever is less:

Provided that Electricity Duty shall not be included in the write-off of bad debt:

Provided further that such provision allowed by the Commission for any year shall not exceed the actual provision for write-off of bad and doubtful debts made by the Distribution Licensee in the audited accounts of that year:

Provided that the Commission, in its ARR/Tariff Order, may provisionally approve the provision for write-off of bad and doubtful debts based on the provision for write-off of bad and doubtful debts approved by the Commission for the True-Up year:

Provided further that if subsequent to the write-off of a particular bad debt, revenue is realised from such bad debt, the same shall be included under the Non-Tariff Income of the year in which such revenue is realised.

**35. Non-Tariff Income**

35.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the Distribution Business as approved by the Commission shall be deducted from the ARR in determining the Tariff for the retail supply and Wheeling Charges of the Distribution Business:

Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission in such form as may be stipulated by the Commission.

**35.2 The Non-Tariff Income shall include:-**

- (a) Income from rent of land or buildings;
- (b) Income from sale of scrap;
- (c) Income from investments:

Provided that income arising from investment of shareholder's funds, if any, shall not be included in Non-Tariff Income subject to prudence check of requisite detailed information submitted by the Licensee before the Commission.

- (d) Interest income on advances to suppliers/contractors;
- (e) Interest income on loans / advances to employees;
- (f) Income from rental from staff quarters;
- (g) Income from rental from contractors;
- (h) Income from hire charges from contractors and others;
- (i) Income from delayed payment surcharge minus cost of borrowing for 6 months to be computed on delayed payment surcharge at the rate of Interest on Working Capital;
- (j) Income from supervision charges;
- (k) Income from recovery against theft and/or pilferage of electricity;
- (l) Income from advertisements;
- (m) Income from sale of tender documents;
- (n) Excess found on physical verification;
- (o) Prior Period Income;
- (p) Miscellaneous receipts; and
- (q) Any other Non-Tariff Income.

**35.3** The Non-Tariff Income under item (l) above (income from advertisements) shall be shared between the Distribution Licensee and the consumers in the ratio of 30% and 70% respectively:

Provided that the Licensee shall undertake asset monetisation study within six months from the date of notification of these Regulations.

**36. Income from Other Business**

36.1 Where the Distribution Licensee has engaged in any Other Business under Section 51 of the Act for optimum utilisation of its assets, the income from such business will be deducted from the ARR in calculating the revenue requirement of the Licensee in the manner and in the proportion as may be specified by the Commission. The proportion of revenue from Other Business that shall be utilized in the Distribution business shall be as per the UPERC (Treatment of Income of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2004:

Provided that the Distribution Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the Distribution Business and the Other Business and shall submit the Allocation Statement, duly certified by the Board of Directors, to the Commission along with its Petition for the determination of ARR:

Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceeds the revenues from such Other Business, income from such Other Business shall be taken as zero.

**37. Cross-Subsidy Surcharge**

37.1 A consumer situated within the area of supply of a Distribution Licensee availing Open Access as per the provisions of the UPERC Open Access Regulations, as amended from time to time, shall be liable to pay Cross-Subsidy Surcharge as determined by the Commission. Such Cross-Subsidy Surcharge will be determined as per the following:-

**formula:**

$$S = T - [C / (1 - L / 100) + D + R]$$

Where:

S= is the Cross Subsidy Surcharge;

T= is the Tariff payable by the relevant category of consumers, including reflecting the Renewable Purchase Obligation;

C= is the per unit weighted average cost of power purchase by the Licensee, including meeting the Renewable Purchase Obligation;

D= is the aggregate of transmission, distribution and wheeling charge applicable to the relevant voltage level;

L= is the aggregate of transmission, distribution and commercial losses, expressed as a percentage applicable to the relevant voltage level;

R= is the per unit cost of carrying regulatory assets:

Provided that in any case the Cross Subsidy Surcharge shall not exceed 20% of the Average Cost of Supply.

**38. Additional Surcharge**

38.1 The additional surcharge for obligation to supply as per Section 42(4) of the Act shall become applicable only if it is conclusively demonstrated that the obligation of a Licensee, in terms of existing power purchase commitments, has been and continues to be stranded, or there is an unavoidable obligation and incidence to bear fixed costs consequent to such a contract.

38.2 The additional surcharge levied on any Open Access Consumer shall not be more than the per unit fixed cost of power purchase of the Distribution Licensee:

Provided that for a person availing General Network Access or Open Access, the additional surcharge shall be linearly reduced from the value in the year in which General Network Access or Open Access was granted so that, if it is continued to be availed by such person, the additional surcharge shall get eliminated within four years from the date of grant of General Network Access or Open Access:

Provided further that the additional surcharge shall not be applicable for Open Access Consumers to the extent of contract demand being maintained with the distribution Licensees:

Provided also that the additional surcharge shall be applicable for such Open Access Consumers who are or have been consumers of the Distribution Licensee.

**39. Wheeling Charges**

39.1 The fixed costs related to network assets are to be recovered through wheeling charges. Based on the allocation table given under Regulation 28.1, Wheeling ARR shall be determined. Wheeling charges (per unit) will be determined by dividing the ARR (wheeling) by the Input Energy.

39.2 The Distribution Licensee shall be allowed to recover, in kind, the Wheeling Losses arising out of the operation of a Distribution System by an Open Access Customer:

Provided that those embedded Open Access Customers who are already liable for payment of Demand Charges will not be required to pay any wheeling charges to the Distribution Licensee.

**40. Other Charges**

40.1 The Licensee shall be allowed to recover from its Open Access Customers any other charges as stipulated in UPERC Open Access Regulations, as amended from time to time.

**41. Time of Day Tariff**

41.1 Distribution Licensee shall propose consumer category-wise Time of Day (ToD) time slots, along with slot-wise rebate/penalty at the time of Tariff filing, keeping in consideration the applicable Rules and other Extant Laws:

Provided that any deviation from the Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2023 and other applicable provisions of law shall be accompanied by a detailed justification submitted by the Distribution Licensee:

Provided that the Distribution Licensee may also propose seasonal ToD Tariff:

Provided further that such proposal shall be substantiated by a comprehensive data analysis of the consumption patterns of the relevant consumer categories and an assessment of the anticipated impact of the proposed ToD structure.

**42. Determination of Retail Supply Tariff**

42.1 The Commission may categorize consumers on the basis of their Load Factor, Power Factor, Voltage, total consumption of electricity during any specified period, or the time at which the supply is required or the geographical position of any area, the nature of supply and the purpose for which the supply is required.

42.2 The retail supply Tariff for different consumer categories shall be determined on the basis of the Average Cost of Supply. While determining the Tariff, the Commission shall also keep in view the cost of supply at different voltage levels and the need to minimise Tariff shock to the consumers.

42.3 It would be endeavoured to rationalize the number of consumer categories and Tariff structure. The Fixed/Demand charges will be gradually aligned over a period upto the fixed cost of the ARR which would comprise of Fixed Charges of generating stations, Transmission Charges, Return on Equity, Interest on Loan, Depreciation, O&M & other fixed cost elements. The Energy Charge will be gradually aligned to the remaining ARR, *i.e.*, the Variable Cost of the ARR, which would comprise the Fuel Cost of the generating stations and other variable costs.

**PART E: GRANT OF SUBSIDIES BY STATE GOVERNMENT****43. Manner of grant of subsidy by the State Government**

43.1 If the State Government requires to grant subsidy to any consumer or class of consumers in the Tariff determined by the Commission, the same shall be as per the provisions of Section 65 of the Act.

**PART F: GREEN ENERGY TARIFF****44. Green Energy Tariff**

44.1 Green Energy Tariff shall be approved by the Commission, as a separate Tariff category *i.e.*, as an incremental Tariff which would be per-unit charge to be paid by the consumer over and above the regular charges as per their consumer category, in line with the methodology provided by Government, if any:

Provided that the revenue from Green Energy Tariff approved by the Commission shall be in addition to the regular Tariff as approved by the Commission.

44.2 The Green Energy Tariff shall be determined based on the average power purchase cost of renewable energy, cross subsidy charges if any and service charges covering the prudent cost of the Distribution Licensee for providing green energy.

44.3 The Distribution Licensee shall submit the proposal for Green Tariff, along with all computation in the ARR / Tariff Petition. The total revenue earned under 'Green Energy Tariff' will be considered as a part of the revenue / Tariff income of the Licensee.

44.4 The total consumption of these consumers must be met by the renewable energy sources.

**PART G: FUTURE/ NEW DISTRIBUTION LICENSEES****45. Restructuring/ Reconfiguration of the Licensees under the Act**

45.1 In case of restructuring/ reconfiguration of Distribution Licensee(s) through any dispensation or otherwise after these Regulations come into force, the reconfigured entity/ new Distribution Licensee shall submit its first Aggregate Revenue Requirement (ARR) Petition on or before 30th November falling immediately after reconfiguration date:

Provided further that the conditions outlined in the Bidding Documents along with the agreements signed by the reconfigured entity/new Distribution Licensee, Transfer scheme notified by the State Government, vesting Order(s), mandate given under the Electricity Act, 2003, etc. shall be considered for Tariff determination and related matters for the reconfigured entity/ new Distribution Licensee.

**PART H: MISCELLANEOUS****46. Savings**

46.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the power of the Commission to make such Orders as may be necessary to meet the ends of justice.

46.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act, a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or a class of matters, deems it just or expedient for deciding such matter or class of matters.

46.3 Nothing in these Regulations shall, expressly or implied, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner, as it considers just and appropriate.

**47. Power to remove difficulties**

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific Order, give directions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing difficulties.

**48. Power to Amend**

The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any of the provisions of these Regulations.

**49. Power to Relax**

The Commission may by general or special Order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the necessary parties, relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

By the Order of the Commission,  
SUMEET KUMAR AGARWAL,  
Secretary,

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.

**Annexure A - Depreciation Schedule for Existing Assets Capitalised on or before 31.03.2025**

Description of Assets		Depreciation Rate
A.	Land owned under full title	0.00
B.	Land held under lease:	
(a)	For investment in the land	3.34%
(b)	For cost of clearing the site	3.34%
C.	Assets Purchased New:	
(a)	Building & civil engineering works of permanent character	
	(i) Offices & showrooms	3.34%
	(ii) Temporary erection such as wooden structures	100%
	(iii) Roads other than kutchra roads	3.34%
	(iv) Others	3.34%
(b)	Transformers, transformer (Kiosk) sub-Station equipment & other fixed apparatus (including plant foundations)	
	(i) Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over	5.28%
	(ii) Others	5.28%
(c)	Switchgear including cable connections	5.28%
(d)	Lightning arrestors	
	(i) Station type	5.28%
	(ii) Pole type	5.28%
	(iii) Synchronous condenser	5.28%
(e)	Batteries	9.00%
	(i) Underground Cable including joint boxes and disconnected boxes	5.28%
	(ii) Cable duct system	5.28%
(f)	Overhead lines including supports:	
	(i) Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 kV	5.28%
	(ii) Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts	5.28%
	(iii) Lines on steel or reinforced concrete supports	5.28%
	(iv) Lines on treated wood supports	5.28%
(g)	Meters	9.00%
(h)	Self propelled vehicles	9.00%
(i)	Air conditioning plants	
	(i) Static	5.28%
	(ii) Portable	9.00%
(j)	Furniture and Fittings	
	(i) Office furniture and fittings	6.33%
	(ii) Office equipment	6.33%
	(iii) Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
	(iv) Street light fittings	5.28%
(k)	Apparatus let on hire	
	(i) Other than motors	9.00%
	(ii) Motors	6.33%
(l)	IT equipment including software	15.00%
(m)	Any other assets not covered above	5.28%

**Note: Useful life of the assets shall be derived based on the depreciation rate provided in the above table.**

**Annexure B - Depreciation Schedule for Existing Assets Capitalised After 31.03.2025**

Description of Assets		Depreciation Rate
A.	Land owned under full title	0.00
B.	Land held under lease:	
(a)	For investment in the land	3.34%
(b)	For cost of clearing the site	3.34%
C.	Assets Purchased New:	
(a)	Building & civil engineering works of permanent character	
	(i) Offices & showrooms	3.34%
	(ii) Temporary erection such as wooden structures	100%
	(iii) Roads other than kutcha roads	3.34%
	(iv) Others	3.34%
(b)	Transformers, transformer (Kiosk) sub-Station equipment & other fixed apparatus (including plant foundations)	
	(i) Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over	4.22%
	(ii) Others	4.22%
(c)	Switchgear including cable connections	4.22%
(d)	Lightning arrestors	
	(i) Station type	4.22%
	(ii) Pole type	4.22%
	(iii) Synchronous condenser	4.22%
(e)	Batteries	9.00%
	(i) Underground Cable including joint boxes and disconnected boxes	4.22%
	(ii) Cable duct system	4.22%
(f)	Overhead lines including supports	
	(i) Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 kV	4.22%
	(ii) Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts	4.22%
	(iii) Lines on steel or reinforced concrete supports	4.22%
	(iv) Lines on treated wood supports	4.22%
(g)	Meters	9.00%
(h)	Self propelled vehicles	9.00%
(i)	Air conditioning plants	
	(i) Static	4.22%
	(ii) Portable	9.00%
(j)	Furniture and Fittings	
	(i) Office furniture and fittings	6.33%
	(ii) Office equipment	6.33%
	(iii) Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%



Description of Assets		Depreciation Rate
	(iv) Street light fittings	4.22%
(k)	Apparatus let on hire	
	(i) Other than motors	9.00%
	(ii) Motors	6.33%
(l)	Communication Equipment	
	(i) Radio and High-Frequency Carrier system	15.00%
	(ii) Telephone lines and telephones	15.00%
	(iii) Fibre Optic/OPGW	6.33%
(m)	IT equipment including software	15.00%
(n)	Any other assets not covered above	4.22%

**Note:** Useful life of the assets shall be derived based on the depreciation rate provided in the above table.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 565 राजपत्र-2025-(1531)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 19 सा० ऊर्जा-2025-(1532)-100+500=600 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

**उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
(बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियमावली, 2025

	विषय-सूची	
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रयोज्यता एवं प्रारम्भ	1
2	परिभाषाएं	1
<b>भाग-अ: सामान्य प्रावधान</b>		3
3	बहुवर्षीय टैरिफ ढाँचा	3
4	याचिकाएं नियंत्रण अवधि में प्रस्तुत की जाएं	4
5	याचिका फाइल करने की प्रक्रिया और इसका निर्धारण	4
6	ट्रू-अप याचिका	5
7	वार्षिक निष्पादन समीक्षा याचिका	5
8	सकल राजस्व आवश्यकता याचिका	5
9	नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय कारक	6
10	अनियंत्रणीय कारकों के फलस्वरूप लाभ एवं हानियों का प्रबंधन	6
11	अनियंत्रणीय कारकों के फलस्वरूप लाभ या हानियों का प्रबंधन	6
<b>भाग-बी: विद्युत क्रय</b>		6
12	प्रयोज्यता	6
13	विद्युत क्रय हेतु मार्गदर्शन सिद्धान्त एवं योजना	6-7
14	अतिरिक्त विद्युत क्रय	8
15	अधिशेष विद्युत का निपटान	8
16	ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार	8-9
<b>भाग-सी: वित्तीय सिद्धान्त</b>		10
17	वित्तीय बुद्धिमत्ता	10
18	पूँजीगत व्यय/लागत एवं पूँजीगत ढाँचा	11
19	ऋण-लाभांश	12
20	मूल्यहास	12
21	इक्विटी पर लाभ	13
22	दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज	13
23	बैंकिंग और वित्त प्रभार	13
24	विदेशी विनिमय दर विचरण (FERV) की प्रतिरक्षा लागत	13
25	कार्यशील पूँजी पर ब्याज	13-14
26	लाभांश पर कर	14
27	छूट प्रोत्साहन, अर्थदंड एवं विविध	15

<b>भाग-डी: वितरण लाइसेंसधारियों के लिए सकल राजस्व आवश्यकता का निर्धारण</b>		15
28	वितरण लाइसेंसधारी के लेखा-विवरणों का पृथक्करण	15-16
29	वितरण लाइसेंसधारी के लिए सकल राजस्व आवश्यकता घटक	16
30	बिक्री का अनुमान	16
31	वितरण हानि	17
32	पूँजी निवेश योजना	17-18
33	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	18-19
34	अशोध्य एवं शंकास्पद ऋण बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	19
35	गैर-टैरिफ आय	20
36	अन्य व्यवसाय से आय	20
37	क्रॉस-सब्सिडी अधिभार	20-21
38	अतिरिक्त अधिभार	21
39	व्हीलिंग प्रभार	21
40	अन्य प्रभार	21
41	दिन के समय का टैरिफ	21
42	खुदरा आपूर्ति टैरिफ का निर्धारण	22
<b>भाग-ई राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करना</b>		22
43	राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करने की प्रणाली	22
<b>भाग-एफ: हरित ऊर्जा टैरिफ</b>		22
44	हरित ऊर्जा टैरिफ	22
<b>भाग-जी: भावी/नये वितरण लाइसेंसधारी</b>		22
45	अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों की पुनर्संरचना/पुनर्विन्यास	22
<b>भाग-एच: विविध</b>		23
46	बचत	23
47	कठिनाइयां दूर करने की शक्ति	23
48	संशोधित करने की शक्ति	23
49	छूट देने की शक्ति	23
अनुलग्नक ए-31-03-2025 से पहले पूँजीकृत वर्तमान परिसंपत्तियों हेतु मूल्यहास अनुसूची		24
अनुलग्नक बी-31-03-2025 के बाद पूँजीकृत वर्तमान परिसंपत्तियों हेतु मूल्यहास अनुसूची		25-26

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (MULTI YEAR  
TARIFF FOR DISTRIBUTION) REGULATIONS, 2025

CONTENTS

1	Short title, Extent, Applicability and Commencement	27
2	Definitions	27-30
PART- A: GENERAL PROVISIONS		30
3	Multi-Year Tariff Framework	30
4	Petitions to be filed in the Control Period	30
5	Procedure for Filing of Petition	31-32
6	True-Up Petition	32
7	Annual Performance Review Petition	32
8	ARR Petition	32-33
9	Controllable and Uncontrollable Factors	33
10	Treatment of Gains or Losses on account of Uncontrollable Factors	33-34
11	Treatment of Gains or Losses on account of Controllable Factors	34
PART B: POWER PROCUREMENT		34
12	Applicability	34
13	Power Procurement Guidelines and Plan	34-36
14	Additional Power Procurement	36
15	Treatment of Surplus Power	36
16	Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge	37-38
PART C: FINANCIAL PRINCIPLES		38
17	Financial Prudence	38-39
18	Capital Expenditure/Cost and Capital Structure	40-41
19	Debt-Equity	41
20	Depreciation	42
21	Return on Equity	42
22	Interest on Long-Term Loan	42-43
23	Banking and Finance Charges	43
24	Hedging Cost of Foreign Exchange Rate Variation (FERV)	43
25	Interest on Working Capital	43-44
26	Tax on Return on Equity	44
27	Rebate, Incentive, Penalties and Miscellaneous	45
PART D: DETERMINATION OF ARR FOR DISTRIBUTION LICENSEES		45
28	Separation of Accounts of Distribution Licensee	45-46
29	Components of ARR for Distribution Licensee	46
30	Sales forecast	46
31	Distribution Loss	47

32	Capital Investment Plan	47-48
33	Operation and Maintenance Expenses	48-50
34	Provision for Write-off of Bad and Doubtful Debts	50
35	Non-Tariff Income	51
36	Income from Other Business	51
37	Cross-Subsidy Surcharge	52
38	Additional Surcharge	52
39	Wheeling Charges	52
40	Other Charges	53
41	Time of Day Tariff	53
42	Determination of Retail Supply Tariff	53
PART E: GRANT OF SUBSIDIES BY STATE GOVERNMENT		53
43	Manner of grant of subsidy by State Government	53
PART F: GREEN ENERGY TARIFF		53
44	Green Energy Tariff	53
PART G: FUTURE/NEW DISTRIBUTION LICENSEES		54
45	Restructuring/Reconfiguration of the Licensees under the Act	54
PART H: MISCELLANEOUS		54
46	Savings	54
47	Power to remove difficulties	54
48	Power to Amend	54
49	Power to Relax	54
Annexure A - Depreciation Schedule for Existing Assets Capitalised on or before 31.03.2025		55
Annexure B - Depreciation Schedule for Existing Assets Capitalised After 31.03.2025		56-57